खण्ड-327, अंक-5
शुक्रवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1899
(23 सितम्बर, 1977 ई0)

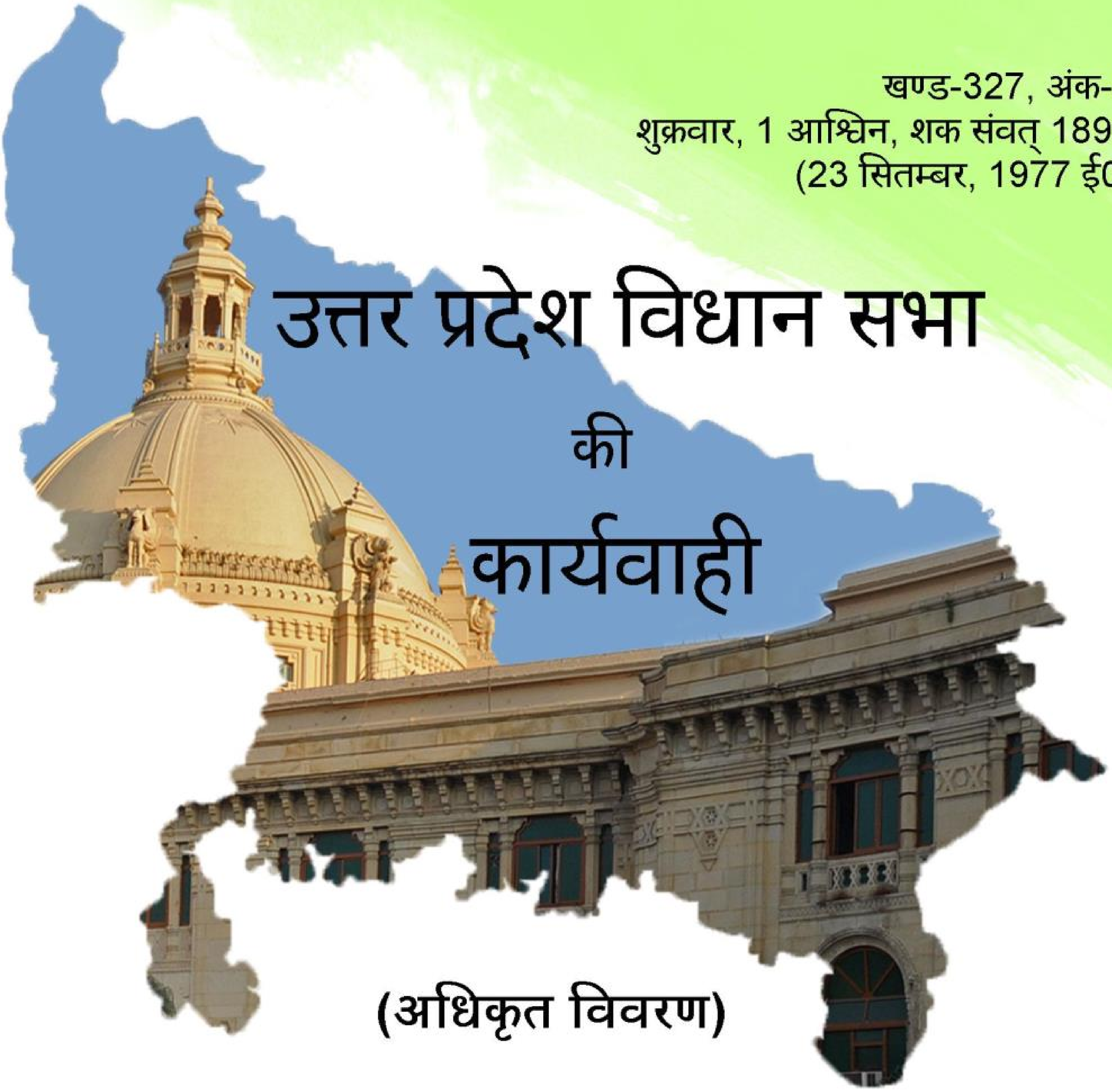

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	537–541
प्रश्नोत्तर	542–567
भूतपूर्व सदस्य, श्री इन्द्रपाल के निधन पर शोकोद्गार	567–568
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	568–569
नियमावलियों को सदन के पटल पर पुनः रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	569–570
स्वास्थ्य विभाग की परफार्मेन्स रिपोर्ट समय से न बंटने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	570–571
सदर, जिला सीतापुर की राजकीय प्राइमरी पाठशाला की इमारत ढह जाने से कुछ छात्रों की मृत्यु तथा घायल होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	571
वाराणसी नगरमहापालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	572
आफिसर्स होस्टल, लखनऊ से जर्नलिस्ट, श्री श्रीराम पांडिया के निकाले जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	572–573
प्रदेश में बिजली की कटौती के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	573
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनिश्चितकालीन बन्दी के विरोध में भूख हड़ताली छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	573–574
चिकित्सा विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 1977–78 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	574
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया)	575
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	575
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	575
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चौदहवां) आदेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	575
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पन्द्रहवां) आदेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	576

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सोलहवां) आदेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	576
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	576
बिक्री-कर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0टी010262/10–4(5)-75, के सम्बन्ध में जारी किया गया शुद्धि-पत्र (पुनः सदन के पटल पर रखा गया)	576
वित्त बिक्री-कर अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (पुनः सदन के पटल पर रखी गयीं)	577
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	577
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 (सदन के पटल पर रखा गया)	577–578
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	578
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	578
नगरमहापालिका, इलाहाबाद चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	578
निवास अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र (पुनः सदन के पटल पर रखे गये)	579
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	579
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	579
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	579
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	580
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	580
श्री हरि मोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, सिंचाई शाखा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	580–583
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	584

विषय	पृष्ठ-संख्या
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)	584–628
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	628
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)	628–635
सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	636
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या –72 चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	636–644
श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री भगवती प्रसाद सिंह के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना	644–645
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	645–646
नत्थी	647–651

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--356

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उफ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरमराम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह मैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री

अनुपम प्रदेश सभा

पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुक्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री

अवलोकन प्रदर्शन सभा

मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री

अमर प्रदेश सभा

विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, चौधरी
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह 'निर्भय', श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम विहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्योराज सिंह, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य वीर, कुंवर
सन्त बख्शरावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

हरदोई जिले की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत भूमि का निर्धारित मूल्य तथा रजिस्ट्रेशन फीस की दर

*1—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की तहसील सण्डीला में भूमि हस्तान्तरण में रजिस्ट्रेशन फीस, सिंचित एवं असिंचित भूमि की, सरकार द्वारा निर्धारित दर क्या है और क्या यह सही है कि वर्तमान समय में सिंचित भूमि की दर 10,000 रु0 प्रति बीघा एवं असिंचित भूमि की 5,000 रुपए बीघा सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित करके स्टाम्प फीस ली जाती है जब कि प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसा नहीं है? यदि हां, तो इसको रोकने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

जिला हरदोई की तहसील सण्डीला में जिला अधिकारी, हरदोई द्वारा कुछ अच्छी किस्म की सिंचित एवं असिंचित भूमि की बाजारी मूल्य की दर क्रमशः 10,000 रु0 एवं 5,000 रु0 प्रति बीघा निर्धारित की गयी है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी जिलाधिकारी द्वारा भूमि की किस्म के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार ही भूमि का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। अतः इसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिहारी लाल हंस—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दर लगान का 800 गुना है और यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

यह दर भूमि की किस्म के ऊपर है और जो व्यक्ति विक्रेता है, उसे किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, इस पर आधारित है। भूमिधरी पर लगान का 800 गुना है।

श्री बिहारी लाल हंस—

क्या मन्त्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की ऊंची दर की वजह से बयनामे बन्द हैं और यदि बन्द हैं, तो राजस्व पर क्या असर पड़ रहा है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

इसकी सूचना नहीं है कि रजिस्ट्रेशन बन्द हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो दर दूसरे जिलों में निर्धारित की गयी है, वह मार्केट रेट से ऊंची है और इससे लोगों को दिक्कत हो रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरे जिले के सम्बन्ध में है। अगर मेरे पास कोई इस तरह के स्पष्ट उदाहरण आयेंगे, तो दूसरे जिलों में क्या करें, उसको देख लेंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मैं मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस जनपद में रेट्स बहुत ज्यादा हैं। इसका अवाम के ऊपर गहरा असर पड़ता है। क्या मन्त्री जी इस सिलसिले में विचार करके रेट कम करने की कोशिश करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यह जो दरें निश्चित की गयी हैं लगान के आधार पर निश्चित की गयी हैं। चूंकि सरकार लगान के बारे में विचार कर रही है, तो सम्भव है इन दरों में कुछ परिवर्तन हो जाय।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रान्त में अधिक से अधिक प्रति बीघा, देहाती जमीनों का कितना है और कम से कम कितना है ? आशा करता हूं मन्त्री जी उत्तर दे देंगे क्योंकि प्रान्त भर का सवाल अन्तिम लाइन में है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रश्न तो मुख्यतः हरदोई की सण्डीला तहसील के बारे में था। प्रान्त में न्यूनतम कितना है नियम 341 के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि न्यूनतम भूमिधरी के सम्बन्ध में 800 गुना, सीरदारी के सम्बन्ध में 400 गुना और भवनों के सम्बन्ध में वार्षिक किराए का 25 गुना। जहां तक अधिकतम का सवाल है, वह बाजार मूल्य से होता है। अगर विक्रय धन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भूमि की कास्ट निर्धारित करने का काम लेखपाल को सौंप दिया गया है और इससे इस महकमे में भ्रष्टाचार फैल रहा है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, यह काम तो जिलाधिकारी करते हैं। यह सम्भव है कि जिलाधिकारी ने अपना कार्य पूरा करने में, अन्य अधिकारियों का सहयोग लिया हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। उन्होंने कहा कि सण्डीला का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदेश जिसके मुताबिक सण्डीला में दर निश्चित की गयी है उसी के मुताबिक सूबे के प्रत्येक जिले में भी निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि ये दरें, जो बहुत ज्यादा हैं, इसका क्या करें ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा कि नियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे मानक निर्धारित कर दिए हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए हैं जिस के आधार पर जिलाधिकारी, अलग-अलग भूमि की किस्म के अनुसार सिंचित और असिंचित वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग मूल्य निर्धारित करते हैं। मैंने यह भी कहा कि चूंकि ये दरें, लगान के आधार पर निर्धारित की गयी हैं और सरकार चूंकि लगान के बारे में विचार करेगी इसलिए सम्भवतः इस में स्वतः ही परिवर्तन हो जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि लगान के बारे में अभी कोई रेट निर्धारित हुए नहीं हैं। लगान सभी स्टेट में पांच सौ गुना तक आएगा क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस दौरान में जो बयनामे हुए हैं या जो इस वक्त लिखे गए हैं, उनके ऊपर आठ सौ गुना के हिसाब से लगेगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय सदस्य मुझे बतायें कि इस दौरान जो बयनामें हुए हैं उन पर क्या इसी आधार पर शुल्क लगाए गए हैं या किसी अन्य आधार पर लगाए गए हैं तब इसकी परीक्षा करेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

लगान के आधार पर आपने 800 गुना बताया, जो रेट फिक्स किया गया। खतौनी लेखपाल ने विस्तार से लिखा है कि एस0डी0एम0 के आदेशानुसार इस खेत का लगान पचास रुपए से बढ़ाकर ढाई सौ रुपया हो गया है कर्ज से. . .

श्री अध्यक्ष--

रियासत जी, इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि यह लगान का विषय राजस्व मन्त्री जी से सम्बन्धित है। आप इस पर नोटिस दे दें। यह पत्रावली माननीय मन्त्री जी के पास सूचना के लिए कैसे आ सकती है ?

श्री रियासत हुसैन--

मेरे कहने का मतलब यह है कि मन्त्री जी ने कहा कि लगान का 800 गुना है। वह भूमिधरी लगान का है, सीरदारी लगान का है. . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आपके पास यदि सूचना हो तो उत्तर दे दें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

भूमि पर लगान का 800 गुना है, बाजार मूल्य धन, फुट, इंच में चलता है, तो क्या इसके लिए कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, नियम यह है कि विक्रय-पत्र में जो धनराशि विक्रय मूल्य के रूप में अंकित हो अथवा जो नियम के अनुसार निर्धारित लगान के आधार पर हो, उस पर शुल्क लगेगा। अगर किसी बिक्री पत्र में लगान के आधार पर निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री की धनराशि हो, तो उसके ऊपर अधिक लगता है। अगर नहीं है, तो सम्बन्धित निबन्धन अधिकारी, जो जिला अधिकारी ने लगान निश्चित कर रखा हो, उस दर पर चार्ज कर लेता है।

बहराइच जिले में सैनिकों एवं उनके आश्रितों को किया गया भूमि का पट्टा

*2—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बहराइच में वर्ष 1962 से अब तक किन-किन भारतीय सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को गाँव समाज अथवा सीलिंग भूमि का पट्टा दिया गया था और क्या वर्ष 1976–77 में भूमि उनसे वापस लेकर अन्य को पट्टे पर दे दी गई? यदि हाँ, तो उन सैनिकों से भूमि वापस ले लेने का क्या कारण है?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जनपद बहराइच में वर्ष 1962 से अब तक उपलब्ध सूचना अनुसार श्री राम कृष्ण, नसीर अली, सैनिक व सैनिक आश्रित श्री दिनेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पुत्रगण श्री उदय राज सिंह को गाँव समाज तथा सर्वश्री राज बहादुर सिंह, आदित्य नारायण सिंह, हरबक्श सिंह, सैनिकों व सैनिक आश्रित श्रीमती विजय कुमारी पत्नी श्री देवेन्द्र पाल सिंह को सीलिंग भूमि के अस्थाई पट्टे किए गए थे। श्री राज बहादुर सिंह व श्रीमती विजय कुमारी से भूमि वापस नहीं ली गई है वह अब भी उन्हीं के कब्जे में है। श्री आदित्य नारायण सिंह, हरबक्श सिंह, नसीर अली धारा 198 जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई पट्टे के हकदार नहीं हैं। अत: अस्थाई पट्टा समाप्त होने पर भूमि उनसे वापस ले ली गई। सर्वश्री दिनेश प्रताप सिंह व राकेश प्रताप सिंह के पिता श्री उदयराज सिंह अभी भी फौज में कार्यरत हैं। अत: पट्टे देने के पात्र नहीं हैं और अस्थाई पट्टा समाप्त कर उनसे भूमि ले ली गई। श्री राम कृष्ण का अस्थाई पट्टा होने के कारण भूमि उनसे ले ली गई।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को गाँव समाज और सीलिंग की भूमि के आवंटन का काम यू0 पी0 ऐक्ट नं0 35, 1970 का ऐक्ट नं0 34, 1974 का तथा ऐक्ट नं0 30, 1975 का है, उनके अन्तर्गत रिटायर्ड फौजियों को भूमि आवंटित करने का नियम बना हुआ है, तो शासन के द्वारा जो जमीन पहले से उनको आवंटित की हुई है, उसको वापस लेने के आदेश भेजे गए हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में यह लिखा हुआ है कि एक सज्जन रिटायर नहीं हुए और एक में लिखा है, कि 198 धारा के अनुसार यें लोग इसके अधिकारी नहीं थे, तो आपका प्रश्न क्या है?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

धारा 198 के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रितों को पट्टे दिए गए थे और वे उसके पात्र भी हैं, ऐसे लोगों से जमीन वापस लेने के लिए शासन के द्वारा कोई निर्देश गए हैं या नहीं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कुछ लोगों के नाम अस्थायी पट्टे हुए थे लेकिन धारा 198 के अन्तर्गत जो अधिकारी हैं उनसे कोई पट्टा नहीं लिया गया। धारा 198 की उपधारा (ग) के अन्तर्गत जो लोग मन्डल में नहीं रहते और उनको अस्थायी पट्टे दे दिए गए थे, तो वे उसके पात्र नहीं माने जाते। अतएव जो धारा 198 है उसके अनुसार देखा जाता है कि वे अधिकारी हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि अस्थायी पट्टे वापस लेने के आदेश सरकार ने दिए या किसी और ने दिए?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो अस्थायी पट्टे थे जब उनकी मियाद समाप्त हो गयी तो नियम 198 के अन्तर्गत उसके अगर वह पात्र ह, तो पट्टा स्थायी कर दिया गया, अगर नहीं हैं तो नहीं किया गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि श्री राज बहादुर सिंह व श्रीमती विजय कुमारी से भूमि वापस नहीं ली गयी है, उन्हीं के कब्जे में है, तो आज जो भूमि उनके कब्जे में है उनके ही कब्जे में रहेगी इसका क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अभी तक वह कब्जे में है। वहाँ चकबन्दी चल रही है। अगर वह 198 के पात्र होंगे तो उन्हें पट्टा मिलेगा और अगर पात्र नहीं हैं, तो मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जो स्थायी पट्टे कर दिए गए तो बाद में शासन को किस सूत्र से सूचना मिली कि वे पट्टे गलत दिए गए थे जिसके कारण उनको निरस्त कर दिया गया?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिनके स्थाई पट्टे कर दिए गए थे उनको निरस्त नहीं किया गया। जो अस्थायी थे और मियाद खत्म हो गयी तो उनको स्थायी किया जाय या न किया जाय इसमें जो पात्र थे उनको कर दिया गया और अगर पात्र नहीं थे तो जमीन वापस ले ली गयी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

एक प्रश्न और करना है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं।

[दिनांक 23 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1-2—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित निबन्धन विभाग के सब-रजिस्ट्रार

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगें कि निबन्धन विभाग में सब-रजिस्ट्रारों के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कितने सब-रजिस्ट्रार कार्यरत है, कितने पदों पर स्थानापन्न उप-निबन्धक तथा कितने अंशकालिक उप-निबन्धक कार्यरत हैं और क्या इनका लोक सेवा आयोग से अनुमोदन हो चुका है। ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

निबन्धन विभाग में सब-रजिस्ट्रारों के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए 80 सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं। 86 पदों पर स्थानापन्न सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं जिनका अनुमोदन अभी लोक सेवा आयोग से नहीं हुआ है। 56 पदों पर अंशकालिक सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं जिनके विषय में लोक सेवा आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 86 पदों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक नहीं हुआ है, वे उन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, यह तो इसी प्रश्न से सम्बन्धित है इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है, आप ही देखिए मान्यवर, यह तो प्रश्न में ही निहित है। इसके अलावा यह जो कहा गया है कि 56 पदों पर अंशकालिक सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं, जिनके विषय में लोक सेवा आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य अपना प्रश्न स्पष्ट करलें अभी उन्होंने 86 पदों के बारे में कहा और अब 56 के लिए कह रहे हैं। मूल प्रश्न में पूछा गया था कि कितने पदों पर स्थानापन्न उप-निबन्धक तथा कितने अंशकालिक उप-निबन्धक कार्यरत हैं। अब जो यह प्रश्न पूछा है इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

इसमें माँगी है, आप देखें, पूछा गया है कि कितने स्थानापन्न तथा कितने अंशकालिक के रूप में कार्यरत हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

कब से हैं, इसका प्रश्न, जो इसमें नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल अनुपूरक में अपने आप आएगा। इतने अस्थायी और इतने स्थायी हैं तो इसमें यह अपने आप होगा कि कब से हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

वैसे मैं रख सकता हूं प्राप्त करने पर लिस्ट लम्बी हो जाएगी।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, जो मूल उत्तर में लिखा है कि 86 पदों पर स्थानापन्न रूप से सब-रजिस्ट्रार कार्यरत हैं, जिनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं हुआ। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 86 लोग कब से काम कर रहे हैं और कितने दिनों बाद लोक सेवा आयोग के पास जाते हैं, अभी तक क्यों नहीं गए, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया है कि मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। नौटियाल जी ने यही प्रश्न किया था कि यह 86 लोग कब से कार्य कर रहे हैं। यह पुनरावृत्ति है।

श्री श्यामधर मिश्र—

दूसरे भाग का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, लोक सेवा आयोग को कितने दिनों में आमतौर से अनुमोदन के लिए दिए जाते हैं, इसका उत्तर दे दें ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके लिए कोई समय की सीमा नहीं हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग ने दो प्रश्न उठाए थे, लिखा पढ़ी चल रही है, एक तो अवस्था के बारे में कि जो लोग इस पद पर नियुक्त हैं उनकी अवस्था के बारे में है और दूसरा प्रश्न उठाया गया है कि अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हटा लिया जाय या नहीं। इस पर कार्मिक विभाग विचार-विमर्श कर रहा है। शीघ्र ही कार्यवाही हो जाएगी।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 86 उप निबन्धक हैं जिनका अनुमोदन पब्लिक सर्विस कमीशन से होना है यह सीधी भर्ती से रखे गए हैं या पदोन्नति करके रखे गए हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, यह स्थानापन्न हैं इनका चयन सीधी भर्ती द्वारा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पदोन्नति करके लिए गए हैं या सीधी भर्ती से लिए गए हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

पदोन्नति करके लिए गए हैं, चूंकि स्थानापन्न हैं अभी चयन होना बाकी है।

श्री देवकुमार (जिला बाँदा)—

यह रजिस्ट्रेशन विभाग जनता के बीच तमाम विवाद और भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश के अन्दर अंशकालिक और स्थानापन्न सब-रजिस्ट्रार रखने की क्या वजह है ? नियमित इनकी नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया, इनके सबके चयन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है, इस पर कुछ प्रश्न लोक सेवा आयोग ने उठाए थे, जिनका निराकरण किया जा रहा है। जहाँ तक अंशकालिक सब-रजिट्रार का सम्बन्ध है, इन पर भी विचार हो रहा है कि इनके स्थान पर पूर्णकालिक सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्तियाँ कर दी जाएं।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*4—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बनत कुडाना, लाख, चूनका में जून-जुलाई, 1977 में हरिजनों की जमीन बड़े किसानों द्वारा जबरदस्ती छीन ली गई? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को अनेकों आवेदन-पत्र भी दिए गए? यदि हाँ, तो कुल कितने हरिजनों की भूमि छीनी गयी और सरकार ने उक्त भूमि पर पुन: कब्जा दिलवाने की क्या व्यवस्था की?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बनत, कुडाना तथा लाख में कुल 595 हरिजनों को भूमि आवंटित की गई थी। इसमें से 14 हरिजनों की भूमि पर माह जून, 1977 में तथा 32 और 39 हरिजनों की भूमि पर माह जुलाई, 1977 में (कुल 85 हरिजनों की भूमि पर) बड़े काश्तकारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तहसील में शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस की सहायता से ग्राम बनत में 10 व 13 अगस्त, 1977 को, लाख में 20, 21, 22, 28, 29 जुलाई. व 4 अगस्त, 1977 को और ग्राम कुड़ाना में 29, 30 31 अगस्त तथा 1 सितम्बर, 1977 को उक्त हरिजन आवंटियों को पुन: कब्जा दिला दिया गया है।

चुनका ग्राम से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

*5—श्री श्यामधर मिश्र—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जगदीशपुर कटरा, गोण्डा में लेखपाल, श्री मुन्ना सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा उनका निलम्बन

*6—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोन्डा)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल हलका जगदीशपुर कटरा, परगना महादेवा, तहसील तरबगंज, जिला गोन्डा के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनाँक 1 अप्रैल, 1976 को जिला अधिकारी, गोन्डा को खाता काटने के सम्बन्ध में दिया गया था? क्या यह सही है कि उक्त लेखपाल के विरुद्ध खाता काटने व फर्जी इन्दराज करने का आरोप बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं परगना अधिकारी, गोन्डा द्वारा दिनाँक 16 जून, 1975 की जाँच में सिद्ध हुआ? यदि हाँ, तो उनके खिलाफ जिला अधिकारी द्वारा आज तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री मुन्ना सिंह, लेखपाल के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, गोन्डा को प्राप्त हुआ था। इसकी जाँच परगनाधिकारी, तरबगंज ने नायब तहसीलदार के माध्यम से

करवाई, जिससे लेखपाल के विरुद्ध की गईं शियकातें सही पाई गईं। परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनाँक 9 जुलाई, 1976 द्वारा लेखपाल के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा अपने आदेश दिनाँक 20 नवम्बर, 1976 के द्वारा लेखपाल को निलम्बित भी कर दिया है। लेखपाल के विरुद्ध धारा 218/420 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस लेखपाल के खिलाफ दिनांक 15 मई, 1975 को भी परगनाधिकारी ने कोई जांच किया था और उनके विरुद्ध खेत काटने की बात सिद्ध हुई थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

नायब तहसीलदार के माध्यम से यह कार्यवाही की गई, वह सही पाई गई, इसलिए सजा दी गई।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

इस गम्भीरता को देखते हुए मन्त्री जी तुरन्त कार्यवाही करके क्या उसे निकाल देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि मुकदमा चल रहा है, तो आगे वह क्या चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

जो मुकदमा चल रहा है, यह उन्हीं शिकायतों से सम्बन्धित है, जिनकी जांच एस0डी0एम0 ने की थी या और भी किसी बारे में चल रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

एक तो डिपार्टमेंटल चल रहा है, दूसरी ओर चूंकि उसने काट-पीट की थी, इसकी वजह से भी उसके ऊपर फौजदारी का 218/420 का मुकदमा चल रहा है, तो दोनों का मुकदमा चल रहा है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

लेखपाल के विरुद्ध मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें थीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कुछ खाते थे कागजात देही में, वह उसने बिना आज्ञा के काट दिए थे, उसके बारे में जांच हुई, मालूम हुआ है कि बिना आदेश के यह किया गया है, तो इसीलिए दोनों की कार्यवाही हो रही है ?

बहराइच जिले की गांव सभा शंकरपुर वेचुवा के अन्तर्गत भूमि के अवैधानिक पट्टे सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि गांव सभा शंकरपुर वेचुवा व कटकुइयां कलां तथा अहलाद नगर, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में गांव समाज भूमि के

अवैधानिक पट्टे बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री ओरीलाल, राजितराम आदि, निवासी शंकरपुर उपरोक्त ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1977 में राजस्व मन्त्री को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा था ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री ओरीलाल आदि, निवासी शंकरपुर ने जुलाई, 1977 में अवैधानिक पट्टे दिए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी जिसकी जांच तहसील भिनगा के परगनाधिकारी कर रहे हैं। जांच में कुछ समय और लगेगा क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से राजस्व अधिकारीगण राहत कार्य में लगे हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री ओरीलाल ने जो शिकायती-पत्र अवैधानिक पट्टे के बारे में दिया था, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जब उसकी जांच हो रही है तो उसका विवरण कैसे दे सकते हैं ? राहत कार्य की वजह से पूरी जाँच नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष—

इसलिए यह प्रश्न स्थगित किया जाता है क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है।

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत उत्तरित।]

वन पंचायत निरीक्षकों तथा कानूनगोयान की पेशकार पद पर प्रोन्नति तथा उनकी कोटिक्रम सूची।

*9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वन पंचायत निरीक्षक कानूनगो तथा पटवारी पदों से पदोन्नत नायब तहसीलदारों की कोटि क्रम सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष से यह सूची तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वन पंचायत निरीक्षकों तथा कानूनगोयान की पेशकार पद पर प्रोन्नति की जाती है जो पर्वतीय क्षेत्र में नायब तहसीलदारों के समकक्ष पद हैं। वर्ष 1970 में पेशकारों की कोटिक्रम सूची तैयार की गई थी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1970 में जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, पेशकारों की कोटिक्रम सूची बनवा दी गयी थी, तो कितने ऐसे पेशकार हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनमें से कितने पेशकारों की पदोन्नति तहसीलदार के रूप में हो गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो सूची बनायी गयी थी, दो सूचियां थीं 'ए' और 'बी'। 'ए' सूची वह है जो खाली जगहें हैं, उन पर कर दिए गए। दूसरी सूची वह है जिनकी स्थानापन्न नियुक्ति होती है। 1970 के बाद 6 लोग ऐसे थे जो सूची 'बी' में थे। उनमें से 4 आदमियों की नायब तहसीलदार के स्थान पर नियुक्ति हो चुकी है। दो रह गए हैं जो विभागीय परीक्षा पास नहीं कर सके। इसलिए पदोन्नति नहीं हो सकी। तहसीलदार कितने बनाए गए, इसकी सूचना नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं थी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, यह विशेषतः और इस प्रकार की जो छूट है केवल पर्वतीय अंचल में है। आप भी जानते हैं कि वहा के पटवारी को पुलिस की पावर्स होती है। लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति का जब सवाल आता है, तो उन लोगों में से प्रोन्नति न करके बाहर से जो उस केटेगरी में नहीं आते हैं, उनकी प्रोन्नति हो जाती है। तो माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हीं में से प्रोन्नति देने पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जहां तक पटवारी का प्रश्न है उससे प्रोन्नति नायब तहसीलदार की नहीं होती। उसकी प्रोन्नति कानूनगो से होती है। इसलिए उसको नायब तहसीलदार बनाने का सवाल नहीं है। कानूनगोयान को पेशकार या नायब तहसीलदार बनाने का प्रश्न है, उसको अवसर दिया जाता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, प्रश्न में माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां कानूनगोयान की पेशकार पद पर प्रोन्नति की जाती है। ये पेशकार के पद नायब तहसीलदार के बराबर हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो नायब तहसीलदार का कार्य कर रहा है तो उन्हीं में से तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति करने में क्या आपत्ति है, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि मैंने साफ उत्तर दिया है पंचायत निरीक्षकों और कानूनगोयान की पेशकार के पद पर प्रोन्नति होती है। वहां पर नायब तहसीलदार को पेशकार कहते हैं। पटवारी की पदोन्नति पेशकार पद पर नहीं होती। इसलिए पटवारी उस पर नहीं जा सकते हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष—

माननीय नौटियाल, उनका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। पेशकार का पद नायब तहसीलदार के समकक्ष है। तो पटवारी से प्रोन्नति हुई कानूनगो में और कानूनगो से पदोन्नति हुई पेशकार में। यह आपका मतलब है। तो पेशकार और नायब तहसीलदार समकक्ष हैं। इसलिए आपका प्रश्न उठता नही।

देवरिया जिले के अजय ट्रेडर्स पर बिक्री-कर का कथित बकाया

*10—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अजय ट्रेडर्स, देवरिया के जिम्मे कितना बिक्री-कर बाकी है और उसके वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मेसर्स अजय ट्रेडर्स, देवरिया पर कोई बिक्री-कर बकाया नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को रुपया जमा किया गया, कब कुर्की जारी हुई और वह कब वापस ली गयी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, सूचना के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि 31 जुलाई, 1977 को अजय ट्रेडर्स के ऊपर कोई बिक्री-कर का रुपया बकाया नहीं था। अगर तालिकावार ब्योरा माँगेंगे तो मैं उसे भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि लास्ट असेसमेन्ट कब हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। प्रश्न पूछा अगस्त में और अदायगी पहले ही हो गयी।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मेरी सूचना है कि दिनाँक 24 मई, 1977 और 3 जून, 1977 को पूरा रुपया जमा कर दिया गया और 18 जुलाई को फिर 18 अगस्त को कुर्की का आदेश वापस ले लिया गया। इस बीच तहसीलदार उस व्यापारी को तंग करता रहा और रुपया लेने की कोशिश करता रहा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

माननीय सदस्य लिखकर सूचना दे देंगे तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बकाया न हो और उसे प्रताड़ित किया जाए।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर को दी जाने वाली कथित सुविधाएं

*11—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कन्ट्रोलर सुन्नी वक्फ बोर्ड का पद अवैतनिक है ? यदि हाँ, तो उन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए क्या-क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं ?

मुस्लिम वक्फ उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)—

जी हाँ।

सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर को अपने कार्य सम्पादन के लिए कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर साहब को 600 रु0 महीना, एक टेलीफोन और दो चपरासी किस मद में दिये जाते हैं और क्या ऐसा है कि रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी जो वक्फ का और उनका नाजुक रिश्ता है और इसीलिए उनको यह सहूलियतें दी गयीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

जैसा मैंने अपने जवाब में कहा कि माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या कन्ट्रोलर को कार्य सम्पादन के लिए सरकार द्वारा सुविधा दी जाती है। सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कन्ट्रोलर को मान देय के रूप में 5 सौ रुपया और 100 रुपया किराया भत्ता तथा एक अर्दली और आवासीय टेलीफोन जरूर दिया जाता है। लेकिन वह रुपया वक्फ बोर्ड के जरिये दिया जाता है सरकार के जरिए अदा नहीं किया जाता है। रिश्तेदारी के सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी। मान्यवर, माननीय सदस्य अपने दूसरे भाग को फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

एक किताब खुलासा-ए-कुरान के नाम से श्री अतहर हुसैन ने लिखी है, तो उनको रुपया किस मद से दिया गया, क्या यह बतायेंगे ? कुछ रुपया टेक्निकल स्कूल के लिए माँगा गया जिसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल इससे पैदा नहीं होता है।

श्री रियासत हुसैन—

कन्ट्रोलर के एप्वाइंटमेंट में सरकार का कितना हाथ रहता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, वक्फ बोर्ड ऐक्ट, 1907 के अन्तर्गत ही सभी कार्य होने चाहिए, लेकिन जब इसके कार्य के लिए समिति बनायी गयी तो उससे कुछ लोग असन्तुष्ट होकर हाई कोर्ट में चले गये और स्थगन आदेश ले आए, जब तक स्थगन आदेश समाप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए कन्ट्रोलर की नियुक्ति कर दी गयी है और सरकार का उस पर हाथ रहता है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने कन्ट्रोलर की नियुक्ति की, तो क्या उसकी नियुक्ति के बाद सरकार ने अपनी तरफ से वेतन या भत्ता देने की बात निश्चित की ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

वक्फ ऐक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का जो कुछ खर्चा होता है तो उसकी वित्तीय जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। लेकिन उसका सुपरविजन अपनी निगाह में चलाना, यह जरूर सरकार की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में एक प्रशासनिक आर्डर है जिसमें इसकी अनुमति प्रदान की गई है कि वह 500 रुपए मानदेय और 100 रुपया ट्रेवेलिंग एलाउन्स के तौर पर पेमेन्ट किया जाय।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मोहतरम् मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि कन्ट्रोलर, वक्फ बोर्ड की फराइज क्या है और उसकी नियुक्ति के मसले में गवर्नमेंट की पालिसी क्या है? तथा उसको जो तनख्वाह मिलती है, तो वह तनख्वाह बहैसियत पेड गवर्नमेंट सर्वेन्ट के मिलती है या आनरेरिया के तौर पर मिलती है ?

श्री अध्यक्ष—

नियुक्ति के सन्दर्भ में आप उत्तर दे चुके हैं, अब उत्तर दीजिए कि उसके फराइज क्या हैं ? तीसरा प्रश्न है जो है वह यह है कि क्या दिया जाता है ? इसकी नियुक्ति कौन करता है ? इसका उत्तर आप दे चुके हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि तनख्वाह तो कन्ट्रोलर को दी ही नहीं जाती है बल्कि आनरेरियम के तौर पर पांच सौ रुपया कन्ट्रोलर को दिया जाता है। कन्ट्रोलर का पद कोई स्थायी पद नहीं है। वक्फ बोर्ड के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए, माननीय लखनऊ बैंच के स्थगन आदेश के फैसले के तहत, यह नियुक्ति सरकार को उस समय तक के लिए करनी पड़ी जब तक कि वक्फ बोर्ड ड्यूली कान्स्टीट्यूट न हो जाए।

गोरखपुर के ग्राम सिंहपुर के भूतपूर्व लेखपाल द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैधानिक रूप से दर्ज की गयी भूमिधरी

*12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाँव प्रधान, सिंहपुर, विकास क्षेत्र मिठौरा, जिला गोरखपुर ने दिनाँक 12 जुलाई, 1975 एवं इसके पूर्व भी शासन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि उक्त गांव के भूतपूर्व लेखपाल ने गाँव समाज की करीब 90 एकड़ भूमि को अपने परिवार एवं सगे रिश्तेदारों के नाम दर्ज कर दिया है ? यदि हाँ, तो भूमि किसके-किसके नाम दर्ज की गयी थी, इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सिंहपुर के प्रधान ने दिनाँक 12 जुलाई, 1975 के पूर्व जिलाधिकारी को आवेदन-पत्र दिया था कि गाँव के भूतपूर्व लेखपाल, श्री श्याम बिहारी लाल ने ग्राम समाज की करीब 87.60 एकड़ भूमि अपने परिवार एवं सगे रिश्तेदारों के नाम दर्ज कर दिया। जाँच में पाया गया कि उक्त लेखपाल ने अपने सगे सम्बन्धी सर्वश्री श्याम सुन्दर पुत्र, काशी, हीरा, पुत्र चन्द्रबली, किशोर, पुत्र सुन्दर, बृज बिहारी, कुंज बिहारी आ0 बशिष्ट नरायन, गोविन्द व रविन्द्र व गिरजेश, बृजेश आ0 प्रकाश के नाम ग्राम समाज की

87.68 एकड़ भूमि पर बिना किसी आदेश के भूमधरी दर्ज कर दिया था। कथित इन्दराजों को खारिज कर के ग्राम सभा के नाम भूमि बदस्तूर कायम रहने की आवश्यक कार्यवाही के आदेश दे दिए गये हैं । लेखपाल, श्री श्याम बिहारी लाल को उस अवैधानिक इन्दराज के सम्बन्ध में आरोप-पत्र देकर दिनाँक 29 फरवरी, 1976 को परगनाधिकारी द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस लेखपाल को दिनाँक 29 फरवरी, 1976 से सेवा से पृथक करने की बात कही गई है, वह लेखपाल आज भी उसी तहसील में लेखपाल नहीं बल्कि कानूनगो के रूप में फिर जा कर काम कर रहा है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, उस लेखपाल ने परगना अधिकारी के दिनाँक 29 फरवरी, 1976 के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, ट्राइब्यूनल के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की और उसने परगनाधीश के आदेशों को निरस्त कर दिया। इस प्रकार वह लेखपाल पुनः सेवा में आ गया और कार्य में रत है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के जिन कर्मचारियों को ट्राइब्यूनल में पैरवी करनी थी, उन्होंने कोताही की जिसके कारण वह लेखपाल बहाल हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। आप दूसरा प्रश्न कर लें, इसकी अनुमति नहीं मिल सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि लेखपाल ने 87.68 एकड़ भूमि अपने सगे सम्बन्धी, लड़के, नाती, पोते, पतोहू और कुछ बेनामी लोगों के नाम कर दी थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ब्योरा तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन बेनामी लोगों के नाम नहीं थी। यह सत्य है कि उसने गलत इन्दराज किया था। उसकी बहाली के बारे में मैं फिर देख लूंगा कि किस स्थिति में वह फिर अपने पद पर आ गया।

श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंहपुर ग्राम में कुल कितनी जमीन है, कितनी कृषि योग्य भूमि, कितनी भूमि बंजर है और कितनी में जंगल है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं निलकता है।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि लेखपाल ने उस भूमि को अपने रिश्तेदारों के नाम दर्ज कर दिया था और दे दिया है तो जब यह बात पता चली कि भूमि का आबंटन करके उनको कब्जा दे दिया गया और इन्दराज कर दिया गया, तो फिर उनको खारिज करके उनसे भूमि को वापस ले लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

पट्टे तो निरस्त कर दिए हैं, लेकिन जो रिश्तेदारों के कब्जे थे, वे हटे या नहीं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कार्यवाही हो रही है केवल इतनी रिपोर्ट आई है। साफ तौर से नहीं पता चला है कि पट्टे निरस्त हो पाये और कब्जा ले लिया गया है या नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस लेखपाल को मुअत्तल किया गया, उसको परगना अधिकारी ने अपनी सूचना के आधार पर निलम्बित किया है या शासन के आदेश होने पर निलम्बित किया गया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है। परगना अधिकारी ने उसे सर्विस से अलग कर दिया था।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जाँच कराने की कृपा करेंगे कि जब उस लेखपाल ने गलती से उस भूमि को अपने निश्तेदारों के नाम दर्ज कर दिया था. तो परगनाधिकारी द्वारा उसको निलम्बित करने के बाद उसे कोई चार्ज शीट दी गई या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया, इस गलत कार्य के लिए ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ऊदल—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि कोई चार्ज शीट दी गई या कोई मुकदमा न्यायालय में चलाया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर में दिया गया है कि "लेखपाल श्याम बिहारी लाल को उस अवैधानिक इन्दराज के सम्बन्ध में आरोप-पत्र देकर दिनाँक 29 फरवरी, 1976 को परगनाधीश द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है" तो चार्ज शीट दे दी गयी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

लेखपाल को परगनाधिकारी ने सेवा से पृथक किया तो उसकी अपील का अधिकार डी0एम0 के यहाँ था, वह ट्राइब्यूनल में कैसे पहुंच गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जब उसको बरखास्त कर दिया गया तो वह ट्राइब्यूनल में जा सकता है, उसे कठिनाई क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह आपत्ति करना चाहता हूं कि जो प्रश्न है, उसका सरकार जरा सावधानी से उत्तर दें। सवाल में ओझा जी ने पूछा है कि "यदि हां, तो भूमि किसके-किसके नाम दर्ज की गयी थी, इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?" यानी लेटेस्ट पोजीसन पूछी

यी थी, लेकिन उत्तर में उन्होंने 76 तक की कार्यवाही का उल्लेख किया कि लेखपाल को उस अवैधानिक इन्दराज के सम्बन्ध में आरोप-पत्र देकर 29 फरवरी को परगनाधिकारी के द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है। तो आज यदि अनुपूरक न होता तो यही कार्यवाही में छप जाता कि कार्यवाही हो चुकी है 1976 की। लेकिन अन्तिम स्थिति यह है कि लेखपाल कानूनगो हो गया है, तो यह उत्तर गलत है। आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश दें कि अब तक की स्थिति का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इसमें इतना और जोड़ना चाहिए था कि पृथक किया गया, परन्तु बोर्ड आफ रेवेन्यू के आदेश के द्वारा उन्हें बहाल किया गया, इसलिए इसको संशोधित कर देना चाहिए। जो अनुपूरक में आपने उत्तर दिया है, यह मूल प्रश्न में आना चाहिए था, तदनुसार इसको संशोधित कर देना चाहिए।

माननीय राजस्व मन्त्री, नेता विरोधी दल का प्रश्न यह है कि मूल उत्तर के अनुसार जो कार्यवाही की जा रही है वह 1976 की हुई. इस अपील के बाद में क्या कोई कार्यवाही और की गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बातें पढ़ने के बाद जब ट्रायब्यूनल ने उसको अपने स्थान पर बहाल कर दिया तो मैंने तुरन्त आदेश दे दिए कि किस परिस्थिति में गलत इन्दराज किये हैं और कैसे जजमेंट हो गया, मैंने जजमेंट भी मंगाया है और जो गलती की है, तो सरकार जो सम्भव हो सकेगा, वह करेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद गोझा—

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, अब नहीं। दो अनुपूरक प्रश्न हो गए, आपके।

मंगल देव विशारद भूमि-व्यवस्था जांच समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*13—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगलदेव विशारद भूमि, व्यवस्था जांच समिति का प्रतिवेदन जो 30 मार्च, 1974 को शासन को प्राप्त हुआ था, उस पर क्या कोई कार्यवाही सरकार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?.

श्री शारदा भक्त सिंह—

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट के अध्याय 14 में संस्तुतियों का सारांश दिया गया है, जिसके अनुसार 88 संस्तुतियां की गई हैं। कतिपय संस्तुतियों के कई अंश हैं। इन अंशों को मिलाने पर संस्तुतियों की कुल संख्या 172 होती है। इसमें से 105 स्वीकृत हुई हैं और 25 अस्वीकृत हुई हैं और शेष 42 विचाराधीन हैं। इनका विवरण

निम्न प्रकार हैं :—

(क) संस्तुतियां जो स्वीकार की गईं :—

संस्तुति संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7(1), 7(2), 7(3), 7(4), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18(1), 18(2), 18(3), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25(1), 25(2), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 27, 29, 30, 32, 33(1), 33(2), 35, 36, 37(2), 37(6), 37(8), 37(9), 37(9)(क), 37(10), 38, 39(1), 39(2), 39(3), 39(4), 40, 41, 42, 44, 46(1), 46(2), 46(3), 46(4), 46(5), 46(6), 46(7), 46(8), 46(9), 46(10), 47(1), 47(2), 47(3), 53, 56, 64(1), 64(2), 64(3), 64(4), 64(5), 64(6), 64(7), 66, 68, (1), 68(2), 68(3), 68(4), 68(5), 68(6), 68(7), 68(8), 69(1), 69(2), 69(5), 69(6), 69(7), 70, 72, 73, 74, 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87,

इनमें वह संस्तुतियां भी शामिल हैं जो आंशिक रूप अथवा संशोधित रूप में स्वीकार की गईं हैं।

(ख) संस्तुतियां जो अभी लम्बित हैं —

संस्तुति संख्या 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 48(1), 48(2), 48(3), 48(4), 48(5), 49, 50, 54(1), 54(2), 54(3), 54(4), 54(5), 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5), 55(6), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64(8), 65(1), 65(2), 65(3), 65(4), 65(5), 67, 69(3), 69(4), 76, 80, 83, 86।

(ग) संस्तुतियां जो अस्वीकृत हुईं—

संस्तुति संख्या 3, 8, 12(5), 17, 25(3), 28, 31, 33(3), 34, 37(1), 37(2-क), 37(3), 37(4), 37(5), 37(7), 37(9)(ख), 37(9)(ग), 43, 45, 51, 52, 64(9), 71, 84, 88।

श्री सिया राम सागर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंगलदेव विशारद समिति के भूमि सम्बन्धी प्रतिवेदन में गलत कब्जों का उल्लेख है, उस सम्बन्ध में कितनी भूमि का कब्जा हटा कर उसका वितरण कर दिया गया है और कितनी भूमि बकिया खाली प ी हुई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री सियाराम सागर—

क्या माननीय मन्त्री जी, मंगलदेव विशारद प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे जिससे कि सदन को जानकारी हो सके ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रतिवेदन तो सदन के समक्ष आ चुका है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

श्री मंगलदेव विशारद के प्रतिवेदन में श्री कमलापति त्रिपाठी और उनके परिवार के लोगों की जमीनें भी अवैध ढंग से कब्जा की हुई बतायी गयी हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जितनी भी ऐसी भूमि है, जिस पर अवैध कब्जा है, उस सारी की सूची बना कर कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पहले का उत्तर नहीं आया, दूसरे भाग का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि अभी पूर्ण विवरण नहीं है, जो संस्तुतियां हैं, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मंगलदेव विशारद समिति की रिपोर्ट में गोपालपुर फार्म और जोगिन्दर सिंह फार्म पर जो अवैध कब्जा है उनका, वह खत्म कराया गया या नहीं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जहां तक गोपालपुर फार्म का सम्बन्ध है, सारी जानकारी और छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि उसमें एक सौ से अधिक आदमियों के नाम दर्ज हैं, वह बेनामी है। केवल दो आदमी का इस पर कब्जा है और उस सम्बन्ध में सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो श्री कमलापति त्रिपाठी और उनके परिवार का गोपालपुर फार्म के सम्बन्ध में उल्लेख है, यह सारा मामला विवादास्पद है, अदालत में चल रहा है और दरअसल में यह 107 परिवारों की कोआपरेटिव है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रारम्भ में केवल 13-14 आदमी थे, लेकिन जब वृहत कर उस खाते पर लगाया गया, तो यह कहा गया कि यह बहुत बड़ी कोआपरेटिव है और इसमें बहुत से सदस्य हैं। इसीलिए मैंने बताया कि छानबीन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि सीलिंग से बचने के लिए बाद को नाम बढ़ा दिए गए बेनामी, लेकिन वस्तुत: केवल दो आदमी के कब्जे में है। इसलिए इसमें छानबीन हो रही है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपका प्रश्न यह है कि क्या इस प्रश्न को अदालत में चुनौती दी गयी है और यह अदालत में विचाराधीन है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

विशेष रूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पहले एक 229 का मुकदमा डिक्लेरेटरी दायर किया गया था और दोनों ने मिल कर डिक्री ले ली है। तो

क्या चीज वास्तविक है, इसकी छानबीन के बाद जो रिपोर्ट आयी है, वह यही है कि केवल दो ही आदमी थे, प्रारम्भ में। बाद में सीलिंग से बचने के लिए सारे प्रयत्न हुए हैं। तो मैंने वस्तुस्थिति बता दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो शुभ नाम अभी लिया गया माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का, वह प्रदेश और देश के मान्य नेता हैं। उनके सम्बन्ध में कोई भी बात सदन में कहने से पहले जो सही स्थिति हो, उससे माननीय मन्त्री जी को अवगत हो जाना चाहिए।

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह कोई यकायक मैं नहीं कह रहा हूं। इस गोपालपुर फार्म के सम्बन्ध में दूसरे सदन में एक प्रश्न आया था और उसका विस्तार से मैंने उत्तर दिया था। इसलिए यकायक नहीं, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कह रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

किस अदालत में वह मुकदमा दायर कर के और लोगों के नाम जोड़े गए? जिस अदालत में नाम बढ़ाए गए, उस अदालत ने उनसे मिल कर यह काम किया। तो क्या उस अदालत के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने की सोच रही है?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं है। (व्यवधान) शान्त रहिए आप लोग। यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने कितने एकड़ का फार्म गोपालपुर में बना रखा है और जिसका जिक्र इस मंगलदेव विशारद रिपोर्ट में है। मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित नहीं कहता लेकिन कई हजार बीघे का फार्म है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कानूनी संकटों के कारण इस प्रकार की भूमि जाँच व्यवस्था की ओर से जो नहीं इंगित है, क्या कोई वैधानिक तरीका माननीय मन्त्री जी अख्तियार करके कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बड़े-बड़े खातेदारों का प्रश्न है, अगर कानून के विरुद्ध अधिक भूमि किसी प्रकार से बचाए हैं, हम उनसे भूमि निकालना चाहते हैं। अगर कानून में परिवर्तन की भी आवश्यकता होगी, तो किया जायगा।

बिक्री-कर के दो लाख रुपए से अधिक के बकाएदारों की सूची

*14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 1977 के अन्त में बिक्री-कर के ऐसे बकाएदार कौन-कौन हैं जिन पर बिक्री-कर का 2 लाख रुपए से अधिक बकाया है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

प्रदेश के ऐसे व्यापारियों की सूची संलग्न है जिनके विरुद्ध जुलाई, 1977 के अन्त में बिक्री-कर का 2 लाख रुपए से अधिक बकाया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 647–651 पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची है उसमें साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक धन वसूल करने का हिसाब है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस इतनी बड़ी धनराशि को वसूल करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सूची में बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने न्यायालय के द्वारा या जज रिवीजन्स के द्वारा स्थगन आदेश ले चुके हैं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं, जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है। जिन अदालतों या जज रिवीजन्स के द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए हैं, उस स्टे आर्डर्स के वैकेट कराने के लिए वहाँ पर प्रार्थना-पत्र दिए जायं, ऐसा मैंने आदेश दिए हैं।

चकबन्दी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु आयोग गठित किए जाने की मांग

*15—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि चकबन्दी के विरुद्ध कम जमीनों की पैमाइश, मालियत के अनुसार चक न देने तथा बचत जमीन का गलत इस्तेमाल करने व मूल चक पर चक न देने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की छानबीन के लिए कोई आयोग गठित करने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ऐसा कोई विचार नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले के हरिजन छात्रावासों में अपव्यय की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सीतापुर जिले के हरिजन छात्रावास, सीतापुर तथा हरिजन छात्रावास, खैराबाद में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं जैसे गत 5 वर्ष का हिसाब शासन को न देना, हजारों रुपए के हिसाब का पता न होना, गत 5 वर्षों में वर्तन, बिछावन, पुस्तकें आदि जो शासकीय अनुदान

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

से खरीदी गयीं उनका गायब होना आदि, व्याप्त है तथा उसकी सूचना भी सरकार को लिखित रूप में अप्रैल, 1977 में मिली ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रामसिंह)—

जी हाँ।

इन छात्रावासों की परिचालक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपव्यय की गई धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

निबन्धन विभाग में निरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन का पद

1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में निरीक्षक स्टाम्प के अलग-अलग कुल कितने पद हैं तथा इनके सेलेक्शन ग्रेड के कितने पद हैं और इन सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर चयन में देरी का क्या कारण है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

निबन्धन विभाग में निरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के 20 पद हैं। इनमें सेलेक्शन ग्रेड का कोई पद नहीं है। अत: सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर चयन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

देवरिया जिले की नारायणी नदी (बड़ी गण्डक) के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को दी गयी सहायता

2—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह देवरिया जिले के नारायणी (बड़ी गन्डक) नदी के उस पार के बाढ़ पीड़ित लोगों के सहायतार्थ कोई राहत का कार्य कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जिले की नारायणी (बड़ी गन्डक) नदी के उस पार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ग्रामों की सुरक्षा हेतु 6 बाढ़ सुरक्षा केन्द्र तथा एक रिपोर्टिंग केन्द्र की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा चिकित्सा सुविधा देने हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नियुक्त हैं। 8 सरकारी नावें सहायता कार्य में लगी हुई हैं।

प्रभावित क्षेत्र से 290 परिवारों और 125 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उक्त क्षेत्र के कुल 2193 परिवारों में से 1689 परिवारों को 84-14-500 कुन्तल गेहूं तथा 2 कुन्तल नमक वितरित किया जा चुका है। वितरण कार्य अभी भी चल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कुओं में दवा डाली गई है। 1081 व्यक्तियों को हैजा निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं तथा 368 लोगों को अन्य रोगों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधायें पहुंचाई जा चुकी हैं। राहत कार्य जारी है।

देवरिया जिले को अहेतुक सहायता गृह निर्माण अनुदान तथा विशेष सहायता के मदों में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 2,07,000 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर मन्डल के जिलों में टेस्ट वर्क के लिए 23,50.000 रुपये का आवंटन भी किया गया है जिसमें देवरिया जिला भी सम्मिलित है। जिलाधिकारी को यह निर्देश दे दिए गये हैं कि जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो वहां टेस्ट वर्क चलाए जायं।

श्री अवधेश प्रसाद, सब-रजिस्ट्रार कानूनगो, बलिया के गायब होने की सूचना

3--श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवधेश प्रसाद, सब-रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील बांसडीह, जिला बलिया, दिनांक 20 जनवरी, 1969 को ड्यूटी पर से रहस्यमय ढंग से गायब कर दिए गए,, क्या उसकी सूचना सरकार को है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

श्री अवधेश प्रसाद सब-रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील, बांसडीह, जिला बलिया 2 सप्ताह की चिकित्सा अवकाश के बाद दिनांक 16 जनवरी, 1969 को तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए और दिनांक 18 जनवरी, 1969 तक कार्यालय आते रहे। दिनांक 19 जनवरी, 1969 को रविवार था। वे 20 जनवरी, 1969 को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और तबसे उनका कोई पता नहीं लगा। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्हें रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया है।

देवरिया जिले की हाटा तहसील के नायब तहसीलदार तथा कुर्क अमीन के पद

4--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की तहसील हाटा में कितने नायब तहसीलदार तथा कितने कुर्क अमीन हैं तथा उनमें से कितने कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला देवरिया की तहसील हाटा में कुल 7 नायब तहसीलदार तथा 1 कुर्क अमीन तैनात है। उक्त 7 नायब तहसीलदारों में से चार कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं।

शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील में मेड़ बन्दी हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

5--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की तहसील, तिलहर में दिनांक 11 अगस्त, 1977 तक स्थायी मेड़ बन्दी हेतु कितने प्रार्थना-पत्र मौजूद थे ? और क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रार्थना-पत्र इनमें से तीन वर्ष से अधिक के बिना निर्णय के पड़े हैं ? और इन पर कार्यवाही कब तक हो जावेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला शाहजहांपुर की तहसील, तिलहर में दिनांक 11 अगस्त, 1977 को स्थायी मेंड़ बन्दी हेतु कुल 386 प्रार्थना-पत्र निस्तारण के लिए अवशेष थे जिसमें 199 वाद तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। सभी वादों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि लगभग 6 माह के अन्दर कुल वादों का निस्तारण हो जायगा।

बदायूं जिले के अवकाश प्राप्त कथित नायब तहसीलदार

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1970-71 वर्ष में बदायूं जिले से अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे कौन-कौन नायब तहसीलदार हैं जिन्हें अभी तक पेन्शन, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी का धन नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब तक प्राप्त हो जाएगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष 1970-71 में जिला बदायूं से कोई नायब तहसीलदार सेवा निवृत्त नहीं हुआ।

चकबन्दी अधिकारी, महुली (प्रतापगढ़) के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

7—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी अधिकारी, महुली, प्रतापगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी सम्बन्धित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1976 को कुछ व्यक्तियों द्वारा दिया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त प्रार्थना-पत्र का क्या हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दिनांक 1 फरवरी, 1976 का ऐसा कोई शिकायती-पत्र चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थियों ने किस अधिकारी को दिया इसकी निश्चित सूचना प्राप्त होने पर ही और छानबीन कराई जा सकती है।

इलाहाबाद व लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत रिक्त तहसीलदारों के पद

8—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद व लखनऊ मन्डलों की कौन-कौन सी सदर तहसीलें बिना तहसीलदार पद पर तदर्थ नियुक्तियों के इस समय खाली पड़ी हुई हैं जिनमें राजस्व परिषद् ने या आयुक्तों ने पिछले तीन महीने या उससे अधिक अवधि से तदर्थ या सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इलाहाबाद मण्डल के इटावा जिले की सदर तहसील तथा लखनऊ मण्डल के लखनऊ जिले की सदर तहसील के तहसीलदार के पद बिना तदर्थ नियुक्ति के तीन माह से अधिक समय से खाली पड़े थे जिनमें जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रबन्ध किया गया है। जिला इटावा की रिक्ति का प्रबन्ध परिषद् द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1977 को किया जा चुका है। लखनऊ सदर तहसील की रिक्ति परिषद् द्वारा भरी गयी थी, लेकिन मन्डलायुक्त ने सदर तहसील, लखनऊ की रिक्ति न भर कर परिषद् द्वारा तैनात अभ्यर्थी को मण्डल की अन्य रिक्ति में व्यावर्तित कर दिया क्योंकि मन्डल के अन्दर तहसीलदारों की तैनातो मण्डलायुक्त करते हैं। किन परिस्थितियों में वह व्यावर्तन आवश्यक हुआ, मन्डलायुक्त से पूछा जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ में ओला-वृष्टि तथा प्रदान की गयी अहेतुक सहायता

9—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में माह अप्रैल-मई, 1977 में ओला-वृष्टि से फसलों एवं फलों की हुई क्षति 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के लगभग है ? क्या क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कृषकों एवं उद्यानपतियों के प्रार्थना-पत्र शासन (जिलाधिकारी) को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया और क्षतिग्रस्त लोगों को क्या-क्या राहत दी गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

पिथौरागढ़ जिले में माह अप्रैल व मई, 1977 में ओला वृष्टि से 675 ग्रामों की फसलों एवं फलों को क्षति 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हुई है।

सहायता हेतु कृषकों एवं उद्यानपतियों के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में जिले की तहसीलों में निम्नलिखित अहेतुक सहायता प्रदान की गयी है :—

नाम तहसील		धनराशि रुपया
पिथौरागढ़	..	2,000
डीडीहाट	..	3,000
धारचूला	..	16,000
मुनस्यारी	..	3,000
चम्पावत	..	35,000
कुल	..	59,000

इसके अतिरिक्त तहसील चम्पावत में जहां सबसे अधिक हानि हुई है, तीन टेस्ट वर्क भी चलाए जा रहे हैं। चम्पावत तथा डीडीहाट तहसीलों में कृषकों एवं उद्यानपतियों को तकावी ऋण वितरण हेतु प्रत्येक तहसील को 10,000 रु0 आवंटित कर दिया गया है।

भू-राजस्व तथा भूमि विकास कर की वसूली स्थगित कर दी गयी है तथा कृषि से सम्बन्धित ऋणों की वसूली में दिनांक 30 सितम्बर, 1977 तक कोई उत्पीड़िक कार्यवाही न किए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गोरखपुर जिले के ग्राम टेढ़वा के लेखपाल व प्रधान द्वारा किया गया भूमि का अनियमित पट्टा

10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांव टेढ़वा, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर के गांव प्रधान एवं लेखपाल गांव समाज की भूमि वितरण करने की अनियमितता में 1976 के प्रारम्भ में मुअत्तल किए गए थे ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। दोनों के विरुद्ध आरोप थे कि उन्होंने 72-73 एकड़ भूमि का पट्टा सही व्यक्तियों में न करके भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों, उनके परिवार के लोगों; प्रधान के लड़कों तथा गाँव सभा के बाहर के लोगों के नाम कर दिया। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप था कि उन्होंने गांव के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सही सूची तैयार नहीं की थी।

11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री इन्द्रपाल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, श्री इन्द्रपाल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये सुल्तानपुर जिले के पतरौला गांव के निवासी थे। इनका जन्म 1917 में हुआ था। ये अपने निवास-स्थान से लखनऊ आ रहे थे, दुर्भाग्यवश बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के निकट बस से और ट्रक से भिड़न्त हो गयी, जिसमें घायल होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। सन् 1962 में आम चुनाव जो हो रहा था, उस सिलसिले में वह इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य के रूप में जीत कर आए थे और 1967 तक वह इसके स्दस्य थे। सुल्तानपुर जनपद उनके निधन से बहुत ही दुःखी है और उस जनपद की अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका बहुत से सेवा संस्थाओं से अटूट सम्बन्ध रहा है जिसके कारण सुल्तानपुर जनपद तो बहुत ही शोकाकुल है ही, उन्होंने जो वहां काम किया था, उस कमी को पूरा किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं चाहता हूं कि हमारे सदन की समवेदना, जो उनका शोक सन्तप्त परिवार है, उस तक आपके माध्यम से पहुंचा दी जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, स्वर्गीय इन्द्रपाल जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनके अभिप्राय और मन्तव्य से अपने को पूर्णत: सम्बद्ध करता हूं और स्वर्गीय इन्द्रपाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस दुर्घटना का वह शिकार हुए और समय से पहले ही हमारे बीच से उठ गए, वह बहुत ही दुखद है। पहले भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हमें अपने सम्मानित साथियों से बिछुड़ना पड़ा है। उस सन्दर्भ में यह घटना और भी दुखद प्रतीत होती है। स्वर्गीय इन्द्रपाल जी ने सुल्तानपुर जनपद की, विधायक के रूप में और एक सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में, जो सेवायें की हैं वह सुल्तानपुर जनपद में और आस-पास में, उनकी स्मृति को चिरकाल तक संजोए रखेंगी। मेरा उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ लेकिन जो कुछ मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उनके न होने से आज विशेष रूप से सुल्तानपुर जनपद के नेतृत्व में एक रिक्तता आई। श्रीमन्, मेरा भी आपसे आग्रह है कि आप उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति इस सदन की और हमारे दल की समवेदना को पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, स्वर्गीय इन्द्रपाल जी के सम्बन्ध में माननीय नेता, सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, नेता सदन ने जैसा जिक्र किया कि उनका निधन एक एक्सीडेन्ट में हो गया यह और भी दुखद हम सबके लिए है। इसलिए श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारे दल की समवेदना को आप जरूर पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय इन्द्रपाल जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर मुझे हार्दिक दुख हुआ। श्रीमन्, इन्द्रपाल जी सुल्तानपुर जिले के एक बहुत ही अच्छे हरिजन कार्यकर्ता थे और सन् 1962 से 1967 तक इस सदन के सदस्य रहे। उनके सगे भाई यहां पर राजस्व विभाग में सेक्शन आफिसर हैं। वह एक बहुत अच्छे हरिजन परिवार के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके निधन से सुल्तानपुर जिले को विशेष क्षति हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल की तरफ से उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदनायें भेज दी जायं।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री इन्द्रपाल जी के निधन पर जो भावनायें और समवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय दल के नेता ने व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। सन् 1962 से 1967 तक विधान सभा में मुझे उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला था और कई मर्तबा उनके निर्वाचन क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला था। वह बड़े निस्पृह और मूक सेवक थे और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, वह अत्यन्त दुखद है। बाराबंकी जिले में वह एक दुर्घटना के शिकार हुए और तत्काल उनकी मृत्यु हो गयी। इससे सुल्तानपुर जिले की विशेष रूप से और प्रदेश की व ी क्षति हुई है। विशेषकर हरिजन समाजसेवकों में उनका ऊंचा स्थान था, इससे हरिजन कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी कमी हो गई है। उनके परिवार के साथ मैं भी अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, मैं उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए निर्देश दे रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि सब लोग 2 मिनट उनके लिए खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 30 और 32 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में है। इसमें मेरा निवेदन है कि यह सही है कि इन नियमों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना अध्यक्ष महोदय का अधिकार है। लेकिन नियम 32 के अन्तर्गत जो प्रश्न स्वीकार हो जाते हैं उनकी प्रतिलिपि सदस्य को भेज दी जाती है। उसमें लिख दिया जाता है कि अमुक तिथि को यह लिए जायेंगे। लेकिन मेरे साथ यह हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि दो प्रश्न स्वीकार होने के बाद जिनकी प्रतिलिपि आ गयी और तिथि भी निर्धारित कर दी गयी किन्तु उसके बाद मुझे कल एक सूचना मिली और आज एक सूचना मिली कि यह पुनरावृत्ति होने के आधार पर निरस्त कर दिए गए और आज तक वह सूची में नहीं आए। इसलिए मेरा कहना है कि स्वीकार करने के बाद अकारण या काल्पनिक आधार पर सदस्यों के प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाना सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस पर जांच करावें कि जो प्रश्न स्वीकार कर लिए जाते हैं वह काल्पनिक आधार पर जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि पुनरावृत्ति के आधार पर जबकि आज तक वह आए नहीं तो पुनरावृत्ति कैसे हुई, निरस्त नहीं होने चाहिए। इससे नियमों का हनन होता है।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो आपकी शिकायत है, मैं उसको देखूंगा कि पहले इस प्रकार के कोई प्रश्न इसी सत्र के अन्दर आए हैं कि नहीं। यदि नहीं, आये तो आपकी शिकायत सही है। इस सम्बन्ध में मैं जांच करने के बाद में सूचना दे दूंगा।

नियमावलियों को सदन के पटल पर पुनः रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है कि आज की कार्य सूची के मद संख्या 3, 4, 5, 8, 9 और 15 में इन सब मदों में इसके पूर्व जितने गजट प्रकाशित हुए थे और नियमावली में परिवर्तन हुआ था यह कार्य पिछली सरकार का था जिसको इन्होंने किया था। श्रीमन्, जो यह अधिकार सरकार को प्राप्त होता है नियम और उप नियम बनाने का, वह इस सदन द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसलिए इस सदन के सामने यह नियम और उप नियम रखे जाते हैं ताकि कोई माननीय सदस्य इसमें कोई संशोधन करना चाहें तो कर सकें। मैं इस पर अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहता हूं। कि इतने दिन बाद यह नियमावली सदन के पटल पर रखी जा रही है तो क्या इस कालावधि को बढ़ाकर पिछली कालावधि रखी गयी है। उसको बढ़ाकर इस सदन के पटल पर रखें ताकि सदस्यों को कोई संशोधन देना हो तो उतने पूरे दिन मिलें जो नियम के अन्तर्गत इस सदन में रखना आवश्यक है—पूरे 30 दिन का।

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है उसमें चूंकि सदन का विघटन हो गया और पुनः सदन का संगठन हुआ है और इसीलिए तो पटल पर पुन: रखी जा रही है। इसलिए माननीय सदस्यों को नियमों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से अपने सुझाव देने का अवसर होगा अन्यथा पटल पर रखने का कोई अर्थ ही नहीं था।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से पुरानी सरकार के बारे में अभी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की। चौथे आइटम में देखें। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976, जो दिनांक 30 मार्च, 1977 को सदन के पटल पर रखी थी और विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण जिसकी निर्दिष्ट कालावधि पूरी नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप इसमें क्यों पड़ रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

काम तो हुआ था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप देखें . . .

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने देखने का कष्ट नहीं किया। 1976 से आ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को अनुमति नहीं दी थी। आप बैठें।

स्वास्थ्य विभाग की परफार्मेन्स रिपोर्ट समय से न बंटने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य विभाग के अनुदान प्रस्तुत होने जा रहे हैं। यह उस विभाग की परफारमेन्स रिपोर्ट है जो कि आज हमें मिली है। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवार कल्याण विभाग के अनुदानों पर चर्चा होगी। लेकिन यह पुस्तिका हमें आज ही पिजियन होल में मिली है। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग का बजट था और उसके सम्बन्ध में कल सुबह ही उनकी परफारमेन्स रिपोर्ट की पुस्तिका मिली। श्रीमन्, आप देखें कि हमसे यह आशा की जा सकती है कि इन तीन-तीन रिपोर्ट्स को हम देखें भी और फिर संगत बात भी कहें। नियम के अनुसार एक दिन पहले मिलनी चाहिए। लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। या तो बांटने की गलती है और अगर वह है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि वह गलती नहीं बल्कि जिनको देना है वह बांटने वालों को नहीं देते। आपने स्वयं लोक सभा और राज्य सभा में देखा है कि ज्यों ही बजट प्रस्तुत होता है तो जिस विभाग की रिपोर्ट छप कर आ जाती है, वह वितरित कर दी जाती है। इससे सदस्यों को तैयारी करने में सुविधा होती है।

एक और बात है। माननीय मन्त्रीगण अपनी सुविधानुसार, मैं नहीं कहता गलत सुविधानुसार, कभी परिवर्तन चाहते हैं जैसे शिक्षा मन्त्री जी बीमार हैं इसलिए 26 की ग्रान्ट किसी दूसरे दिन होगी। हो सकता है बाद में हो या पहले हो। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि हम पहले के लिए तैयार हों या बाद के लिए तैयार हों। पता नहीं कागज भी मिलेगा या नहीं। अगर पहले से कागज मिल जाया करे तो हम तैयार कर लें। मैं समझता हूं कि हमारी यह मांग अनुचित नहीं है, उचित है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में पहले भी निर्देश हैं कि विभागीय रिपोर्ट कम से कम तीन दिन पहले माननीय सदस्यों को मिल

जानी चाहिए। अगर रिपोर्ट तैयार है तो तीन दिन का भी इन्तजार नहीं करना चाहिए। राज्य सभा और लोक सभा में यह परिपाटी है कि जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है और जिस विभाग की रिपोर्ट छप जाती है वह तुरन्त माननीय सदस्यों को दे दी जाती है। इससे अपनी पसन्द के मुताबिक माननीय सदस्यों को तैयारी करने का अवसर मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि जो भी रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है वह सदस्यों में वितरित करने के लिए दे दी जाय। मेरे कक्ष में लोग आए और इसके बारे में कहा गया कि आज उनको स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट मिली है। मैंने इसकी जांच की। कल शाम को विभाग से रिपोर्ट आयी थी। आज ही यह मिली है तो माननीय सदस्य पूरा न्याय नहीं कर सकते हैं। मुख्य मन्त्री जी व्यवस्था करें कि जो भी विभागीय रिपोर्ट छप कर तैयार हों वह माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जायं।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में देखेंगे और यह जरूर चाहेंगे कि पहले ही हमारे सम्मानित सदस्यों को सारी रिपोर्ट मिल जाय ताकि उनके लिए आसानी हो सके।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

सुविधा तो हम लोगों को होगी। यह तो माननीय नेता विरोधी दल के कार्य कलापों से सम्बन्धित था तो श्यामधर जी उन्हीं से पूछ लेते तो क्या हर्ज था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैं तैयार हूं बजट पेश करने के लिए . . . .

श्री श्यामधर मिश्र---

आप तरक्की करने के लिए आए हैं वरना इधर आयें।

ग्राम सदरपुर, जिला सीतापुर की राजकीय प्राइमरी पाठशाला की इमारत ढह जाने से कुछ छात्रों की मृत्यु तथा घायल होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सीतापुर जिले की तहसील, महमूदाबाद में ग्राम सदरपुर स्थित राजकीय प्राइमरी पाठशाला का भवन इतना जीर्ण हो गया था कि गत 19 सितम्बर, 1977 को इसकी छत अकस्मात ढह गयी तथा उसके नीचे बैठे छात्र बुरी तरह से घायल हो गए कुछ छात्र मर भी गए तथा 10 छात्रों की दशा चिन्ताजनक है। भवन कभी भी गिर सकता था इसकी सूचना कई बार बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों को दे दी गयी थी फिर भी न तो उसकी मरम्मत करायी गयी और न स्थान बदला गया। इसी प्रकार जिले के सैकड़ों भवनों की दशा इतनी जीर्ण है कि वह कभी भी किसी भी समय ढह कर छात्रों को नष्ट कर सकते हैं।

आवश्यकता है कि घायल छात्रों की चिकित्सा आदि का पूर्ण प्रबन्ध किया जाय तथा भवन की मरम्मत समय से न कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा उक्त भवन सहित सभी उन भवनों की मरम्मत अविलम्ब करायी जाय जो जीर्ण हो चुके हैं। शासन इस हेतु विशेष अहेतुक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

वाराणसी नगर महापालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान 19 सितम्बर को वाराणसी नगर महापालिका के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लाना चाहता हूं कि 19 सितम्बर को वाराणसी नगर महापालिका के कर्मचारियों ने एकाएक हड़ताल कर दी और नगर महापालिका कार्यालय को चारों ओर से घेर लिया, हड़ताल अभी भी जारी है उनकी मांग है कि महापालिका के उप प्रबन्धक को गाली देने और एक विभागाध्यक्ष, श्री जगदीश सिंह पर डन्डे से प्रहार करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाय। बताया जाता है कि दो व्यक्ति महापालिका के उप प्रशासक के कमरे में घुस गए और उनसे चुंगी विभाग के एक कर्मचारी के तबादले को रोकने के लिए कहा इस पर उप प्रशासक ने कहा कि यह तबादला स्वयं प्रशासक ने किया है अत: वे इसे रोक नहीं सकते हैं इस पर दोनों व्यक्तियों ने गाली दी और विभागाध्यक्ष, श्री जगदीश सिंह पर प्रहार किया इस घटना से सम्पूर्ण महापालिका कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। शहर में अव्यवस्था एवं आतंक का वातावरण विद्यमान है। पवित्र काशी नगरी गन्दगी का भन्डार बन चुकी है।

अत: श्रीमान् जी के माध्यम से सरकार की ओर से इस घटना पर वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

अरुणकुमार जी, स्थान ग्रहण कीजिए..

श्री अरुण कुमार—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। अपने सूचना में लिखे, के अतिरिक्त जो कहा है वह प्रोसीडिंग्स का अंग नहीं होगा।

श्री अरुण कुमार—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आपको अनुमति नहीं देता हूं। यह प्रोसीडिंग्स का अंग नहीं होगा। सिर्फ "वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं" यहीं तक लिखा जायगा।

आफिसर्स होस्टल, लखनऊ से जर्नलिस्ट, श्री श्रीराम पांडिया के निकाले जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आफीसर्स होस्टल जो लखनऊ के शक्ति भवन के पीछे बना हुआ है, उसमें अफसरों को रहने की अनुमति दे दी गयी...

नोट—(×××) श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप व्याख्यान न दें । मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । जो दिया है उसी को पढ़ कर सुनायें।

श्री डी० पी० बोरा—

आफिसर्स होस्टल में 13 सूट्स वर्किंग जर्नलिस्ट्स को देने के लिए रखे गए थे । इसमें से अधिकतर फ्लैट्स नान जर्नलिस्ट्स के पास हैं और अचानक एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, श्री श्री राम पांडिया को 4 सितम्बर को जबरदस्ती निकाल कर बाहर कर दिया गया। इससे प्रदेश के वर्किंग जर्नलिस्ट्स में बड़ा असन्तोष है । कृपया मुख्य मन्त्री जी से इसमें वक्तव्य दिलाने की कृपा करें कि बिना किसी नोटिस दिए एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को निकाल कर अन्य को दे दिया है। ऐसा क्यों किया गया ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह बहुत अनुचित है। इस पर फौरन कार्यवाही की जाय।

प्रदेश में बिजली की कटौती के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश सूखे के प्रकोप से प्रभावित है । ऐसे समय में विद्युत् परिषद् ने दिनांक 22 सितम्बर, 1977 से निर्णय लिया है कि पीक आवर में तीन घंटा और दिन में 7 घंटा कुल मिलाकर 10 घंटा बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दी जायगी जब कि अभी एक माह पूर्व माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने बयान दिया था कि 24 घंटा बिजली किसानों को मिलेगी। इसके बाद बिजली कटौती में इस निर्णय से किसानों में असन्तोष पैदा हो रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि हरदुआगंज विद्युत् स्टेशन में 6 मशीनों में से चार खराब हैं। पनकी में चार में एक मशीन खराब पड़ी है। ओबरा थरमल में पांच मशीनों में एक मशीन खराब है, छिबरों में चार मशीनों में से दो नहीं चल रही हैं । रिहन्द का जल स्तर इसी दिन की अपेक्षा 11 फिट ज्यादा है इसके बावजूद भी मशीनों में सुधार न कर बिजली की कटौती करना किसानों के लिए एवं उद्योग के लिए एक गम्भीर विषय की बात है । इस निर्णय से प्रदेश में बड़े पैमाने पर असन्तोष फैलने व कृषि व औद्योगिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।

अत : इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाने के लिए माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मन्त्री जी प्रश्नों के बाद कृपया इनका उत्तर दें। इसमें फिर कोई विवाद नहीं होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनिश्चित कालीन बन्दी के विरोध में भूख हड़ताली छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है। एक दर्जन छात्र नेता जिन्होंने विरोध में भूख हड़ताल की, गिरफ्तार किए गए। छात्र

[बाबा राम आधार यादव]

समुदाय में भीषण हलचल है। स्थिति विस्फोटक है। लड़के संघर्ष समिति बना चुके हैं तथा संघर्ष करने को तत्पर हैं।

यह दुखद स्थिति केवल अधिकारिक उदासीनता, अकर्मण्यता एवं व्यापक दृष्टिकोण की कमी है। छात्रों की मांग जहां तक उनके सार्वजनिक बयान का प्रश्न है, न्यायपूर्ण है।

विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग है कि आपातकाल के पूर्व 1974 में हर कक्षा में जितने छात्र प्रवेश पाते थे उतने ही अब की वर्ष प्रवेश दिए जायं। 1974 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में 1850 छात्र भर्ती किए गए थे अब की वर्ष केवल 1650 छात्रों को प्रवेश दिया जाना तय किया गया है। 1974 के बाद से शिक्षकों की संख्या काफी बढ़ी है, कोई औचित्य, छात्र संख्या कम किए जाने का नहीं है। कला संकाय में जहां प्रैक्टिकल नहीं होते, तब छात्रों की संख्या बढ़ जाने से कोई नुकसान नहीं होगा।

कुलपति जातिवाद की राजनीति फैला रहे हैं। कई जगह कई लोगों से उन्होंने लोक नायक, जय प्रकाश नारायण, प्रधान मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई तथा जनता के कई मन्त्रियों के बारे में बेहूदी बातें कही हैं तथा यहां तक कहा है कि जे0पी0 देश में अनुशासन खत्म कर रहे हैं। सरकार उन्हें अविलम्ब हटाए।

अत: उपरोक्त लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा चाहता हूं ताकि आपातकाल में बढ़ी हुई फीस घटाई जाय। 1974 में जो फीस थी वही फीस ली जाय। बी0ए0, बी0 एससी0, एम0ए0, एम0एससी0 में स्थान बढ़ाए जायं जो मीसा में बन्दी छात्र हैं उनको रिहा किया जाय।

चिकित्सा विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक, 1977–78 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो पुस्तिका मिली है, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा विभाग 1977-78 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक। इसमें मान्यवर, तमाम वही बातें दी गई हैं जो कल हरिजन समाज कल्याण विभाग की पुस्तिका में दी गई थीं, वह सारी ज्यों की त्यों इसमें रख दी हैं, हरिजनों को आवास सुविधायें, आगे फिर देखें, अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में, यह तो मान्यवर, कल बजट डिमान्ड पर चर्चा हुई थी। इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। इसमें जो यह शिकायत है जिस वक्त बजट आये उस वक्त कहें।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–1976†

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में बारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन, 1975-76 को शासनादेश संख्या ए-3001/25-सी0एक्स0/ए-64, दिनाँक 8 जुलाई, 1964 के पैरा 4 (च) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976††

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 24/16–1976–कार्मिक–1, दिनाँक 15 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976, जो दिनाँक 30 मार्च, 1977 को सदन के पटल पर रखी गई थी और विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण जिसकी निर्दिष्ट कालावधि पूरी नहीं हुई, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976††

बेसिक शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 11273/15–10–76–4(18)–76, दिनाँक 29 दिसम्बर, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चौदहवां) आदेश, 1977†

बेसिक शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 1875/15–10–77, दिनाँक 20 अप्रैल, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चौदहवाँ) आदेश, 1977 को उत्तर प्रदे विश्वविद्यालय पुन: अधिनियमन तथा संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पन्द्रहवां) आदेश, 1977 †

बेसिक शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या 3010/15–10–77, दिनाँक 18 जून, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठि-नाइयों को दूर करना) (पन्द्रहवां) आदेश, 1977 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय पुन: अधिनियमन तथा संशोधन, अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सोलहवां) आदेश, 1977†

बेसिक शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 4237/15–10–77, दिनाँक 9 अगस्त, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सोलहवां) आदेश, 1977, को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1977††

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–1401/दस–9(7)–76–उ0 प्र0 अधि0 15/48–आदेश, 1977, दिनाँक 11 अगस्त, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बिक्री-कर अनुभाग 2 की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० 2-10262/10-4(5)-75, के सम्बन्ध में जारी किया गया शुद्धि-पत्र†

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सख्या एस0टी0-2-10262/10–4(5)–75, दिनाँक 2 जनवरी, 1976 के सम्बन्ध में जारी किए गए शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0–2–301/दस–4(5)–75, दिनाँक 20 अप्रैल, 1976 को, जो कि 12 मई, 1976 को सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नही गयी।

वित्त बिक्री-कर अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां†

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की—

(1) दिनाँक 1 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 2-2546/10-76-6(37)-75, दिनाँक 30 अप्रैल, 1976,

(2) दिनांक 20 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-2956/10-6(17)-76, दिनाँक 20 मई, 1976,

(3) 1 सितम्बर, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-5155/10-9(46)-76, दिनाँक 1 सितम्बर, 1976 तथा

(4) दिनाँक 11 सितम्बर, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5284/दस-9(46)-76-उ0प्र0अ0-15/48-आदेश-76, दिनाँक 11 सितम्बर, 1976, जो 10 सितम्बर, 1976 को सदन के पटल पर रखे गए थे तथा विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण न कर सके, को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (8) के अनुसार पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1715 (एस0टी0)-36-1-199(एस0टी0)-75, दिनांक 26 जुलाई, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75††

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इसमें मेरा एक प्रश्न है, यदि आप इसकी इजाजत हमें दें। यह जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसको मन्त्री जी ने रखा है यह वर्ष 1974-75 के बारे में है, तो वर्ष 1975-76, 1976-77 की रिपोर्ट कब मिलने वाली है? दूसरी बात उद्योग के बारे में 3 दिन पहले जब ग्रान्ट हुई थी तो उस समय तीन दिन पहले यह मिल गयी होती तो इसका हम प्रयोग कर लेते, अब इसका क्या महत्व?

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल इस प्रश्न को उठाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। 1974–75 की रिपोर्ट है 1975–76 की रिपोर्ट आपको रखनी चाहिए थी।

श्री श्यामधर मिश्र—

अब कब वह मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब तैयार होगी, तब देंगे।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 3–9(1)/76–(139–76)–1–5, दिनांक 30 अगस्त, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन नियमावली, 1976 तथा अधिसूचना संख्या 3–9(2)/76(175), दिनांक 19 फरवरी, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977, जो क्रमश: दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 तथा 30 मार्च, 1977 को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और विधान सभा का विघटन होने के फलस्वरूप निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं कर सकी, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 901-एच–77/तेईस–आई(4)12(रेट)–76, दिनांक 15 फरवरी, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1973 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका, इलाहाबाद चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से नगरपालिका अनुभाग–6 की विज्ञप्ति संख्या 2095-बी0/11–6–167–27, दिनांक 23 अप्रैल, 1977 में प्रकाशित नगर महापालिका, इलाहाबाद, चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

निवास अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र †

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से निवास अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या 1404/37-2-28(एच0बी0)-65, दिनांक 11 मार्च, 1972 तथा विज्ञप्ति संख्या 1678(1)/37-2-28(एच0बी0)-65, दिनांक 4 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र जो कि क्रमश : 26 मार्च, 1977 तथा 30 मार्च, 1977 के उपवेशनों में विधान सभा के पटल पर रखे गए और विधान सभा का विघटन हो जाने के फलस्वरूप निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण न कर सके, को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उपधारा (3) के अनुसार पुन : सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, 1977-78†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

मान्यवर, आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, 1977-78 (भाग प्रथम) एवं (भाग द्वितीय) को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना की तीन सूचनाएं मुझे को प्राप्त हुई हैं। एक श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने दी है। वह इस प्रकार है---श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने 23 जुलाई, 1977 को शून्य प्रहर में मेरी अनुमति से सदन में एक सूचना दी थी जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित थी। इस सूचना के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मन्त्री ने एक सप्ताह के भीतर उत्तर न दे कर लगभग दो महीने बाद यह सूचना दी है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी और सूचना आने पर उत्तर दे दें। मैंने सदन में यह निर्देश दिए हैं कि शासन एक सप्ताह में उत्तर दे और उत्तर न दे सकें तो अन्तरिम उत्तर दे दें और इस पर कार्यवाही करके सूचना बाद में भेज दें। इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जो प्रश्न उठाया गया है, उसकी सूचना माननीय सदस्य को दे देंगे।

श्री हरि मोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सिंचाई शाखा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा खान मोहम्मद आतिफ खां ने श्री हरि मोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई शाखा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि वे 20 सितम्बर, 1977 को सायंकाल 4.45 बजे उक्त विशेष सचिव के कमरे में गए। माननीय सदस्य के कमरे के अन्दर घुसते ही उक्त सचिव आग बबूला हो गए और उनको बिना कुछ सुने बाहर जाने को कहा। माननीय सदस्य ने अपना परिचय भी दिया किन्तु वे बहुत जोर से बोले कि आप लोग बकवास करने चले आते हैं, जाइए मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मेरी शिकायत करेंगे। आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जाइए, निकल जाइए कमरे से। माननीय सदस्य की उक्त सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि किस कार्य से उक्त विशेष सचिव के कमरे में गए थे। विशेषाधिकार की अवहेलना का या सदन के अवमान का प्रश्न तभी उठता है जब माननीय सदस्य ....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप जानते हैं कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर कोई बहस नहीं होती है। मैंने उसको पढ़ लिया है। मैं देखता हूं कि सदन की अवहेलना या अवमान का प्रश्न है या नहीं ?

(श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मैं आपकी आज्ञा से इस सिलसिले में आपको जानकारी दे दूं कि मैं श्री हरीमोहन सिंचाई के विशेष सचिव के यहां पहुंचा और मैंने अपना नाम भेजा। श्री राम दत्त जोशी विधायक भी थे, उनको भी वापस कर दिया। मुझसे श्री हरी मोहन ने कहा कि बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है। आप लोग मेरा समय बरबाद कर रहे हैं। एक निरन्कार लाल अग्रवाल हैं उनको दो साल पहले हटा दिया गया था यह सिंचाई विभाग के स्कूल के प्रिंसिपल थे, सिंचाई मन्त्री जी ने टेलीफोन पर कहा था कि यह जानकारी वे मुझको दे दें। पहले भी एक बार मैं श्री निरंकार लाल अग्रवाल के साथ गया था तो मुझसे हरी मोहन ने कहा था कि आप क्यों इनके साथ आए हैं? मुझे जो कुछ बताना होगा मैं इन्हें बता दूंगा। इस प्रकार से अगर विधायकों की तौहीन होगी तो कैसे काम चलेगा? यहां पर कुछ कर्मचारी संजय गांधी के नामिनी बन कर आए हैं उसी का यह नतीजा है कि विधायकों की तौहीन की जा रही है। अगर विधायकों का यह काम नहीं है कि वे अपने क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने के बारे में किसी अधिकारी से मिल सकें तो उन्हें कोई दूसरा काम दे दिया जाए ताकि वे उसी में फंसे रहें। हमें एक लाख 25 हजार जनता ने चुनकर भेजा है अगर हमारी तौहीन होती है तो उस एक लाख 25 हजार जनता की तौहीन होती है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी हड़ताल की धमकी देते हैं उसी तरह से अगर हुजूरवाला विधायक भी स्ट्राइक कर दें तो विजारत का यह लाल किला जमीन पर आकर रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय अब समाप्त हो रहा है। आप कृपया समाप्त कीजिए। इस प्रश्न पर अब वाद-विवाद नहीं होगा। यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं, इक्जैक्टली चाहे वह विशेषाधिकार के क्षेत्र में न आती हों, लेकिन माननीय सदस्य के साथ एक अधिकारी ने जो व्यवहार किया, यह जानने के बाद कि वह सदस्य हैं, वह भी जनता पार्टी के तो एक ऐसे मामले की जानकारी करने गए थे जो उन्होंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में चाही थी। इसके बाद उनका यह व्यवहार हो, इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया जाना आवश्यक है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मन्त्रिगण पहले सदस्य हैं इस सदन के और उसके बाद मन्त्री हैं और इसीलिए यह परिपाटी रही है आज से नहीं जब से सदन है, माननीय सदस्यों को इतना अधिकार रहा है कि जब भी वे मन्त्रियों से मिलना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए समय दिया जाता है तो मिलने वाले ज्यादातर वही लोग हैं। अभी माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने एक बात कही, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा कि खास तौर से सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त—

मैंने इसलिए नहीं कहा कि वे सत्तारुढ़ दल के हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्नों के उत्तर में अनावश्यक देरी के कारण व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने गए थे . . .

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस बात की ताईद करता हूं और आपके जरिए माननीय मन्त्रीगणों और मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करें कि मन्त्रियों से कैसे मिला जाय। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व एक मन्त्री जी से मिलने गया, मान्यवर, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनके कमरे में कैसे घुसा जाए। एक साथ पांच सौ आदमियों की भीड़ देख कर। इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। (एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। मुझे अब किसी की सहायता की इसमें कोई जरूरत नहीं है? आप अपना स्थान ग्रहण करें।

अगर इस प्रकार माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पर विवाद खड़ा हो तो नियमों के अनुसार यह नहीं हो सकता। नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हो, मैं अपने कक्ष में निर्णय कर सकता हूं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं, मुझे आवश्यकता होगी तो मैं पूछ सकता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने स्वयं स्वीकार किया कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है लेकिन एक माननीय सदस्य के सम्मान का प्रश्न अवश्य है। तो आज मुझे तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं, तो इन पर विवाद करने से सदन का कोई कार्य-क्रम नहीं चल सकता है, इसलिए अब वाद-विवाद नहीं हो सकता। श्री आतिफ खां ने जो प्रश्न रखा है उससे सदन का अपमान या विशेषाधिकार की अवहेलना तो तभी होती है जब कि कोई ऐसा कारण हो जो माननीय सदस्य के सदस्य के रूप में कार्य से संबन्धित हो।

जब वे विशेष सचिव के कार्यालय में गए, वैसे तो वहां अनेक लोग जाते हैं, लेकिन चूंकि वे सदस्य हैं, अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे इनके सम्मान का पूरा ध्यान रखें। इसी पीठ से कई मर्तबा निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारीगण, माननीय सदस्यों के साथ शिष्टता और सम्मान का व्यवहार करें। मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी इस घटना की जांच करें और यदि यह सत्य हो तो उचित कार्यवाही करें जिससे माननीय सदस्य को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। कुछ कठिनाइयां हैं, माननीय सदस्य उनका भी निवारण करें। "आचार संहिता" एक पुस्तिका माननीय सदस्यों को वितरित की गई है। माननीय मन्त्रीगणों को भी सदस्यों के लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए जिससे उनको अधिकारियों के पास न जाना पड़े और अगर जाना भी हो तो उचित होगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि कोई समय निश्चित हो। माननीय सदस्यों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस स्तर के अधिकारियों के पास उन्हें जाना चाहिए, सचिव, विशेष सचिव, नाम गजटेड अधिकारी।

ऐसे ही हर जिले में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यह उनके सम्मान का प्रश्न है लेकिन उनकी कठिनाइयाँ भी हैं। बहुत से प्रश्न उनके अपने क्षेत्रों से आते हैं, उनके निवारण के लिए वे चिन्तित भी रहते हैं। इसलिए सिंचाई मन्त्री और सरकार से भी मैं चाहता हूं कि वे माननीय सदस्यों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि एक निश्चित समय हो जाय जिससे वे माननीय मन्त्रियों के सामने अपनी कठिनाइयों को रख सकें। क्योंकि वे सदन के प्रति उत्तरदायी हैं और वे कठिनाइयां उनके सामने न आयें जिससे माननीय सदस्यों को अधिकारियों के पास न जाना पड़े और अगर जाना भी पड़े तो आप एक समय निश्चित कर दें ताकि वे अपना कार्य भी कर सकें और माननीय सदस्यों से भी बात कर सकें। अतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता लेकिन माननीय सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है।

(श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के खड़े होने पर।)

आप तो प्रोफेसर हैं। एक व्यवस्था के बाद फिर इस पर बहस नहीं होती है। अब इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। इस पर पहले भी आदेश दिए जा चुके हैं।

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

जहां तक आपने यह निर्देश दिया है कि माननीय सदस्यों को मिलने की सुविधा दी जाय, औरों की बात तो नहीं कहता लेकिन अपनी बात कहता हूं। माननीय मिश्र जी ने जो कहा मुझे उसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ही नहीं, जनता का कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा हुआ है और मैं प्रयत्न ही नहीं करता बल्कि इस को अमल में भी लाता हूं, जो मुझ से मिलने आता है, वह मुझ से मिल सकता है और मैं मिलता हूं और जहां तक होता है उनके काम को करने की कोशिश भी करता हूं (शोर)। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, जो भी हमारे देश या प्रदेश का सिटीजन है, वह मुझसे मिल सकता है।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है। माननीय सदस्य मेरे पास आए मुझ से एक सूचना चाही, वह मैंने उन्हें दी। उसके बाद फाइल को देखकर या अधिकारी के पास जाकर जानना चाहा। तो मैंने कहा कि मैं टेलीफोन किये देता हूं, मैंने किया भी। सम्बन्धित अधिकारी अगले दिन दिल्ली एक मीटिंग में चले गए थे। जो आज लिख कर दिया गया है, मैं उसकी जांच करूंगा और जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसे जो भी दन्ड देना होगा, वह दूंगा। वे दिल्ली से जरूर लौट कर आगए हैं लेकिन ने वहां पर बीमार हो गए थे और सम्भवतः आज भी छुट्टी पर हैं। इस लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया था। अगर कुछ न होता तो वह चाहे जो कर सकते थे, लेकिन अब भी जैसा आपका आदेश हुआ है, आपने कह दिया है कि उसकी जानकारी की जाय, इन्क्वायरी की जाय, तो मैं तो पहले ही निर्णय कर चुका हूं। अब आपका आदेश हो गया है तो इसमें जरूरी कार्यवाही की जायगी और मैं आगे भी ध्यान रखूंगा। मैंने कहा हुआ है है कि किसी माननीय सदस्य के प्रति कोई अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो इन्क्वायरी करके ऐक्शन लिया जायगा। इसलिए इस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री अरुण कुमार ने दी है कि बांदा जिले के 3 हरिजन जो अपने किसी कार्य के सम्बन्ध में इलाहाबाद आए थे, बुधवार की रात को गोली मार कर उनकी हत्या किए जाने के कारण हरिजनों में क्षोभ है। तो कार्य-स्थगन की अनुमति नहीं दी है, किन्तु नियम 51 में एक सूचना इसी आशय की प्राप्त हुई है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हू।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,27,71,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,97,00,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,00,92,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,04,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस माननीय सदन में अपनी ओर से कम समय लूं ताकि अन्य माननीय सदस्य अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्राप्त कर सकें। उनकी जो कुछ समालोचनाएं होंगी, जो कुछ सुझाव होंगे इस विभाग में सुधार लाने की दृष्टि से, हमारे लिए सम्बल का काम करेंगे।

मान्यवर, यह मेरा पहला अवसर है जब मैं 1977-78 का चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भलीभांति अवगत हैं कि समय इतना कम मिला कि नयी आकांक्षाओं के अनुरूप बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप जो बजट प्रस्तावों को आमूल-चूल एक क्रान्तिकारी दिशा देनी चाहिए थी, कदाचित अपेक्षा के अनुसार उनकी पूर्ति नहीं हो पायी, तो भी जितना सीमित समय था उसमें जनता पार्टी की सरकार ने बजट प्रस्तावों को कुछ नयी दिशायें देने का प्रयास किया है। हमने कुछ ऐसे विषयों पर बल दिया है जिनको मैं जानता हूं कि अब तक उपेक्षित रहे और हमारा विश्वास है कि यदि उनका समुचित विकास किया गया तो हम जन-सेवा के कार्य में एक अधिक सीमा तक सफल हों पायें।

मान्यवर, अपने देश की परिस्थिति, देश की प्रवृत्ति, देश की प्रकृति, देश की जलवायु और देश की धरती के अनुकूल यहां की हमारी एक देशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की रही है। यह मानना पड़ेगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस पद्धति के विकास के लिए जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी, उतना नहीं दिया गया। इसी प्रकार से यूनानी पद्धति का भी हमारे जन जीवन से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। उसके विकास के लिए भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। हमने पहली बार इन पद्धतियों के विकास के लिए साथ ही साथ होम्योपैथिक पद्धति के विकास के लिए ध्यान दिया है और हमारा विश्वास है कि चाहे आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे यूनानी पद्धति हो, चाहे होम्योपैथिक पद्धति हो, इन पद्धतियों के विकास के माध्यम से हम सामान्य जनता को अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर चिकित्सा सुविधायें सुलभ करा पायेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल 9 आयुर्वेदिक कालेज चलते हैं जिनमें से गत वर्षों में केवल 4 का प्रान्तीयकरण किया जा चुका था। हमने चालू वित्तीय वर्ष में ही उन 9 में से 4 अन्य आयुर्वेदिक कालेजों का प्रान्तीयकरण करने का फैसला किया है। केवल एक कालेज रह गया जो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन चलता है। यद्यपि उसका शतप्रतिशत व्यय भार शासन ही वहन करता है परन्तु कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसका इस बार प्रान्तीयकरण नहीं किया जा सका। अगले वर्ष उसका भी प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न हमारे विचाराधीन है।

हमने यह भी फैसला किया है कि आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षण स्तर को उठाने के लिए हम बहुत भीड़-भाड़ का दाखिला नहीं चाहते। हम उसमें संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं, हम गुणात्मक योगदान देना चाहते हैं। इसलिए कानपुर विश्वविद्यालय से यह निवेदन किया गया कि वह नए आयुर्वेदिक कालेजों का एफिलिएशन न करें। हमने सेन्ट्रल कौंसिल आफ मेडिसिन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को भी आयुर्वेदिक कालेजों में लागू कर दिया है ताकि उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। पिछले वर्ष 418 ऐसे आयुर्वेदिक के छात्र थे जिन्होंने परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली थी लेकिन उनको कहीं हाउस जाब नहीं दिया जा सका। और जब तक वह 6 महीने हाउस जाब नहीं कर लेते तब तक वह किसी सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जाते। सरकार ने उनके बारे में फैसला लिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में उन 418 स्नातकों को हाउस जाब देने के लिए 209 पदों का सृजन किया जायगा जिससे 6-6 महीने

[श्री कल्याण सिंह]

हाउस जाब करके सभी 418 स्नातक एक वर्ष में ही हाउस जाब कर सकेंगे। इसी प्रकार से 66 और हाउस जाब के पद सृजित किए हैं ताकि जैसे जैसे विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण कर के निकलें उनके लिए निश्चित रूप के हाउस जाब की व्यवस्था हो जाय और 6 महीने क्या 6 दिन भी उनको उसके लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। यह व्यवस्था पहली बार हुई है।

(इस समय 1 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।)

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

हाउस जाब या इन्टर्नशिप?

श्री कल्याण सिंह--

हाउस जाब ही कहते हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक--

हाउस जाब तो 1 साल की होती है, इसे इन्टर्नशिप ही कहते हैं।

श्री कल्याण सिंह--

आयुर्वेद के सम्बन्ध में हाउस जाब ही कहते हैं।

इसी प्रकार जो वेतन-मान में असमानता चली आ रही थी, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में आयुर्वेद में बी0ए0एम0एस0 की डिग्री हासिल करने वाले जो हैं उनको एम0बी0बी0एस0 के समान वेतन-मान कर दिया गया है। वेतन-मान की असमानता के कारण बी0ए0एम0एस0 के छात्रों के मन में एक हीन भावना रहती थी, उस हीन भावना को दूर कर दिया गया है।

इसी प्रकार आयुर्वेद या यूनानी दवाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो ड्रग्स ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट को अप्रैल, 1977 से लागू कर दिया गया है ताकि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की जांच पड़ताल समय-समय पर होती रहे। पीलीभीत में एक ललित हरी फार्मेसी थी, साज-सज्जा होते हुए भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, औषधियों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, वह सब काम बन्द पड़ा था, शासन ने यह फैसला ले लिया है और इसी चालू वर्ष में ललित हरी फार्मेसी, पीलीभीत को चालू कर दिया जाय। हम चालू चिकित्सा और योग पर भी ध्यान देना चाह रहे हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है ताकि उसके माध्यम से भी हम जन-जीवन के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दे पावें। मान्यवर, आयुर्वेदिक के विकास की दृष्टि से इस वर्ष इस पद्धति के लिए 3 करोड़, 97 लाख, 47 हजार रुपए का आयोजनेतर और आयोजनागत प्राविधान कर दिया गया है। इसी प्रकार से मान्यवर, हम प्रदेश के अन्दर चालू वित्तीय वर्ष में 35 आयुर्वेदिक औषधालय खोलना चाहते हैं।

182 शय्याओं की अतिरिक्त व्यवस्था करना चाहते हैं।

मान्यवर, यही स्थिति होम्योपैथिक की थी। होम्योपैथिक के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे इस सदन में चर्चा चलती रही हो, चाहे विधान परिषद् में चर्चा चलती रही हो, विपक्ष में बैठने वाले हमारे माननीय सदस्य आज होम्योपैथिक छात्रों की दोहाई देते

हैं। पिछले वर्षजब ये सत्ता में थे जब-जब उनकी मांगें उठाई गयीं, तब-तब अस्वीकार किया जाता रहा। वर्तमान शासन ने तो अपना कार्य-भार सम्भालने के बाद तुरन्त ही उनके विकास के लिए बहुत कुछ किया। होम्योपैथिक छात्रों की मांग थी कि होम्योपैथिक निदेशालय अलग से स्थापित होना चाहिए। हम भी उनकी मांगों से सहमत थे। इसके लिए अलग से निदेशालय स्थापित हो गया। उत्तर प्रदेश के अन्दर अलग से प्राविधान कर दिया गया है। होम्योपैथिक के बोर्ड के अन्तर्गत भ्रष्टाचार की शिकायत थी, छात्रों की विशेष रूप से मांग थी कि इसको भंग किया जाय। हमने एक अध्यादेश जारी करके उस बोर्ड को भंग कर दिया है और एक अथाराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त कर दिया गया है। उसकी सहायता के लिए 7 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है। उस बोर्ड में व्याप्त धन के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं की जांच वह करेगा। मैं यह आश्वस्त करता हूं कि उस जांच के उपरान्त चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी उसमें क्यों न आता हो, शासन उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। किसी दबाव में आकर ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जो कोई भी होगा, सरकार उसके सामने झुकेगी नहीं।

मान्यवर, एक और मांग चल रही थी होम्योपैथिक कालेज के प्रान्तीयकरण के बारे में। 15 होम्योपैथिक कालेज हमारे प्रदेश के अन्दर जो हैं, उनके प्रान्तीयकरण की मांग थी। सिद्धान्ततः हम इस मांग को स्वीकार करते हैं। चूंकि आज की स्थिति में आज के वित्तीय चालू वर्ष में, हमारे वित्तीय संसाधन चूंकि सीमित हैं इसलिए इस वर्ष तो नहीं कर पाए, परन्तु यह वादा किया है कि आगामी छठी पंचवर्षीय योजना में जितने 15 कालेज हैं, इन सबका प्रान्तीयकरण कर देंगे। उसकी शिक्षा को ऊंचा उठा देंगे। इस को विकास की ओर ले जायेंगे। इसके विकास को हम आवश्यक समझते हैं। अपने प्रदेश के अन्दर शोध संस्थान होना आवश्यक है, इसके लिए हमने एक समिति नियुक्त कर दी है जो इसकी सारी बारीकियों का अध्ययन करेगी, सुझाव देगी, आख्या देगी और उसके आधार पर योजना तैयार की जायगी। वह समिति प्रदेश के अन्दर होम्योपैथिक का एक शोध संस्थान स्थापित हो, इसके लिए एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो, इसके लिए वह रिपोर्ट देगी। इस समय होम्योपैथिक के कुल लगभग 200 चिकित्सालय हैं। हम इस चालू वित्तीय वर्ष में होम्योपैथी के 30 और चिकित्सालय खोलना चाहते हैं।

एक योजना केन्द्र पर हुई है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना है। जो 2 अक्तूबर, 1977 से लागू होगी। प्रत्येक एक हजार जनसंख्या के ऊपर एक स्वास्थ्य रक्षक के नाम से कार्यकर्ता काम करेगा जिसको 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रत्येक महीने में उसे 200 रुपए प्रारम्भ में वजीफा दिया जायगा। उसके प्रशिक्षण के बाद उसको होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा अन्य दवाओं की एक मेडिसिन किट दी जायगी। जिसमें कुछ औषधियां होंगी, 50 रुपए प्रति मास के हिसाब से। वह कुल मिलाकर उसी गांव के अन्दर लोगों को जो प्रारम्भिक बीमारियां होती हैं, या जो प्रारम्भिक कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने में वह सहायता करेगा। जो गम्भीर किस्म की बीमारियां होंगी उनके लिए वह पास के पी0एच0सी0 या दूसरे अस्पताल के लिए सूचित करेगा ताकि उनकी व्यवस्था ठीक से हो सके।

[श्री कल्याण सिंह]

मान्यवर, नई सरकार ने आम जनता की भलाई की दृष्टि से 2–3 कदम उठाए हैं, यद्यपि वे बजट स्पीच में आ चुके हैं, लेकिन प्रसंगवश मैं उस सम्बन्ध में एक-एक वाक्य कहना चाहता हूं। आमतौर से जन साधारण में असन्तोष था कि 25—50 पैसे का टिकट (पर्चा) बनाने के लिए, हमने महसूस किया है। यह समाप्त किया जा रहा है। गरीब आदमी के लिए 25–50 पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो 25–50 पैसे का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। (मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, इसी तरह से हमारी सरकारी सेवा में लोग लगे हैं, अवकाश प्राप्त करने के पश्चात्, सेवा निवृत्ति के पश्चात् इनके लिए सुविधा नहीं थी। लेकिन शासन ने फैसला लिया है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को वही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायेंगी जैसी सेवा-काल में प्राप्त होती रही है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस विभाग के अन्दर सुधार आए, सुधार के लिए माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित हैं, उनकी समालोचना का मैं स्वागत करूंगा।

मान्यवर, वैसे अपनी ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेशीय स्तर पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाय। पिछली एक समिति में रद्दोबदल करके पुनर्गठन किया गया है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला समितियों की पुनर्रचना की जा रही है। अब तक प्रदेश और जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का प्राविधान था लेकिन हमने निर्णय लिया कि इस प्रकार की समितियों को तहसील स्तर तक ले जाया जाय। स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में जनता अधिकाधिक सम्पर्क में आए और उसका नियन्त्रण आए, जनता की देखरेख बढ़े इसलिए हम उसे तहसील केन्द्रों तक ले जाना चाहते हैं ताकि इस विभाग के माध्यम से जन-सामान्य की सेवा की जा सके।

मान्यवर, इसी तरह से विकास के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं। चाहे वह होम्योपैथी का विकास हो, चाहे आयुर्वेदिक का विकास हो, चाहे यूनानी का विकास हो और चाहे एलोपैथी के विकास का प्रश्न हो। अभी तक प्रदेश के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी कोई विश्वविद्यालय नहीं है। शासन इस विषय में गम्भीरता से विचार कर रहा है कि एक मैडिकल यूनिवर्सिटी अपने उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाय। जिसमें एलोपैथी संकाय, आयुर्वेदिक संकाय, यूनानी संकाय, होम्योपैथिक संकाय, नेचुरोपैथी संकाय हो और वह अलग से स्वतन्त्र रूप से इन सब पद्धितियों के विकास को आगे बढ़ा सके।

मान्यवर, जहां तक दवाओं की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में, शिकवा शिकायत स्वाभाविक है। हमने जो केन्द्रीय समिति है उसका पुनर्गठन किया है। हम विचार कर रहे हैं कि अस्पतालों से औषधियों की चोरी को कैसे रोका जाय। इसमें कुछ सुझाव हमारे सामने आए हैं। शासन के विचाराधीन है कि जो दवाइयां देते हैं, उनसे कहा जाय कि सरकार जिस दवा की खरीद करेगी या किसी अपने पब्लिक सेक्टर से खरीदेगी, उनसे यह कहा जाय कि सरकारी अस्पताल में काम आनेवाली टेबलेट्स का नमूना भिन्न होगा और जो दुकान में गोली मिलेगी वह भिन्न होगी। यदि अस्पतालों में चौकोर गोली रख दी जाय तो वह प्राइवेट दुकान में नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह इन्जेक्शन पर सरकार की मोहर होनी चाहिए और यदि वह मोहर लगा इन्जेक्शन दुकान पर मिलता है तो पता लग जायगा कि

इन्जेक्शन अस्पताल का है। तो मान्यवर, इसी तरह मैं और सुझाव माननीय सदस्यों से चाहूंगा जिससे सरकार एक निश्चित निर्णय पर पहुंच सके।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में हम जानते हैं कि अस्पतालों में महिला और पुरुष डाक्टरों का अभाव है चाहे वह एलोपैथिक अस्पताल हों, चाहे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक अस्पताल हों। जो कुल सूचना है उसके अनुसार इस समय 254 पुरुष डाक्टरों की कमी है, 182 महिला डाक्टरों की कमी है। इसलिए हम ऐसी योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं कि आगामी 2–3 महीनों में अधिक से अधिक हमारे प्रदेश में एक भी अस्पताल बिना डाक्टर के न रहने पावे। यह हमारा प्रयास है और हम इसके लिए पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करा रहे हैं। मैं विभाग के माध्यम से जानना चाहता हूं कि न केवल जिले और कमिश्नरी के हिसाब से बल्कि कहा है प्रत्येक डिस्पेंसरी और पी0एच0सी0 में कितनी पोस्टें सैंकशण्ड हैं और कितनी फिजीकली वहां नियुक्तियां हो चुकी हैं और कितनी कमी है। हमने एम0बी0 बी0एस0 के एपाइन्टमेंट के लिए आर्डर्स दे दिए हैं। आयुर्वेदिक डाक्टरों का साक्षात्कार चल रहा है। साक्षात्कार की बात आ गयी तो मैं बता दूं कि आयुर्वेदिक डाक्टर के सेलेक्शन में चिकित्सा अधिकारियों के चयन में जो अब तक रहा करते थे साक्षात्कार के उनको हमने समाप्त कर दिया क्योंकि साक्षात्कार के नाम पर दिए जाने वाले अंकों में पक्षपात होता था। जिनको लेना होता था उनको ज्यादा अंक दे देते थे और जिनको नहीं उनको कम। तो इसको हमने समाप्त कर दिया है। इस तरह साक्षात्कार के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर या एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर जो नम्बर दिए जाते थे अब वह नहीं जोड़े जायेंगे। अब मैरिट बना दिया है और उसके अनुसार जितने लेने हैं, उनको ऊपर से छांटना शुरू कर दें और जितने लेने है उसके स्थान पूरे हो जायं शेष को छोड़ दें। कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह यह सारी बात कर दी गयी हैं।

मान्यवर, हमारे सामने एक कठिनाई है। हम डाक्टरों की नियुक्ति करते हैं पर देख रहे हैं कि आमतौर पर डाक्टर तीन जगह जाने पर घबड़ाता है। डाक्टर जेल नहीं जाना चाहते हैं, डाक्टर ग्रामीण अंचल में कम जाना पसन्द करते हैं और पहाड़ी इलाके में भी जाना कम पसन्द करते हैं। तो मान्यवर, इसके लिए हमे व्यवहारिक जो पहलू सोचना था वह सोचा। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि आज ग्रामीण अंचल में जो 5 वर्ष रखा है इफीशिएंसी बार पार करने का, तो वह अवधि कम कर दी जाय और 5 से 3 वर्ष कर दी जाय जिससे डाक्टरों का वहाँ मन लगे। इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में जो दो वर्ष का प्रतिबन्ध हम विचार कर रहे हैं कि उसको घटाकर एक वर्ष कर दिया जाय। इसी तरह से जेल में दो वर्ष का प्रतिबन्ध है ई0बी0 क्रास करने के लिए जोकि अजीब सा लगता है क्योंकि जिसकी पहुंच होती है वह तो पा जाता है बाकी दूसरे पड़े रहते हैं तो इस अवधि को भी एक वर्ष की कर रहे हैं। इस तरह से हम यह अपेक्षा रखते हैं कि जो डाक्टरों की कमी है उसको पूरा कर पायेंगे।

मान्यवर, इस वर्ष हम 10 एलोपैथी चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं, होम्योपैथी के 30 और आयुर्वेद के 35। जो 10 एलोपैथी के चिकित्सालय होंगे उनमें से 7 पुरुषों के और

[श्री कल्याण सिंह]

3 महिलाओं के होंगे। इन दस में से 2 चिकित्सालय निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में खोलेंगे जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की बहुत संख्या होगी। यह फैसला हमने लिया है।

मान्यवर, जो औषधियों की उपलब्धि का प्रश्न था उसके बारे म यह निवेदन करना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमने उसमें 60 लाख की बढ़ोत्तरी की है। इतने बड़े प्रदेश के के लिए यह काफी नहीं है लेकिन सीमित संसाधनों को देखते हुए यह जो बढ़ोत्तरी की गई है इससे यह प्रकट होता है कि शासन अब तक जो हुआ है उससे आगे बढ़ रहा है।

मान्यवर, जिस प्रकार दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज है या चण्डीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट आफ मेडिकल साइन्सेज है हम भी अपने प्रदेश में चाहते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स स्थापित किया जाय जिससे अपने प्रदेश की इस कमी को पूरा किया जा सके और उपचार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए मान्यवर, योजना बनाई जा रही है। आगरे में मान्यवर, आर्टिफिशियल किडनी सेन्टर की स्थापना करने का विचार है। इसी प्रकार 1977–78 में कुल जिलाक मलेरिया की रोकथाम के लिए 83 लाख की डी0टी0टी0 के छिड़काव का प्राविधान किया है। फइलेरिया की रोकथाम के लिए 31 जिलों में सर्वेक्षण के लिए 6 यूनिट्स की स्थापना की जा चुकी है और 28 नियन्त्रण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। 1977–78 में तीन फाइलेरिया इकाई प्रोजेक्ट स्थापति करने का विचार है। इसके साथ ही इस वर्ष के अन्दर फाइलेरिया-क्लिनिक्स खोलने पर विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर लेपरोसी का बड़ा भयानक रोग है। स्वयं इससे पीड़ित व्यक्ति ही अपने को हीन नहीं समझता बल्कि दूसरे लोग भी उसके प्रति हीनता का भाव रखते हैं। 1977–78 में सर्वे, एजुकेशन ट्रीटमेंट इकाई इस प्रकार की तीन सौ इकाइयाँ स्थापति करने का फैसला किया है। इसी प्रकार से कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र के बारे में एक ग्रामीण कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र खोलने का प्राविधान है। कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए एक केन्द्र को छांटा गया है। इसी प्रकार रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए हमने दो इकाइयाँ स्थापित करनें का फैसला किया है और इसी तरह से 20 शैय्या वाले पाँच वार्ड जहाँ पर 100 लोग भर्ती रहेंगे की, व्यवस्था करने का प्राविधान किया है।

मान्यवर, इसी प्रकार हम वर्ष 1977–78 के लिए विशिष्ट सुविधा देने का भी प्राविधान कर रहे हैं। इसके लिए वर्ष 1977–78 में बाल रुजालय की दो इकाइयाँ, दन्त रुजालय की दो इकाइयाँ, आर्थोपेडिक सेक्शन की चार इकाइयाँ स्थापित करने का प्राविधान है। आपातकालीन सेवाएं अभी तक केवल हमारे 29 जिलों में उपलब्ध हैं। इसे दो और जिलों में उपलब्ध करेंगे। मेडिकल केयर यूनिट के अन्तर्गत एक और बढ़ा रहे हैं। पैथालोजी यूनिट में चार और बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार पूर्ण उपचारिका सेवाएं की तीन इकाइयां बढ़ाई जा रही हैं और दो इकाइयाँ प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न-यूनिट की इसी वर्ष 1977–78 में स्थापित की जा रही हैं।

मान्यवर, यही स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर एक और बीमारी अन्धेपन की भी है। दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे देश के अन्दर जो प्राप्त आँकड़े हैं उनके अनुसार लगभग 50 लाख लोग चक्षुहीन हैं और उनमें 17 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। इसके लिए वर्तमान

शासन ने 661 ब्लाकों में रोहा नियन्त्रण केन्द्र खोलने का प्राविधान किया है। अलीगढ़, सीतापुर, कानपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में नेत्र चिकित्सालय हैं। यहाँ पर अधिकाधिक अनुदान देकर के इस बिमारी की रोक-थाम के लिए और चक्षुविहीन लोगों को सुविधाएं देने की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल मिला कर दस जिला अस्पताल हैं अन्धों की विशेष चिकित्सा के लिए 85 पी0एच0सी0 की व्यवस्था की जा रही है और दो नेत्र चिकित्सालय भी स्थापित करने का प्राविधान किया जा रहा है। इसी प्रकार से औषधि अच्छी मिला करे, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ मार्केट में न रहें इसके लिए भी जैसा मैंने निवेदन किया ड्रग और कास्मेटिक्स ऐक्ट लागू कर दिया गया है और वर्ष 1977–78 के लिए 2520 औषधि निर्माण शालाओं के नमूने लेने का भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि आम आदमी को घटिया किस्म की दवाई न मिले, उन्हें अच्छी दवाइयाँ प्राप्त हों।

मान्यवर, मैं दो-तीन चीजों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर अपनी बात समाप्त करूगा ताकि माननीय सदस्य अपने सुझावों से मुझे लाभान्वित कर पावें। हमारे सामने प्रश्न मान्यवर, यह है कि इस विभाग को कैसे चुस्त बनाया जाय। मैं इस बात को स्वीकार करके चलता हूं कि विभाग में बहुत कुछ करने को बाकी है। इतना बिगड़ा मामला है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हमारी मंशा है कि हम पक्के इरादे के साथ और नेक-नियती के साथ सही दिशा में बढ़े और सही लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग, आपके अनुभवों का लाभ समय-समय पर मुझे प्राप्त होगा ऐसा मेरा निवेदन है और अनुरोध भी है। हमने यह फैसला लिया है कि इस विभाग को अधिक चुस्त बनाने की दृष्टि से पावर को डिसेन्ट्रलाइज किया जाय और काम जिस स्तर पर सम्पन्न होना है वह उसी स्तर पर हो। जिस स्तर पर काम होता है यदि वहाँ नहीं होता तो यह मान कर चला जायगा कि उसी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी ने कहीं गलती की है। जैसे सी0एम0ओ0 का काम संयुक्त निदेशक तक पहुंच रहा है तो सी0एम0ओ0 असफल हो गया है और यदि संयुक्त निदेशक से निदेशक तक पहुंचता है तो यह माना जायगा कि संयुक्त निदेशक अयोग्य हो गया है। जिस स्तर पर कोई काम सम्पादित हो जाना चाहिए अगर नहीं होता है और वह ऊपर के स्तर पर पहुंचता है, तो यह माना जायगा कि उस स्तर का अधिकारी असफल हो गया है, अयोग्य है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

मैं यह देख रहा हूं कि चाहे डायरेक्टोरेट हो, चाहे सेक्रेटेरियट हो छोटेसे छोटे काम के लिए हर एक को यहाँ दौड़ना पड़ रहा है। इसलिए हम अधिकारों को विकेन्द्रित करना चाहते हैं ताकि हर स्तर पर कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक हो सके लेकिन ईमानदारी से हो। बिना हिचक काम किया जाय लेकिन जनहित में हो। निर्भय हो कर काम अधिकारी करें लेकिन एक भी कदम ऐसा न हो जो जनहित के प्रतिकूल जाता हो। जहाँ भी जनहित का प्रश्न होगा और किसी के द्वारा जनहित के प्रति दुर्लक्ष किया जायगा तो चाहे मन्त्री हो, माननीय सदस्य हो, कोई अधिकारी हो चूंकि आज जनता काफी जागरूक हो चुकी है नीचे से लेकर ऊपर

[श्री कल्याण सिंह]

तक वह किसी को माफ नहीं करेगी। हम अपने को भी उसमे शामिल करके चलते हैं कि निश्चित तौर से जनहित के कामों में पहल की जाय ।

एक चीज की आम तौर पर चर्चा होती है और वह चर्चा यह है कि जब तक इस विभाग में काम करने वाले चाहे डाक्टर हों या मेडिकल कालेज के प्रोफेसर उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द नहीं की जाती है आम जनता के हित के लिए डाक्टरों के पास समय नहीं रहता। यह प्रश्न पहली सरकार के सामने भी आ चुका है। यह सरकार भी इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है। मैं चाहूंगा कि आज का अवसर इस बात के लिए भी उपयोग में लाया जाय। पूरे प्रदेश की यह प्रतिनिधि संस्था के सम्मानित सदस्य अपनी राय जाहिर करें कि शासन इस बारे में क्या फैसला ले, कौन-सा फैसला जनहित में होगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं चाहे वे कर्मचारी हों अथवा डाक्टर उनकी जो भी न्यायोचित मांगें हैं उन पर शासन हर समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तत्पर रहता है और इस थोड़े से समय में बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया है लेकिन हर छोटी-मोटी बात के लिए हड़ताल कर देना, काम ठप्प कर देना विशेष तौर से जहां पर आदमी की जिन्दगी व मौत का सवाल हो तो बीमार और तीमारदार के साथ यह शासन न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए शासन इस पर शीघ्रता से विचार कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्दर जो सेवाएं हैं उनको एसेंशियल सर्विसेज ट्रीट करके नोटीफाई कर दिया जाय। हां, अगर कोई बात है तो शासन के सामने उन बातों को लाया जाय और उन पर शासन विचार करने को तैयार है। अभी तीन-चार महीने जनता सरकार को आए हुए हुए हैं। बहुत सी समस्याओं का समाधान इस दौरान किया भी गया है और समय मिलने पर हम अपने विभाग में नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर तक के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं जो उनकी जेनुइन एवं न्यायोचित समस्याएं हैं उन पर हम अपनी आर्थिक संसाधनों की सीमा में रह कर निर्णय लेंगे। हमारे सामने कितने ही ऐसे मसले हैं लेकिन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ रहा है। रोज ब रोज की हड़ताल, मरीजों और तीमारदारों की परेशानियां जो हैं उनको दूर करना प्रदेश जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। जहां तक परिवार कल्याण का प्रश्न है शासन की यह नीति है कि इस परिवार कल्याण के कार्यक्रम में हमें शिशु कल्याण और मात-कल्याण पर अधिक ध्यान देना है। जो नसबन्दी होती रही है, पिछले वर्षों में जो कुछ प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर नसबन्दी के नाम पर हुआ हैं, फैमिली प्लानिंग के नाम पर अत्याचार होते रहे वह आज भी जनता के सामने भयावह चित्र उपस्थित है, जनता उससे सिहर उठती है। वर्तमान जनता पार्टी ने फैसला किया है, उसकी घोषित नीति है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं होगी, कोई कम्पलशन नहीं, न कर्मचारियों के ऊपर और न आम जनता के ऊपर। इस प्रकार का हमारा एप्रोच है इस कार्यक्रम के प्रति। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं इस बजट प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं और माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे निश्चित और खुले मस्तिष्क और खुले मन से समालोचना करें और सुझाव दें। मैं उनको अपनी ओर से विश्वास दिला दूं कि उनके जो भी सुझाव होंगे उन पर निश्चित रूप से शासन विचार करेगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अभी जो भाषण दिया उसके सम्बन्ध में दो-एक बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने दो-एक बातें ऐसी कहीं आयुर्वेदिक डाक्टरों ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें अभी यह प्रश्न नहीं उठता है, आप कृपा कर बैठें ।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति रखें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, अभी स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बहुत सुन्दर और जोशीला भाषण दिया। उन्होंने यह कहा कि हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दिशा में सुधार के लिए कार्य करेंगे और कांग्रेस शासन को कोसा कि उस शासन ने इस विभाग का इतना विकास नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैंने बजट प्राविधानों को देखा जिसमें उन्होंने चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूंजी व्यय को घटा दिया और उसमें 34 लाख रुपये की कमी कर दी। श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश की जो दशा है स्वास्थ्य और चिकित्सा में वह किसी से छिपी नहीं हैं। हमारे यहां करीब 20 हजार की जनसंख्या पर एक अस्पताल आता है। इतना भी वह जब है जब उसमें यूनानी और एलोपैथी तथा होम्योपैथी सब अस्पताल गिन लिए जायं वर्ना एलोपैथिक अस्पताल जितने हैं उनके आधार पर 31 हजार की जनसंख्या पर एक अस्पताल है। जहां तक डाक्टरों का सवाल है, भारतवर्ष में 4 हजार 5 सौ की जनसंख्या पर एक डाक्टर है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 6 हजार जनसंख्या पर एक डाक्टर का नम्बर आता है। अगर हम देखें, अपने पड़ोसी मुल्कों की ओर, तो जापान में 900 आदमियों पर एक डाक्टर आता है, ब्रिटेन में 850 जनसंख्या पर एक डाक्टर, अमेरिका में 650 पर एक डाक्टर और रूस में 430 व्यक्तियों पर एक डाक्टर आता है। इसके साथ-साथ हम शैय्याओं की गिनती करें, तो पूरे व हिन्दुस्तान में इसका अनुपात 1/17 से 60 का है। यू0 पी0 में दो हजार जनसंख्या पर एक शैय्या आती है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क सीलोन अर्थात् लंका, जो छोटा सा मुल्क है, उसमें 332 रोगियों पर एक पलंग, इंग्लैंड में 231 रोगियों पर एक पलंग और अमेरिका में 245 पर एक शैय्या का नम्बर आता है।

इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि हमारे प्रदेश में कितनी अधिक आवश्यकता है अस्पतालों की, डाक्टरों की और शैय्याओं की। यह अच्छा होता कि जिस जोश व खरोश के साथ मन्त्री जी ने भाषण दिया, उसी जोश के साथ इस बजट में अपने विभाग के लिए किए गए धनराशि के प्राविधान को बढ़ा देते। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनका शुक्रिया अदा करती।

हमारे यहाँ जो 875 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, वे 80 हजार से 1 लाख आबादी पर हैं और उन्होंने जो औषधि पर प्राविधान किया है, उसके हिसाब से 1 व्यक्ति के ऊपर 28 पैसे मात्र वर्ष भर में आता है। आप श्रीमन्, देखें, हमारे मन्त्री जी ने एक नई योजना प्रस्तुत की है---सामुदायिक स्वास्थ्य योजना, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रति एक हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति होगी, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 50 रुपया माहवार उनको जेब खर्च के लिए दिया जायगा और उनमें से प्रत्येक को 50 रुपए की दवाइयां महीने भर के लिए दी जायेंगी। श्रीमन्, इससे बड़ा मजाक इस प्रदेश की जनता के साथ और क्या हो सकता है? 50 रुपए में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक---तीनों पद्धतियों की उसे दवाएं दी जायेंगी। अब आप सोचें इस अल्प व्यवस्था से कितने व्यक्तियों को उससे लाभ पहुंचेगा और कितने रोगी उससे फायदा उठा पायेंगे। हां, इस मद पर करोड़ों रुपया खर्च अवश्य होगा। इसका सदुपयोग होता तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा अनुभव यह है कि यह जो योजना है वह राजनीति से प्रेरित है।

आज प्रदेश में लाखों नीम-हकीम खतरे जान बने हुए हैं, जो प्रदेश के हर गांव और हर कोने में आपको देखने को मिल जायेंगे, जो आप जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप भी उनको नए सिरे से लायसेन्स देकर जनता के जीवन के साथ और खिलवाड़ कराने जा रहे हैं। यह कहीं भी उचित और तर्क-संगत प्रतीत नहीं होता। अच्छा होता यदि इतना रुपया आप अपने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के प्रसार पर खर्च कर देते। जो

हमारे 875 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, जिनमें 10 मील से भी अधिक से लोगों को चलकर आना पड़ता है, इनके साथ एक उप स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र की स्थापना कर दी जाती तो अच्छा होता, उससे मरीजों के केन्द्र तक पहुंचने की दूरी कम हो जाती, इनका उन्नयन हो जाता, वहां पर और शैय्याओं की व्यवस्था हो जाती, एक्सरे-फिल्म की व्यवस्था हो जाती, महिला डाक्टरों की व्यवस्था हो जाती और इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलता। आज इतने साल बाद जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, उनके अपने निजी भवन तक नहीं हैं। मुझे याद है एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डाक्टर आर0 बी0 सिंह थे उन्होंने कहा था, बड़ा सत्य कहा था, हिन्दुस्तान में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व अस्पताल देहातों में जो जागीरदार हैं उनकी चौपालों में हैं और डाक्टरों का स्थान उनकी अस्तबलों में हैं। ज्यादा अच्छा होता कि सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों की सेवाओं का पैसा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के उन्नयन और प्रसार में लगा दिया जाता। तो ग्रामीण जनता को ज्यादा फायदा होता।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने कहा. . . .

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

परिवार कल्याण कहिए।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

अगर उसमें खुशी है तो परिवार कल्याण कहे देता हूं। शासन ने इतने महीने के बाद भी परिवार नियोजन की नीति स्पष्ट सामने नहीं रखी। एक स्वास्थ्य समीक्षा पुस्तिका दी है, उसके पृष्ठ 56 पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ फीगर्स दिए हैं। उसमें 1976-77 में पुरुष नसबन्दी 6 लाख 9 हजार 420 और 1977-78 में प्रस्तावित-जीरो। महिला नसबन्दी 1976-77 में 1 लाख 46 हजार 237, 1977-78 में प्रस्तावित 4 लाख। हमारे भारतवर्ष और प्रदेश में वैसे ही महिला वर्ग बहुत परेशान था। मोरार जी भाई एक तो महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे है, चौधरी साहब की नीति भी बड़ी उपेक्षा की है। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने वही नीति अख्तियार की है। चार लाख महिलाओं का टार्गेट रखा है और पुरुषों का एक भी नहीं रखा। यह महिलाओं के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पुरुषों की नसबन्दी आसान है। पांच, दस मिनट लगते हैं। महिला आपरेशन में 15 से 21 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, आने के बाद भी ज्यादा कार्य नहीं कर पायेंगी। यह जो नीति है मन्त्री जी इसको साफ करें।

श्री कल्याण सिंह—

आधा मिनट लेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

बाद में कर दीजिएगा।

अब श्रीमन्, औषधि भण्डार के विषय में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। 10 करोड़ की आबादी के प्रदेश में केवल एक औषधि भण्डार है, केन्द्रीय औषधि भण्डार। पहले 75 प्रतिशत होता था और अब 60 प्रतिशत सारे परचेज का औषधि भण्डार में रखा जाता है,

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

लेकिन क्रय करने का जो तरीका है वह इतना जटिल है, और इतना समय लेने वाला है, कि समय से अस्पतालों में, औषधालयों में दवाएं पहुंच नहीं पातीं। मार्च के अन्तिम सप्ताह में लाखों रुपए की ग्रान्ट पहुंचती है जिलों में और दबाव डाला जाता है कि एक हफ्ते दस दिन में सारा रुपया खर्च करो। नतीजा क्या होता है जल्दबाजी में सब-स्टैंडर्ड दवाएं खरीदी जाती हैं। फिर भी पैसा बच रहता है तो किसी बड़े अधिकारी के लिए फ्रिज खरीद लिया जाता है, 31 मार्च तक रुपया खर्च करना जरूरी है। तो श्रीमन्, जो परचेज है, जो सेन्ट्रल परचेज कमेटी है उसका जो तरीका है उसका सरलीकरण किया जाय। जो पहले स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त थे उन्होंने माना था प्राक्कलन समिति के सामने कि इस भण्डार में इतना गोल-माल है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उसकी वे जांच करवायेंगे। बड़ी-बड़ी फर्मों का गठबन्धन स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों से है। ऐसी फर्में जिनका क्वालिटी कन्ट्रोल नहीं है वह इन लोगों से मिल कर अपना नाम एप्रूव करा लेती हैं। एक फर्म तीन नाम से दवा बनाती है और 3 प्रकार के कोटेशन भेजती है और अपना नाम एप्रूव लिस्ट में करा लेती है। इसके साथ ही साथ जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं वे आगे नहीं आती हैं क्योंकि वे कमीशन देने की स्थिति में नहीं रहती हैं। अगर वे आ भी जाती हैं तो उनके बिल पास होने में बड़ी कठिनाई होती है। वे कोटेशन ही नहीं देते हैं। उनकी दवाएं बाजार में बिक जाती हैं तो वे इस घपले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की घटिया किस्म की दवाएं आती हैं। कुछ ऐसी भी दवाएं खरीदी जाती हैं जिनका उपयोग भी नहीं होता है। इस सारी व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

अधिकार जो जिले में सी0 एम0 ओ0 हैं उनको दे दिया जाय तो कम से कम ठीक दवाएं खरीदी जायेंगी इसके साथ ही साथ जो औजार हैं जिनकी खरीदारी की जाती है उसमें भी धींगामुश्ती होती है, गोल-माल किया जाता है। अगर कोई नाई अपना उस्तरा खरीदने जाता है तो वह भी 2–3 जगहों पर देख लेता है और अच्छा समझ कर लेता है। लेकिन एक सर्जन है उसको अपने मन का और अपनी पसन्द का औजार खरीदने की छूट नहीं है उसको औजार खरीद कर दे दिए जाते हैं और उसी से उसको आपरेशन्स करने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ औषधि नियन्त्रण का भी बड़ा महत्व है। पूरे प्रदेश में एक ड्रग कन्ट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कन्ट्रोलर, 3 सीनियर ड्रग इन्सपेक्टर और 36 ड्रग इन्स-पेक्टर हैं। 10 करोड़ की आबादी में इतना छोटा स्टाफ कैसे काम करेगा। दवाओं के बनाने का लाइसेन्स भी इसी विभाग को देना होता है। आज पूरे प्रदेश में नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और खुले रूप से बिक रही हैं। हरियाना से आती हैं, लुधियाना से आती हैं उत्तर प्रदेश उनके लिए फर्टाइल मार्केट है और इस तरह की नकली दवाओं की बिक्री का केन्द्र बना हुआ है। आज अगर आपको इन नकली सब-स्टैंडर्ड दवाओं की बिक्री को रोकना है तो औषधि नियन्त्रण प्रशासन को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए ड्रग इन्सपेक्टर्स की संख्या बढ़ानी होगी और इसमें आपको विकेन्द्रीकरण करना होगा ताकि सही रूप से अच्छी दवाएं आम जनता को मिल सकें। आज जो मौत के ठेकेदार बने हुए हैं हर जिले के अन्दर, हर शहर के अन्दर नकली दवाएं बेच रहे हैं। उन पर कुछ रोक लग सके। इसके साथ-साथ एक अहम सवाल और जुड़ा है औषधि विश्लेषकों का। करीब एक हजार दवाओं के सैम्पिल पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे किए जाते हैं हर वर्ष और उनकी जांच की जाती है।

इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि इसको थोड़ा सा इण्डिपेंडेण्ट बाडी बना दिया जाय जो सिर्फ औषधियों का विश्लेषण करे और इस तरह के जो केसेज आयें, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में मन्त्री जी के जो विचार हैं, वे बड़े सुन्दर हैं लेकिन मुझे शक है कि वह अपने निश्चय पर टिक सकेंगे। क्योंकि इन डाक्टरों की एक बड़ी जबर्दस्त हावी है हर जिले में जिसने हर प्रकार के हथकण्डे अपना कर प्राइवेट प्रैक्टिस को खोलने के लिए दबाव डाल कर मजबूर कर दिया उस समय जब पिछली सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी थी। अतः मुझे सन्देह है कि मन्त्री जी उस दबाव को झेल पायेंगे और यदि वे यह दबाव झेल गए तो वे बड़े धन्यवाद के पात्र होंगे तथा इस देश और प्रदेश का कल्याण करेंगे। आज हमारे देश और प्रदेश में हजारों ऐसे गरीब आदमी हैं जिनका 80—85 प्रतिशत. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, 10 मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

तो आपको कम से कम दवाई मुहैया हो सकेगी।

आज किसी मेडिकल कालेज में चले जाइए तो पायेंगे कि बड़े-बड़े डाक्टरों को फुर्सत ही नहीं है कि गरीब आदमी को देख सकें। वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं। उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस में जो मरीज आता है, उसको तुरन्त सारी सुविधाएं मेडिकल कालेज में मिल जाती हैं। तुरन्त भर्ती कर बेड प्रदान कर दिया जाता है। एक्सरे आदि की और अच्छी से अच्छी दवाइयां सब मुफ्त में दिलवा दी जाती हैं। लेकिन गरीब आदमी जो मेडिकल कालेज में जायगा उसको ज्यादा से ज्यादा वही लाल वाली दवा और 8–10 मल्टी विटामिन ही मिल पाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक यूनीफार्म पालिसी आप तैयार करें।

डाक्टरों के स्थानान्तरण के विषय में मान्यवर, एक निवेदन करना है। मेरी निश्चित जानकारी है कि सैकड़ों डाक्टरों का स्थानान्तरण किस तरह से कर दिया गया अगस्त और सितम्बर के महीने में। किसी को एक महीना, किसी को दो महीना या चार–छः महीना या मुश्किल से एक साल ही हुआ था, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। आज आप देखें सेक्रेटेरिएट में, मेडिकल डाइरेक्टरेट में सैकड़ों डाक्टरों की भीड़ लगी हुई है, वे कोई काम नहीं चलने देना चाहते क्योंकि उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात है

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

कि स्वास्थ्य मन्त्रालय में उप मन्त्री जी थे वह इस्तीफा दे गए। कम से कम वह होते तो कुछ बोझ सम्भाल लेते। और हमारे मन्त्री जी जो हैं पता नहीं वह कहां अण्डरग्राउण्ड हो जाते है। यहां सेक्रेटेरिएट में और मेडिकल डाइरेक्टरेट में डाक्टरों की बाढ़ आ गयी है।

श्रीमन्, आज प्रदेश में जितने भी मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें से कोई कालेज बचा नहीं जहाँ पर हड़ताल न हुई हो। चाहे वह आगरे का मेडिकल कालेज हो, कानपुर का मेडिकल कालेज हो, लखनऊ के अस्पताल हों या गोरखपुर का मेडिकल कालेज हो, हर जगह पर स्ट्राइक हुई है, हड़ताल हुई है। उसमें डाक्टर भी शामिल रहे हैं, नर्सें भी शामिल रही हैं, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और छात्र भी शामिल रहे हैं। हर वर्ग की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। आज डाक्टरों के पास समय नहीं कि वे छात्रों को ठीक ढंग से पढ़ा सकें। छात्रों में कुण्ठा और असन्तोष व्याप्त है। डाक्टर इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके प्रोमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है। नर्सों की तो हमारे प्रदेश में इतनी कमी है कि बहुत से वार्ड्स खाली पड़े हुए हैं, वे चालू नहीं हो पा रहे हैं। अभी आगरे में हड़ताल चली, एमर्जेंसी की सारी सेवाएं बन्द हो गयी हैं। सैकड़ों आदमियों को बिना डाक्टरी मदद के अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पैसे वाले नर्सिंग होम्स में दाखिल होकर अपनी चिकित्सा करा रहे हैं लेकिन वे गरीब लोग जिनका सड़कों पर एक्सीडेंट हुआ, टिटनेस हुई, दिल के दौरे पड़े वे बिना इलाज के अकाल मृत्यु के शिकार हुए। आज फार्मेसिस्ट भी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी भी समस्याएं हैं। इसमें जो पक्ष है,उन सबकी कुछ न कुछ समस्याएं हैं और बड़ी न्यायोचित समस्याएं हैं, तर्क संगत समस्याएं हैं, उनको भी आप देखें।

ऐसे ही होम्योपैथी के बारे में माननीय मन्त्री जी ने प्रकाश डाला कि उन्होंने उनकी बहुत सी माँगों को मान लिया है। होम्योपैथी के हमारे छात्र काफी समय से संघर्ष के पथ पर थे। आज भी उनमें से बहुत से छात्र जेलों में हैं। आपका शासन छात्र हितैषी रहा है, हमदर्द रहा है, उनका प्रयोग भी किया है, लेकिन उन्हीं छात्रों पर आपका शासन लाठी चार्ज करता है, उनकी पिटाई करता है। अभी जब मोरार जी भाई लखनऊ में आए थे तो उस समय भी कुछ छात्रों को बन्द किया गया। आज 125 छात्र जेलों में बन्द हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दे दें?

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, 2 मिनट और ले लें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

आज भी 5 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं जेल के अन्दर। 4 लड़कों ने नोटिस भी दे दिया है। होम्योपैथिक छात्रों से हमारे माननीय मन्त्री जी मिलते हैं। उनकी थोड़ी न्यायोचित माँगों को उन्होंने मान भी लिया है, कुछ और मानलें।

माननीय मन्त्री जी ने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डाक्टरों का समान वेतन मान किया है, केवल एक कमी रह गयी है। एलोपैथिक डायरेक्टोरेट में कुछ आयुर्वेदिक डाक्टर काम कर रहे हैं। उनकी वही क्वालिफिकेशन है जो आयुर्वेदिक डाक्टरों की है। तो मेरी प्रार्थना है कि इन 180 डाक्टरों का भी समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर वही वेतन मान कर दिया जाय जो कि एलोपैथिक डाक्टरों का है।

अब मैं ब्लड बैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। चण्डीगढ़ में एक बहुत ही आइडियल ब्लड बैंक है। हमारे प्रदेश में ऐसा एक भी ब्लड बैंक नहीं है और जब भी हम ब्लड की बोतल खरीदते हैं तो वह हमें 25–30 रुपए में मिलती है। आप कम से कम जितने हमारे कवाल टाउन्स हैं और जहाँ पर मेडिकल कालेजेज हैं, वहाँ पर एक-एक ब्लड बैंक स्थापित करा दें। आज ब्लड बेचने वाले पान की दुकान, चाय की दुकान के समान अपनी दुकान लगाकर ब्लड बेचने का काम करते हैं जहाँ पर नकली खून मिलता है जिससे सैकड़ों आदमी अकाल मृत्यु के शिकार, आए दिन हुआ करते हैं। अगर ब्लड बैंक का प्रबन्ध हो जाय तो बहुत से गरीब लोगों की जान बच सकेगी।

आज पैथालाजिकल लेबोरेटरीज देख लीजिए किसी अस्पताल के चारों तरफ अनट्रेंड फारमासिस्ट्स, अनअथाराइज्ड नकली ब्लड बैंक्स, एक्सरे प्लान्ट चल रहे हैं। आज चिकित्सालयों में एक्सरे की कमी है। कुल 400 रुपया दिया जाता है. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो कटौती का प्रस्ताव डाक्टर साहब ने रखा है, मुझको भाषण सुनकर हंसी आती है। मान्यवर, जितनी भी शिकायतें माननीय डाक्टर साहब ने की हैं, मैं समझता हूं कि इस सरकार और स्वास्थ्य मन्त्री से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। और अगर एक वर्ष बीत जाय इन स्वास्थ्य मन्त्री को और उसके बाद जितनी भी वे शिकायत करें तो मैं समझूगा कि इस कटौती का प्रस्ताव रखने वाले विरोधी पक्ष के सदस्यों की बातों में कुछ वजन हो सकता है।

मान्यवर, जितना मैं लेखे-जोखे की किताबें पढ़ रहा हूं यह सब पुरानी सरकार का लेखा-जोखा है। इस सरकार को अभी काम करने का समय मिला नहीं। जितनी योजना माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बना रहे हैं, मैं समझता हूं मैंने जितना उनका भाषण सुना है, इतने थोड़े समय में मुझे बिलकुल ठीक और सही लग रहा है। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जहाँ तक सवाल है, इलाज की कोई व्यवस्था इस देश के अन्दर बिलकुल है ही नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत प्रश्न रखता हूं कि मैं स्वयं बीमार रहा हूं। 1974 में मैं

[श्री राधेश्याम शर्मा]

प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, अचानक बुलन्दशहर की सभा में भाषण देते-देते गिर गया। मैं राष्ट्रपति के डाक्टर के पास गया, मेडिकल कालेज में मधुलिमए और जार्ज फर्नांडिस ने भर्ती कराया। वहाँ भर्ती हुआ और देश के बड़े-बड़े विशेषज्ञ किसी भी पैथी को नहीं छोड़ा पर मान्यवर, कोई यह नहीं बता पाया कि रोग क्या है ? तो इस देश में जितनी एलोपैथी की डिग्रियाँ दी जा रही हैं वह सब फर्जी, अनुभवहीन, दिशाविहीन लोगों को दी जा रही हैं। मैं सब भोग चुका हूं और मैं एलोपैथिक दवाओं में कतई विश्वास नहीं रखता। वह इतनी गरम हैं पश्चिमी देशों की दवाएं हैं उनसे एक रोग जाता नहीं है, दूसरा, तीसरा और चौथा रोग पैदा कर देती हैं। यह मैंने खुद भोगा है। तो ऐसी व्यवस्था में क्या किया जाय ? अंग्रेजों की देन एलोपैथी की व्यवस्था यहाँ पर चल पड़ी और उसी व्यवस्था में हिन्दुस्तान के लोग उन पश्चिमी देशों की गरम दवाइयों के शिकार हो रहे हैं और उन दवाओं से फायदा तो क्या होना है, उनके दूसरे और तीसरे रिएक्शन भोगने पड़ते हैं। तो मैं इस देश के अन्दर इस इलाज की व्यवस्था को सही नहीं समझता।

मैंने एलोपैथिक डाक्टरों को देखा है कि एक डाक्टर ने जो दिल्ली का सबसे बड़ा डाक्टर था मेरा ब्लड प्रेशर नापा तो 186 आया। 15 मिनट बाद दूसरे बहुत बड़े डाक्टर ने नापा तो 145। ऐसा हो सकता है कभी ? तो जहाँ तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, 1974 से बीमार रहा हूं, 1977 तक स्वयं भोगा है। मेरा कोई रत्ती भर विश्वाश एलोपैथी की न दवाओं में है, न हिन्दुस्तान के डाक्टरों में है, साफ कहना चाहता हूं।

अब उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथी का जो सवाल चल रहा है, मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के आज वे पुराने वैद्य नहीं हैं जो नाड़ी को देखकर पहिचान करते थे और तत्काल रोग का इलाज करते थे। और होम्योपैथी का हाल यह है कि अगर दवा लग गयी तो तीर और नहीं तो खाते रहो, उसका कुछ असर होता नहीं। मैंने हिन्दुस्तान के अन्दर इन सब पैथियों को करवाया, जब मैंने देखा कि सब गड़बड़झाला है तो फिर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की शरण ली। और आज मैं उसी के बल पर जिन्दा हूं और शान से बोल रहा हूं। तो एलोपैथिक का मामला मैं समझता हूं चीर-फाड़ के लिए इमरजेंसीकाल में तो सही है, इसके अलावा और कोई ज्ञान एलोपैथिक के पास नहीं है। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा एक पद्धति है। इसका एक केन्द्र गोरखपुर में डाक्टर बिट्ठलदास मोदी चलाते हैं, और भी केन्द्र हैं। अगर इन केन्द्रों पर जितना खर्चा आप इस पर कर रहे हैं उसका आधा भी खर्च करें तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा कल्याण इस पिछड़े हुए मुल्क का हो सकता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं।

आपकी कार्य-कुशलता के बारे में तो मैं कोई शिकायत नहीं करता। मैं समझता हूं कि मंत्रि मण्डल में बहुत योग्य लोगों में से आप हैं। यह भी जो शिकायत है कि मिलते नहीं हैं, मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा कोई मिलता ही नहीं है। काम करने का जहाँ तक सवाल है, रात में 2–2 बजे तक काम करते दिखायी देते हैं। हजार-हजार, दो-दो हजार आदमी घेरे रहते हैं, कभी इनको गुस्सा आता नहीं। इस तरह की सब शिकायतें निराधार हैं।

अब मैं कुछ ठोस बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसी भी गयी गुजरी एलोपैथी है, अगर आप इतना कर दें प्रदेश में 425 निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें एक-एक

बड़ा अस्पताल ऐलोपैथी का बनवा दें और जो अदालती न्याय पंचायतें 15–15 गाँवों की हैं उनमें एक-एक छोटा-छोटा केन्द्र चाहे आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का या एलोपैथी का खुलवा दें तो मैं समझता हूं तत्काल थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है।

एक बात मैं साफ कहूंगा। आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं परन्तु जितना चमत्कार एक डेढ़ महीने में होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। विरोधी दल के लोग कहते हैं तो वह तो दूसरी तरह की बात कहते हैं जिसमें कोई सार मुझे लगता नहीं है, पर मैं कहता हूं कि चमत्कार आप पैदा करिए। एक, डेढ़ महीने में तो बड़ा चमत्कार हो सकता है। अस्पताल के डाक्टर दवाए बेच रहे हैं, फर्जी दवाएं आती हैं। आप जरा अचानक जाकर अस्पतालों में हवा बदलें। पहले जब संविद सरकार बनी थी, वह थोड़े ही दिन रही, अब तो आपका अपार बहुमत है, यह भी डर नहीं है कि मिनिस्ट्री गिर जायगी और विरोधी दल–कांग्रेस का नाम तो पचासों साल के लिए ध्वस्त हो गया है, उसकी बात तो कोई सोच भी नहीं सकता, संविद के जमाने में प्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मन्त्री थे। उन्होंने 4–6 जगह बड़े अस्पतालों में धावा बोला था। हड़कम्प मच गया था। आप भी करें, मैं यह नहीं कहता कि सब जगह पर सिम्बोलिक तरीके पर 8–10 जगह ऐसा काम कर दें. . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शर्मा जी आप शान्त हो जायं। आप सदस्यों को सम्बोधित न करें, चेयर को सम्बोधित करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं आपको ही कह रहा हूं। कभी आप कानपुर में जाकर, कभी झांसी में जाकर, कभी मथुरा में जाकर, इस तरह 8–10 जगह जाकर धावा बोल दें तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में ऐसा हल्ला मचेगा और आपका स्वास्थ्य विभाग जो बिल्कुल सड़ा और गला हुआ है, 30 साल में कांग्रेस सरकार ने उसको जर्जर कर दिया है, उसमें नई जान आएगी। ऐसा काम आप करिए तब सारे प्रदेश के अन्दर आपका तहलका मचेगा। मान्यवर, मैं मथुरा की एक घटना बताना चाहता हूं। एक रोगी अत्ते खां था, उसके छर्रे लगे हुए थे, वह बेचारा गरीब था, छर्रा निकलवाने के लिए मथुरा अस्पताल गया। वहां पर स्वतन्त्र कुमार नाम का लड़का, डाक्टर था, उसने उस गरीब से 50 रुपए घूस लिया। मान्यवर, उस गरीब के पास खाने को भी कुछ नहीं था। उसने यह बात हमारे एक जनता पार्टी के प्रमुख क्रान्तिकारी नेता श्री जोगेन्द्र सिंह को बताई, जो 19 महीने डी0 आई0 आर0 व मीसा में बन्द रहे। उन्होंने जाकर यह बात डाक्टर से पूछा, तो उल्टे यह कहा कि सबकी बदतमीजी का ठेका आपने ले लिया है उसके बाद आपने मजिस्ट्रेट जांच करवाई। उस जांच में सारे लोगों ने कहा कि डाक्टर ने घूस लिया। मान्यवर, आज भी वह डाक्टर वहीं पर ही है। प्रशासन ने डाक्टर को बचाने के लिए उल्टा जोगेन्द्र सिंह का वारन्ट कर दिया है, ऐसा मुझे पता लगा है। एक डाक्टर हुसैन 12 साल से वहां पर मौजूद हैं। महीने 15 दिन का ट्रान्सफर होता है फिर वहीं पर आ जाता है। तो आप कुछ चमत्कार करिए।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

मैं आप से कहना चाहता हूं खासतौर से मिश्रा जी, आप से कहना चाहता हूं। आप बुद्धिमान सदस्य मालूम पड़ते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं, आप नोट करें। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जनता पार्टी की सरकार बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी और सारी बातों के खिलाफ नहीं बोलेगी, उस दिन राधेश्याम शर्मा, विरोध पक्ष में जो बहुत दिनों तक रहे हैं, इस सरकार का घोर विरोध करेंगे। यह सरकार जब तक सही काम करती रहेगी, तब तक इसका समर्थन करते रहेंगे। (लाल बत्ती जलने पर) मैं एक मिनट में ही खत्म करता हूं। हमारा मथुरा जिला बहुत पीड़ित है। वहां पर सारे ग्रामीण अंचलों में कहीं भी कोई अस्पताल नहीं है। बड़ी-बड़ी दूर 10-10 मील लोग चलकर अस्पताल जाते हैं अपने इलाज के लिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 5-5 हजार व्यक्तियों के बड़े-बड़े गांव हैं वहां पर, मान्यवर, अच्छा अस्पताल एलोपैथिक का बनवा दें। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि एलोपैथिक में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा भी है आज की परिस्थिति में एलोपैथिक अस्पताल होना आवश्यक है। वहां पर सारे जिले में मलेरिया संक्रामक रोग तथा गलाघोटू रोग पशुओं में फैला हुआ है। प्रत्येक न्याय पंचायत में मनुष्यों की चिकित्सा तथा पशुओं की चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध किया जाय। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल क्षेत्र के मध्य में खोला जाय। मांट क्षेत्र में ग्राम कराहरी, हुसैनी, नौयौव मिठौली, पारसौली, बरौठ, शाहपुर, नशीटी आदि ये ऐसे गांव हैं, जहां पर 5-5- हजार की आबादी है। मान्यवर, वहां पर सड़कें भी नहीं हैं। वहां पर सड़कें होना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, वहां पर अस्पताल का कोई नाम निशान नहीं है। वहां पर अस्पताल होना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे भी समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरा नम्बर था, मैं चला गया था....

श्री अधिष्ठाता--

मेरी दृष्टि इधर भी चल रही है।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दीजिए।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, मेरा नम्बर था, मैं चला गया था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य सुन लें। ध्यान रखना पड़ता है कि इस सत्र में कौन-कौन से माननीय सदस्य बोल चुके हैं और किसको बोलना है। आप विश्वास रखें ध्यान सबका रखा जायगा। डाक्टर साहब अपना भाषण जारी करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, जो बीमार हैं, बीमार चल रहे हैं उनको अवश्य बुलवाया जाय।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे लायक दोस्त डाक्टर कौशल जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में स्वास्थ्य विभाग की आलोचनायें की और बहुत ही विषम परिस्थितियों का वर्णन किया। मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूं लेकिन वह परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई थीं चाहे वह रोगी की चिकित्सा की बात हो या शैय्याओं का अनुपात हो या दवाओं के वितरण की समस्या हो या अस्पताल के अन्दर गड़बड़ियों का सवाल हो, वह 30 वर्षों के कांग्रेस शासन की देन है। सन् 1974 में जब मैंने विपक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा था, इसी स्वास्थ्य बजट पर तो लगभग इसी प्रकार की भावनायें मैंने व्यक्त की थीं। आज 3 महीनों के अन्दर किसी भी सरकार की परफार्मेन्स को आप इस प्रकार से न आकें। अभी सरकार ने नयी दिशा की तरफ शुरूआत की है।

आयुर्वेद की प्रणाली जो उपेक्षित थी, यहां की जो स्वदेशी प्रणाली थी उसकी ओर हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने ध्यान दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजेज हैं उनके अन्दर शिक्षा व्यवस्था का बड़ा अभाव है। अगर हम आयुर्वेदिक प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजेज के समकक्ष वहां पर शिक्षा की व्यवस्था को करना होगा। दूसरे अधिकतर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजेज में मिश्रित कोर्स पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में एलोपैथी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है आयुर्वेदिक के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति वहां पर भर्ती होते हैं वह चाहते हैं कि उनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से की जाय लेकिन उनको सन्तोष नहीं मिलता है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहां शिक्षण की व्यवस्था में सुधार करें और वहां पर आयुर्वेदिक आधार पर, चिकित्सा करने पर विशेष बल दिया जाय।

एक नयी प्रणाली आपने शुरू की है, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक। अब तक मैं समझ नहीं पाया हूं कि 3 महीने में किस प्रकार से ट्रेनिंग दे कर, कक्षा 6-8 पास व्यक्ति को एलोपैथिक, यूनानी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बनाया जायगा और सौंपा जायगा स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों का। मुझे खुशी होती अगर यह प्रयोग किया जाता जन नेताओं के ऊपर। मैं आग्रह करूंगा कि अभी इसको स्थायी करने की ओर निश्चय न किया जाय। एक वर्ष इसके लाभ और हानि को हम देखें क्योंकि अभी हर आदमी स्वास्थ्य में मांगता है लेकिन स्वास्थ्य का मामला नाजुक है। इसलिए कच्चे हाथों में इसको नहीं सौंपना चाहिए। इसलिए इस नए कदम पर यदि मन्त्री जी पुनर्विचार कर सकें तो करें वरना एक वर्ष चलने के बाद पुनर्मूल्यांकन करने के बाद ही इसको स्थायी किया जाय।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का काम जहां तक रोगियों को ठीक करना है वहीं यह विभाग यह भी देखता है कि चीजों के अन्दर मिलावट न हो। मिलावट की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

तो दूर पिछली विधान सभा में मैंने आग्रह किया था कि बनस्पति घी जो बनाया जाता है वह इसके हाईड्रोजिनेशन के प्रासेस के अन्दर निकिल प्रयोग किया जाता है जो कि विष है। वह कुछ मात्रा में घी में भी होता है। निकिल लोगों के अन्दर जमता जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। यहां पर ऐसे अनुसन्धान केन्द्र हैं जहां पता लगाया जा सकता है कि घी में निकिल का परसेन्टेज जो है वह कितना हानिकारक है और उसका प्रभाव क्या है ? यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ऐसा प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कि हाईड्रोजिनेटेड आयल वाली चीजें बिकना बन्द किया जाय।

मान्यवर, एक बात और जो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने रखी है वह अपने विभाग को कुछ सुदृढ़ करना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि इस विभाग के अन्दर जब व्यक्ति अपने अनुभव में परिपक्व होता है तो उस समय उससे डाक्टरी की सेवायें नहीं ली जाती हैं बल्कि उसको एक बाबू बना दिया जाता है और डिप्टी सी0एम0ओ0 मे लेकर डाइरेक्टर तक बना दिए जाते हैं। उस समय वह चिकित्सा नहीं करते हैं बल्कि शासन करते हैं। यह अव्यवस्था तब होती है जब वह अपने ज्ञान में ऊंचा पहुंच चुकता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जिस समय वह डाक्टरी में प्रवेश करते हैं तो उनसे एक आप्शन ले लिया जाय कि वह डाक्टरी में रहना चाहते हैं या प्रशासन में जाना चाहते हैं। यदि प्रशासन में जाना चाहते हैं तो उनको हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेंजें जिसका कोर्स दो वर्ष का है। उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था की जा सकती है। फिर इसमें देखें कि जो चिकित्सा करना चाहते हैं, जिन्होंने डिग्री ले रखी है, उनका प्रयोग चिकित्सा में करें। उनसे मरीजों को लाभान्वित होने दें। लेकिन इसके साथ ही इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि स्पेशलिस्ट के ऊपर जरनलिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में जायं वह हावी न हों। यह निर्णय यदि कर सकें तो सम्भव है कि आपके प्रशासन में कुछ सुधार हो जाय।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर भी एडहाक नियुक्तियां बहुत हैं। बहुत अस्थायी सेवाओं में हैं। 10-20 वर्ष हो जाते हैं लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं बुलाए जाते हैं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बहुत हैं, जो अस्थायी हैं। यह एडहाक और टेम्पोरेरी रहना जहर है जो प्रशासन को गन्दा करते हैं। इसलिए आपको यह करना चाहिए कि एक हास्पिटल कमीशन बैठाकर जो स्थायीकरण करने योग्य व्यक्ति हैं उनको एक या दो महीने में स्थायी कर दें। एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट्स को बन्द कर दें। जो भी नियुक्तियां हों वह उचित माध्यम से होनी चाहिए। दस मिनट के समय के अन्दर जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर आप ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह परिपाटी गलत पड़ गयी है कि लिस्ट देख कर नाम पुकारे जायं चाहे माननीय सदस्य सदन में हो या न हों। नियमों में बड़ा स्पष्ट है कि जब माननीय सदस्य खड़े होंगे और टु कैच दि आई तो जिस पर पीठासीन अधिकारी की निगाह पड़ी उसको बुला लेंगे। अब जैसे माननीय बांके लाल जी सदन में नहीं

थे उनका नाम पुकारा गया। अब वह उपस्थित हैं। वहां यह हो जायगा कि उनका नाम पास ओवर हो गया। तो जो हाउस में हों और खड़े हों उनमें से ही बुलायें।

श्री अधिष्ठाता—

कभी-कभी ऐसा होता है कि गलती हो जाय। अभी सस्दयों के नाम परिचित भी नहीं हो पाए हैं। इधर से जो खड़े हुए तो मैं समझा भगवती सिंह थे। लेकिन वह नहीं थे। यह है कि जिस पर निगाह पड़े उनको बुलाया जाय लेकिन जब पर्चे आ जाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना होता है।

श्री बांके लाल—

मैं कई बार खड़ा हुआ। मेरा नाम भी लिस्ट में है।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें। शान्ति बनाए रखें। इन्सान से गलती होती है। मैं मानता हूं। हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग बोल सकें। लेकिन यहां की भी मजबूरियां हैं। आप राय दे सकते हैं और उसको निभाने की चेष्टा करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

हम विरोध पक्ष में 3 पार्टीज हैं। अच्छा यह हो कि हर दल के एक-एक आदमी को पहले बुला लिया जाय।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के वेतन-मान में जो असंगतियां थीं उनको दूर किया। लेकिन कुछ और कमियां हैं उन पर भी कृपापूर्वक विचार करें। क्योंकि कुछ होना और कुछ न होना यह ठीक नहीं है। आयुर्वेद के जो डाइरेक्टर हैं उनका पुराना ही वेतन-मान है जबकि डिप्टी डायरेक्टर का बढ़ा दिया गया है। जो एपिडेमिक अधिकारी हैं और हेल्थ विभाग के अन्दर हैं उनके वेतन-मान पर भी विचार नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, कई जिलों का दौरा करते हैं लेकिन न तो उनके पास जीप रहती है न टेलीफोन, न कोई उचित स्टाफ है। इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर को 200 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है जबकि और स्नातकोत्तरों को जो एलोपैथिक आदि के हैं उन्हें 400 या 600 रुपया दी जाती है। इसलिए आप हर तरह से असमानता दूर कर रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

अब स्वास्थ्य बजट जो आप लाये हैं वह तो हां कर के पास कर लिया जायगा मेरे नहीं करने से नहीं होगा लेकिन मेरा निवेदन स्वास्थ्य विषय पर है। यह सिर्फ डाक्टरों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

नियुक्ति, कम्पाउन्डरों की नियुक्ति, अस्पताल बनाने का विषय नहीं है यह बहुत ही बड़ा विषय है जिससे जीवन का, स्वास्थ्य का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत ही रुचिकर पद्धति हमारे देश की है। आप देखते हैं कि आप के गांवों की गलियों में जंगलों में तमाम आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां मिलती हैं। उनका अनुसन्धान किया जाय। आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान में इनका अन्वेषण हो और इससे ऐसी बात मिलेगी कि हर गांव का व्यक्ति इस प्रकार की जड़ी-बूटियों को जान सकता है। मेरा यह निवेदन है कि इसका आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

एक सुझाव मेरा यह है कि स्वास्थ्य समितियां बनायी गयी हैं। कई विधायक साथी यहां पर बोले हैं जिनमें से कुछ चिकित्सक भी हैं। तो उनकी एक कमेटी बनायी जाय और हर विषय पर उनसे विचार विमर्ष किया जाय और उसकी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख रखी जाय और इसी तरह काम चलाया जाय जिससे प्रदेश की दस करोड़ जनता को लाभ होगा। अभी मन्त्री जी ने कहा कि प्रदेश का यह पहला रिकर्ड है जब हमने आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर के वेतन-मानों पर ध्यान दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में एक इण्डियन आयुर्वेदिक मेडिसिन काउन्सिल बनी है जिसकी अध्यक्षा, श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। उनके कार्यकाल में आयुर्वेदिक काउन्सिल देश के अन्दर बनी है और उसी से यह प्रेरणा आज आपको मिली है। देश में इस प्रकार के जो चिकित्सा केन्द्र पुरानी सरकार ने खोले हैं उनकी व्यवस्था करना आपका फर्ज है।

आपने जो बजट बनाया है जो कार्य क्रम बनाया है मैंने उसको देखा है। उससे कोई उन्नति की आशा नहीं है। इससे गांवों को उत्थान करने की कोई भावना नहीं मिलती है। आप सब्जी खाते हैं। जैसे लौकी खाते हैं तो जीरा का तड़का दिया जाता है उसी प्रकार से मेथी का तड़का दिया जाता है। इसी तरह जो दैनिक सामग्री जीवन के लिए बनी है उनमें तमाम आयुर्वेदिक भरा पड़ा है। यदि इससे आयुर्वेदिक संस्थान अवगत हो जाय तो वह देश का एक महान संस्थान बन सकता है।

एक बात मैं भूल गया था। नौकरी चाकरी, डिस्पेन्सरी, औषधालय तो हम बनाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, सस्पेन्ड करते रहते हैं। मुख्य विषय यह है और अगर देश व प्रदेश के अन्दर खाद्य सामग्रियों में आप शुद्धता ला सकें तो हमारी स्वास्थ्य की समस्या अपने आप हल हो जायगी। रोज जो खाद्य पदार्थ जैसे आटा, तेल, घी व दूध पेट में जाते हैं उनमें एक परसेन्ट भी शुद्धता नहीं होती, जितनी चीजें मिलती हैं सब अशुद्ध होती है, सबमें मिलावट होती है। इस पर सरकार विशेष ध्यान दें ताकि कोई ऐसा तरीका निकल सके जिससे खाद्य वस्तुए शुद्ध मिल सकें। ऐसा होने पर डाक्टर, कम्पाउन्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी बातें ठीक रहेगी। लिहाजा सरकार खाद्य सामग्री में शुद्धता लाने का अभियान शुरू करे और आयुर्वेद को प्रोत्साहन दें ताकि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें जिससे मानव समाज का कल्याण होगा तथा हर जीव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

श्री बाँके लाल—

अधिष्ठाता महोदय, जो स्वास्थ्य बजट पेश किया गया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और कुछ कहने के पहले मैं एक शेर कह देना चाहता हूं :—

"फूल चढ़ायेंगे लहद पर जिनसे यह उम्मीद थी,
वह भी पत्थर रख गए सीने पर मर जाने के बाद"

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी लम्बी आशा लगाए था कि काँग्रेस को बेदखल करूं और बढ़िया सरकार बने। जनता पार्टी की सरकार बन गयी। बहुत खुशी की बात है कि यह अरमान मेरा पूरा हो गया लेकिन मैं ऐसा कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूं जिससे मुल्क की कोई बहुत बड़ी बहबूदी हो जाय। जो आचरण काँग्रेस वालों का था उससे ज्यादा खराब आचरण हमारे दल के लोगों का हो गया। मुझे इस सरकार से भी भय नहीं है। अगर यह सरकार बढ़िया काम करेगी तो बरकरार रहेगी वर्ना काँग्रेस तो 30 साल गुजार गयी यह 30 महीने नहीं गुजार सकेगी। मैं यह विधान सभा में ही नहीं बल्कि जनता की अदालत में कह रहा हूं। जो-जो परेशानियाँ जनता के सामने आ रही हैं उनको ये मन्त्री लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि सत्याग्रह और आन्दोलन हो रहे हैं। सत्याग्रह और आन्दोलन करना प्रजातन्त्र का तकाजा है कि जिसको तकलीफ होगी वह आन्दोलन करेगा भले ही जेल भेजा जाय या फांसी पर चढ़ा दिया जाय। यह मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह अन्याय के विरुद्ध लड़े, जेल जाय और फांसी के तख्त पर झूल जाय। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है जब इस मुल्क के लोगों को दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं मिलता तो उनका स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

विषय पर नहीं बोला जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री बाँके लाल—

लोगों को आज संतुलित आहार नहीं मिलता। प्रदेश की साढ़े 10 करोड़ जनता ऐसी है जिसको एक वक्त भोजन मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता तो उसके स्वास्थ्य का वर्णन क्या किया जाय। आज ही रिपोर्ट आई है कि देवरिया जिले में एक दम सूखा पड़ गया और सारी फसल चौपट हो गयी। पचासों बार मुख्य मन्त्री जी से कहा लेकिन कोई देखने तक नहीं गया कि वहाँ की जनता की दशा क्या है? जब भर पेट भोजन नही मिलेगा तो लोगो का स्वास्थ्य क्या होगा। देवरिया जिला आज कराह रहा है, सूखे से त्रस्त है लेकिन उस पर इंजीनियर तवान लगा देते हैं अगर कोई नहर काट कर पानी लेता है, दो सौ रुपए का तवान लगा देता है। तो एक तरफ तवान है दूसरी तरफ सूखा है और तीसरी तरफ वसूली जारी है। स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं कि तीस वर्ष से अधिकारियों की आदत बिगड़ी हुई है जो कि काँग्रेस वालों ने बिगाड़ी वह तो चले गये और अब अधिकारियों को भी कुछ करना

[श्री बांके लाल]

पड़ेगा। हमारे हाटा में एक अस्पताल है वहाँ का डाक्टर दवा बेच देता है। अस्पताल में जाइए वहाँ दवा नहीं मिलती है, मेडिकल कालेज गोरखपुर में जाइए तो गरीबों को कोई पूछता नहीं है भले ही एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 को दवा मिल जाती हो लेकिन गरीब को कहीं दवा नहीं मिलती है, उसको ठुकरा दिया जाता है। काँग्रेस की जब हुकूमत थी तो मैंने कहा था कि डुमरी सवानी पट्टी में अस्पताल बनवा दो लेकिन नहीं बना।

इसी तरह मोतीचक में एक पवन कुमार डाक्टर है जिसको वहाँ पर तीन चार साल हो गए है वह सारी दवा बेच देता है और महीने में 15 दिन अपने घर रहता है। वह प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र है। जब लोगों को भोजन नहीं मिलता है और उसमें वह बीमार पड़ जाय तो दवा भी न मिले जो बेचारे जन्मजन्मांतर से कष्ट उठा रहे हैं उनका क्या होगा? थोड़ा सा मन्त्री जी ने कदम उठाया है केन्द्र के स्वास्थ्य मन्त्री श्री राज नारायण जी ने और कहा है कि ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। लेकिन अगर अनभिज्ञ लोगों को यह काम दिया गया और डाक्टर साहब साल भर तक परीक्षण करते रहे और उनको तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर भेज दिया तो साल भर में कितने ही आदमी मर जायेंगे उसके बाद उनको रोका जाएगा। इस बात को मैं पसन्द नहीं करता हूं। गाँवों में अच्छे-अच्छे एम0 बी0बी0एस0 डाक्टरों को भेजिए। वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तीन महीने की ट्रेनिंग दे कर भेज दिया गया तो हजारों लोग मर जायेंगे और फिर बाद में उसकी इन्क्वायरी करेंगे और उनको बन्द करेंगे। इसे मैं पसन्द नहीं करता हूं। अनभिज्ञ हाथों में इतना बड़ा काम नहीं दीजिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री जी भीड़ को देख कर घबरा कर कहलवा देते हैं कि हम घर में नहीं हैं? यह भीड़ देख कर घबराने की क्या बात है, आन्दोलन देख कर घबराने की क्या बात है। हम लोगों ने बड़े-बड़े आन्दोलन किए, जेलों में गए अनेक बार गिरफ्तार हुए मारे-पीटे गए। जो माँग छात्रों की है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी माँगों पर विचार क्यों नहीं करते हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। अगर माँगों को उचित समझते हैं तो उसे स्वीकार करें और जो पूरी नहीं हो सकती हैं उनके लिए आश्वासन दीजिए कि एक डेढ़ साल बाद विचार करेंगे। जो धन्धा काँग्रेस वालों ने किया जेल भेजना, मारना पीटना वह धन्धा आपने भी शुरू कर दिया उससे काम कैसे चलेगा? मैं तो मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं और जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें और कायदे से काम करें।

हमारे हाटा में ठीक से दवाइओं का वितरण नहीं होता है। डाक्टर महीने में 15 दिन घर में रहता है। कप्तानगंज में भी दवा की कमी है, जहाँ भी जाइए दवा की कमी है। पता नहीं कितनी दवाए आप भेजते हैं। कहीं दवा ही नहीं मिलती है, लोगों को पट्टी तक खरीदना पड़ता है। वही हालत देवरिया में है। जो वहाँ सी0 एम0 ओ0 रखा गया है, वह इतना गलत आदमी है कि कुछ उसका हिसाब नहीं है। सारा स्टाफ वहाँ गलत है वे मरीजों से पैसा लेते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं, दवा भी नहीं करते हैं। अभी मैं वहाँ जब गया था, बहुत से मरीजों ने बताया अपना हाल, लोग कराह रहे हैं, त. फ रहे हैं, दवाए वगैरह प्राइवेटली खरीद कर ला रहे हैं, तब कहीं इन्जेक्शन लगवाते हैं, पूरी तरह वे परेशान हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह माँग करता हूं कि मथौली,

अहिरौली वगैरह में छोटे-छोटे प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र मन्त्री जी शीघ्र खोलने की कृपा करें और भीड़ से मन्त्री जी न घबड़ायें। कोई बात हो तो वह सवालों का जवाब मुस्तैदी के साथ दिया करें। मैं उनसे और अन्य मन्त्रियों से कहूंगा कि वे सदन में मुस्तैदी से बैठा करें। एक शिक्षा मन्त्री हैं, जिनका जवाब ही नहीं, उनको जवाब देने का ढंग ही पता नहीं। मालूम नहीं कौन है जो ऐसे मन्त्रियों से मन्त्रि-मन्डल की रचना कर देते हैं। भगवान ही भला करे। जो मन्त्री जी ने बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट स्वास्थ्य मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से सुझाव दूंगा। पहला सुझाव तो यह है कि नेत्र चिकित्सा के सम्बन्ध में जो रिसेपसनिस्ट की पोस्ट क्रिएट की गयी हैं, वे केवल 5 हैं, जब कि हर जिले में रिसेपसनिस्ट की एक-एक पोस्ट होनी चाहिए। नेत्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक अंग है। हर जिले में नेत्र चिकित्सा की सुविधा और डाक्टर मिलते हैं। जो पाँच पोस्टें क्रिएट की गई हैं, इनमें दो तो लखनऊ की हैं और एक-एक वाराणसी, इलाहाबाद वगैरह में हैं। इस पोस्ट को हर जिले में कर दिया जाए तो नेत्र सम्बन्धी चिकित्सा की सुविधा सबको प्रदान हो सकती है। जिला हेडक्वार्टर तक इलाज के लिए हर आदमी आ जाता है, लेकिन हर आदमी को सीतापुर जाना पड़े तो उसे बड़ी असुविधा होती है, बड़ा खर्च और हर्जा होता है यह भी अच्छा हो कि इनको सेलेक्शन ग्रेड भी दे दिया जाए। वैसे यह 5 ही पोस्ट होने की वजह से यह सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मेरा यह भी निवेदन है कि आयुर्वेदिक, एलोपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का एक ही में बजट होता है, उसको एलोपैथी में न रखकर तीनो दशाओं में उसका बंटवारा होना चाहिए, ताकि एलोपैथी के मुकाबले में आयुर्वेदिक और यूनानी का भी उत्थान हो सके। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है एलोपैथी में 2 रुपए 59 पैसा प्रति दिन प्रति मरीज खर्च आता है, आयुर्वेदी में केवल 10 से 20 पैसा के बीच ही प्रति दिन प्रति मरीज आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह अलग-अलग हो। मन्त्री जी बजट दे देते हैं लेकिन एलोपैथी वाले उसमें से मेजर शेयर हड़प कर लेते हैं और दूसरों को थोड़ा-थोड़ा देकर टाल देते हैं। जबकि आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी करने के लिए जड़ी बूटियां और अन्य औषधियां यहां काफी मौजूद हैं। यदि उनसे निर्माणशालाओं के जरिए दवाएं तैयार करायें, तो हमें दवाएं उपलब्ध होंगी और हमारे देश की तरक्की भी होगी। और विदेशों से एलोपैथिक दवाएं मंगाने में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, उसकी भी बचत होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि बजट हेड एलोपैथी का अलग और आयुर्वेदिक का अलग कर दिया जाय।

तीसरे, मेरे विधान सभा क्षेत्र, मुजहना में खरगूपुर टाउन एरिया है, जिसकी आबादी 10 हजार है। वहां पर कोई भी चिकित्सालय नहीं है। जिला परिषद् की तरफ से एक मामूली डिस्पेंसरी है जिसमें प्रति वर्ष पांच सौ रुपए की दवाएं दी जाती हैं, यहां तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विष्णु प्रताप सिंह]

कि सरदर्द की दवा वहां नहीं मिल पाती। तीस वर्ष से ज्यादा हो गए वहां पर टाउन एरिया होने पर भी अस्पताल नहीं बना। वहां पर जिला परिषद् की बिल्डिंग मौजूद है जिसमें डिस्पेन्सरी है। मैंने जिला अधिकारी से कहा था। उन्होंने उसका प्रान्तीयकरण करने के लिए शासन को लिखने के लिए मान लिया है। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि वह कृपया इसकी जानकारी करें और उस बिल्डिंग में एक एलोपैथिक या आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। मैं इधर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि करनैलगंज जो म्युनिसिपल एरिया है और जिसकी 20 हजार की आबादी है, वहां सिर्फ एक मरदाना अस्पताल है। उसमें केवल चार बेड हैं। बीस हजार की आबादी पर कम से कम 12 बेड की सुविधा होनी चाहिए गोंडा शहर वहां से तीस मील पड़ता है। जरूरत पड़ने पर गोंडा अस्पताल भेजा जाय यह मुमकिन नहीं है। इसलिए बेड्स बढ़ा दिए जायं।

इसी तरह से उतरौला विधान सभा क्षेत्र में तहसील हेडक्वार्टर है। वहां एक एलोपैथिक अस्ताल है। उसमें पूरी सुविधा जितनी होनी चाहिए, नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन जगहों पर बेड की सुविधा अधिक के अधिक प्रदान करें ताकि मरीजों सम्बन्धी सुविधाएं मिल सकें। गोंडा से जरवल पचास किलोमीटर पड़ता है। इस क्षेत्र में कोई जनाना अस्पताल नहीं है, जिससे जरूरत पड़ने पर औरतों को भरती करवाया जा सके। गोंडा में ही जनाना अस्पताल है, जब कि जिले में 25 ब्लाक हैं और बहुत बड़ा जिला है। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि करनैलगंज और परसपुर ब्लाक में जनाना अस्पताल खोलने की आज्ञा प्रदान करें।

एक विषय पर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एलोपैथिक दवाइयों में जो मिलावट होती है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरफ भी मन्त्री जी ध्यान दें कि एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं के सिलसिले में कड़ी दृष्टि रखें जिससे किसी किस्म की मिलावट न होने पाए। इन शब्दों के साथ इस बजट का फिर एक बार समर्थन करता हूं।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को बड़ी गलतफहमी है, उनको इस बात का विश्वास है कि शायद सत्ता पक्ष काँग्रेस से कुछ अलग चीज करने वाला है। उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल टोपियां बदली हैं, दिमाग नहीं बदले हैं, केवल कुर्सियां बदली हैं, कारनामे नहीं बदले हैं और उनको विश्वास है कि देश में गरीबी दस साल के अन्दर जनता सरकार मिटा देगी। मनुष्य की जिन्दगी के लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। अगर यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। डाक्टर दूसरा भगवान होता है। लेकिन देखने में यह आता है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने में बड़ा भेदभाव बरता जाता है। अमीर के बच्चे को अगर एक छींक भी आ जाती है तो इंग्लैन्ड और अमेरिका से इन्जेक्शन आ जाते हैं लेकिन अगर गरीब का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको खर्च भी नहीं मिलता है। अगर इस प्रकार अन्तर होगा तो क्या नहीं होगा। यह जरूर है कि जनता थोड़ी देर के लिए बरदाश्त कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ले लेकिन अधिक दिनों तक बरदाश्त करने वाली नहीं है। यह चीज जनता पार्टी को महसूस करना चाहिए कि जनता उसे लेकर रहेगी। आज उनके डिप्टी मिनिस्टर साहब चले गये हैं। राधेश्याम जी को अगर मिनिस्ट्री में ले लिया जाए तो वह बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं और जनता का बड़ा कल्याण हो सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। क्योंकि आंकड़े मिलते हैं पढ़ने का मौका नहीं मिलता है और न हम उनकी यहां पर इतने समय में विवेचना ही कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्कीम चालू की गयी है, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक 1200 से 1500 आबादी वाले प्रत्येक गांव में रखे जायेंगे और उनको 50 रुपया प्रतिमास के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और साल भर में 1200 रुपया की दवा दी जाएगी। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति प्रति साल एक रुपया की दवा देने की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी ओर अमीरों के लिए कोटा रिजर्व रहता है चाहे वे मन्त्री हों या और कोई बड़े लोग हों। हमारे इलाके में आने-जाने का कोई साधन नहीं है अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हाथी पर लाद कर दवा के लिए ले जाया जाता है।

अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में समानता लाना चाहते हैं तो उसका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक मंडल है लेकिन वहां एक मेडिकल कालेज नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए और जिसका नाम डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से हो। अयोध्या में न मालूम कहां-कहां से लोग आते हैं। मान्यवर, वहां पर हजारों की भीड़ लग जाती है फाइलेरिया और हाइड्रोसील के मरीज आते हैं। खून तो बहा दिया लेकिन मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं की गयी। माननीय मन्त्री जी ने जिन बातों का उल्लेख किया है अगर उनको अमल में लाया जाए तो भी बड़ा जनता का कल्याण हो सकता है। आपने जो देहातों में अस्पताल खोला है उनकी दवायें ब्लैक हो जाती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, इसलिए मान्यवर, इस ओर ध्यान दिया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहाँ एलोपैथिक और होम्योपैथिक या अन्य प्रकार की दवाओं की चर्चा चल रही है। देहाती क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाओं का विकास किया जाए। वह बहुत उपयोगी होंगी। जहाँ लोग झाड़-फूंक में विश्वास रखते हैं, जादू-टोना में विश्वास करते हैं तो उनको जड़ी बूटियों वाली दवायें मिल सकें क्योंकि एलोपैथिक व होम्योपैथिक की दवायें बड़ी कीमती होती हैं और इतनी कम लागत में उन दवाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने का काम हमारे प्रशासन के मान की बात नहीं है। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे जिले में एक मेडिकल कालेज खोला जाए।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें।

[श्री मित्र सेन]

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र फैजाबाद में मण्डलीय स्तर पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराने की व्यवस्था की जाए उससे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती आदि जिले मिले हुए हैं। इसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रा-मैटीरियल की आवश्यकता हो तो इसके लिए मरीज तो होते ही हैं। वहाँ कोई रेलवे लाइन की बात नहीं है। कलकत्ता से लेकर देहरादून को मिलाने वाली रेलवे लाइन है फिर वहाँ कौन सी ऐसी बात है जो एक मेडिकल कालेज नहीं खोला जा सकता ? जिस किसी भी स्तर का बना सकें बनायें, वहाँ के मरीजों को कुछ राहत मिल सके, अत : एक मेडिकल कालेज की बड़ी आवश्यकता है।

एक बात और कहनी है मान्यवर, कि देहातों में औषधियों का विकेन्द्रीकरण विस्तृत रूप से किया जाए जिससे गाँवों में दवायें मिल सकें और गरीब जनता को इस दिशा में राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा यह जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान पेश किया गया है इसका मैं समर्थन कर रहा हूं और साथ ही यह भी अपेक्षा करता हूं कि इसके लिए अधिकाधिक धनराशि को स्वीकृत करना चाहिए था।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा एक मूल विचार है और वह यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य को अलग-अलग रखा जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी मेडिकल और हेल्थ को एक साथ जोड़ देना और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि हमारे यहाँ सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सदन में एक बार मैंने 1974 में पिछली विधान सभा में एक जानकारी चाही थी शासन से कि कुष्ठ रोग का निरन्तर प्रसार हो रहा है। प्रदेश में इसकी संख्या कितनी है ? शासन को कोई पता नहीं है। आपका जो विभाग है, इस प्रश्न पर कि कर्त्तव्य विमूढ़ हो गया। उसे इसकी कोई जानकारी नहीं। केन्द्रीय सरकार के निदेश पर पुन : सर्वेक्षण प्रारम्भ हुआ। अन्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेत्र रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके कोई निश्चित आँकड़े नहीं हैं। इनका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

हमारे यहाँ तराई क्षेत्र में 700 किलोमीटर की पूरी की पूरी बेल्ट है जहाँ फाइलेरिया फैला हुआ है। फाइलेरिया के कीटाणु वहाँ रहते हैं। इस्नोफीलिया और फाइलेरिया ये एक ही रोग की विभिन्न शाखायें हैं और इनके इलाज के लिए जो औषधि प्रयुक्त होती है वह भी शायद एक ही है तो इस तरह से उनका भी कोई निश्चित सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि इस देश में सचल चिकित्सालय की बहुत अधिक आवश्यकता है। पिछले 30 वर्षों से एक बात कही जाती रही है कि गाँवों में चिकित्सक जायें लेकिन ये वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर डाक्टरों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सचल चिकित्सालयों और ग्रामीण

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाय। यहाँ पर कहा गया कि रोगियों का पर्चा निःशुल्क कर दिया गया है, पहले स्थिति क्या थी? रोगी को सोडा वाई कार्ब या सिरप जिसमें 2 1/2 सेर पानी मिलाकर एक शीशी तैयार कर ली जाती थी जो मुश्किल से 10 या 5 पैसे में तैयार होती थी, दे दी जाती थी और अधिक हुआ तो कुछ ए0 पी0 सी0 की गोलियाँ या सल्फा ड्रग दे दी गई और लिया गया एक रुपया और बाद में जो हुआ 50 पैसे में।

आज संचारी बीमारियों को गैस्ट्रो एन्टाइटिस कह दिया जाता है लेकिन जब रोगी के मल और मूत्र का परीक्षण होता है तो उसमें हैजे के जर्म्स निकलते हैं। इन संचारी रोगों पर नियन्त्रण बहुत ही आवश्यक है।

अब मैं शासन को आगाह भी करना चाहता हूं। परिवार कल्याण के कार्य-क्रम में बहुत शिथिलता आ गई है और मैं कहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इसकी ओर तुरन्त ध्यान न दिया गया तो इसका कोई उपचार बाद में नहीं मिलेगा। इधर के लोग बिल्कुल शून्य हो गए हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बड़ा ही चिन्ता का विषय है। अगले दशक में यहाँ की जनसंख्या इतनी हो जाय कि सड़कों पर चलने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः जिस अनुपात से जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है इस पर हमें निश्चित रूप से नियन्त्रण करना होगा। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य और नैतिकता की बात कहते हैं लेकिन वह सब बेकार की बातें हैं। ब्रह्मचर्य और नैतिकता की शिक्षा की बात कह कर हम परिवार कल्याण नहीं कर सकते हैं। मैं यह भी कहे देता हूं कि इस समस्या को नजरअन्दाज करना किसी भी शासन के लिए उचित नहीं होगा।

अब मैं चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में मेरा यह मौलिक सुझाव है कि मानव सेवा अध्याय को भी इसमें जोड़ दिया जाय चाहे वह आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, तिब्बिय हो और वह मोडर्न साइन्स हो। सैकड़ों वर्षों पूर्व जर्मन वैज्ञानिकों ने हमारे ऋगवेद का अध्ययन किया। उनका कहना था कि —

> "in the heroic days of Vedas writers said that the physician of the body should also be the physician of the mind"

ऋग वेद के शौर्यवीर युक्त तेजस्वी काल में कहा गया है कि जो शरीर का चिकित्सक होता है वह मन और दिल का भी चिकित्सक होता है। इसीलिए व्यक्ति की निम्न परिभाषा की गई है :—

> 'समदोपः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया,
> प्रसन्नात्युन्द्रिय मना: स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥

फिजिकल दृष्टि के जो स्वास्थ है वह स्वस्थ नहीं हो सकता है। आज आयुर्वेद के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार से होम्योपैथी के साथ भी। वहाँ पर आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति कहा गया है, लेकिन मैं इसे आयुर्वेद की पद्धति नहीं मानता हूं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है ही नहीं। प्रणाली तो उससे निकाल लें। यह अपने आप पूर्ण रूप से और साँगोपाँग विज्ञान है। वर्णकार की आयुर्वेदिक मैटीरिया मेडिका अर्थात् निघंटू

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

में अश्वमार कहा गया है लेकिन घोड़े को मारने वाली कौनसी शक्ति है क्या उसका पता चलेगा ? नहीं पता चल सकता। इसलिए कहता हूं कि यह जो डीसेंटरी है, कोलाइटिस है, पेचिस है, इन सबके जो कीटाणु हैं इनको मारने के लिए तक्र बड़ी जोरदार चीज है, लेकिन स्लाइड पर रखने से पता थोड़े ही लगेगा कि उसके कीड़े मर गए ?

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्योपायो न विद्यते।
तमर्थं वेद वेदेन तस्याद् वेदस्य वेदता ।।

प्रत्यक्ष और अनुमान से जब सारे साधन विफल हो जायं तभी जो दिशा निर्देश करे वह चीज है आयुर्वेद। इसलिए आयुर्वेद का महत्व है। यदि वह सरकार भी जब दूसरी माडर्न मेडिसिन्स के लिए और परिवार कल्याण के लिए जहां 72-73 करोड़ रूपए स्वीकृत करती है तो आयुर्वेद, यूनानी और तिब्बया तीनों के लिए 7-8 करोड़ की व्यवस्था होती है। हमारे देश में जब हमारे ऋषियों और महान आचार्यों में नागार्जुन थे, महर्षि सुश्रुत थे तब यहां शल्य चिकित्सा का विस्तार हुआ था। महर्षि सुश्रुत आज भी विश्व के पहले सर्जन माने जाते हैं। दुनियां के सारे देशों में उनका सम्मान होता है। उनके अनुसन्धान, उनकी विद्या और टेक्नीक आज भी आश्चर्य का विषय है।

लेडरले कम्पनी ने विदेशी होते हुए भी एक चित्र प्रकाशित किया था जिसमें दर्शाया था कि महाराज भोज के ब्रेन ट्यूमर का आपरेशन जिन भारतीय यन्त्रों से किया गया था उनमें बाल को भी दो हिस्सों में काट देने की क्षमता थी। आज भी रशियन वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि हृदय के लिए, वात वाहनियों के लिए, ठीक रक्त संचार के लिए गूग्गल एक महान औषधि है और रशियन वैज्ञानिक गुग्गल का अनुसन्धान कर रहे हैं। हमारे देश से तमाम चीजों का निर्यात हो रहा है। ऐसी-ऐसी वनस्पतियां हमारे यहां उपलब्ध हैं, जैसे पुनर्नवा है, अर्जुन है, सर्पगन्धा है, त्रिफला है, गुग्गल इत्यादि जो वनस्पतियां हैं इनका एक बड़ा मौलिक महत्व है। मैं तो कहता हूं कि इतनी सस्ती चिकित्सा और इस देश की जलवायु के लिए हितकारी यह अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हम तो सारी विदेशी दवायें करते हैं और अपने जीवन को भी नीम-हकीमों का खतरा बढ़ गया है। एक्सपायर्ड डेट की औषधियां इतनी मात्रा में बढ़ गयी हैं ग्रामीण अंचलों में कि लोग अन्धाधुन्ध ऐंटी बायोटिक औषधियां प्रयोग कर रहे हैं और आदमी मर रहे हैं। लोगों को सत्तू भरे कैपसूल मिल रहे हैं। ऐक्रोमाइसिन, लिडर-माइसीन के नाम पर जो प्राण रक्षक औषधियां हैं, सत्तू भरे हुए कैपसूल उपलब्ध हो रहे हैं। किन्तु चरक, सुश्रुत, वाण भट्ट तथा रसायनाचार्यों द्वारा निर्मित औषधि हजारों वर्ष टिकाऊ होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्ति पर है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तो इस प्रकार की जो औषधियां हैं वह प्राणघातक बन गयी हैं, जोकि प्राण रक्षक थीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अपील करता हूं कि आप अधिक न करें, आयुर्वेद के लिए इतना ही कर दें जितना कि पंजाब ने किया है, जितना राजस्थान ने किया है, गुजरात और हरियाणा ने किया है जो आपके

पड़ोसी राज्य है। मूल उत्तर प्रदेश के निवासी अगर बिहार स्नातकों को आप मौका दीजिए, आज वे हजारों की संख्या में नौकरी के लिए तरस रहे हैं और कहने के लिए लम्बी-चौड़ी बातें हैं। कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि शासन इस ओर विशेष ध्यान देगा और आयुर्वेद को उचित स्थान देगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्वास्थ्य मन्त्री ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मन्त्री जी ने जो आयुर्वेदिक स्नातकों और एलोपैथिक डाक्टरों की जो समकक्षता दिखाई है वह ठीक है, परन्तु आज मैं भी आयुर्वेद का स्नातक हूं। कालेजों में, देहात के आयुर्वेद के अस्पतालों में जो दुर्दशा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ वेतन बढ़ाने से आयुर्वेद का उत्थान और आयुर्वेद स्नातकों का भला नहीं होगा। आज का आयुर्वेद का विद्यार्थी जब आयुर्वेद पढ़ कर निकलता है और उसकी नियुक्ति होती है और वह एलोपैथिक डाक्टर को देखता है जो एक अच्छी बिल्डिंग में बैठता है, लाखों रुपए की दवाइयां उसमें रहती हैं और जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं उसको किसी कोने में अस्पताल खोलने की जगह मिलती है, जिसे बरसात में बैठने की जगह नहीं है, पूरा मकान चूता है, न फर्नीचर है, न नौकर है न वहां सर्जरी का सामान है तो ऐसी परिस्थिति में वह कैसे उस एलोपैथिक डाक्टर का मुकाबला कर पाएगा। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहूंगा कि प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के पास ही एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी खोला जाय और आयुर्वेद का स्नातक वहां रखा जाय। इससे परस्पर सहयोग से लाभ होगा। आयुर्वेदिक का स्नातक सर्जरी में कमजोर रहता है और एलोपैथिक का डाक्टर सर्जरी में चतुर रहता है। दोनों एक दूसरे से लाभ उठा सकते हैं जिससे रोगियों का भी भला होगा।

एक बात और है। गोरखपुर मेडिकल कालेज में एक रीडर है डा0 पी0एन0 जैन एनाटमी के। उनकी पत्नी के ऊपर प्राण-घातक हमला हुआ 9 तारीख को। पहले भी 15 अगस्त को एक घटना ऐसी घट चुकी है। उनका एक पूरा हाथ बेकार हो गया है। उनके बच्चे मन्त्री जी और सचिव साहब को भी रो-रो कर फोन कर रहे हैं। सचिव साहब ने तो उनके झांसी ट्रान्सफर के लिए आश्वासन कुछ दिया भी परन्तु मन्त्री जी के पास जब मैं ले गया तो आप लिखते हैं, इफ वैकेन्सी एग्जिस्ट्स। अरे, इसके लिए वैकेन्सी देखी जाती है। एक डाक्टर की जान कितनी कीमती होती है। आज उनके बच्चे असुरक्षित हैं। किसी का भी अपहरण किसी टाइम हो सकता है। उनके क्षेत्र का मामला होता तो फौरन लेते। यह विषय बड़ा गम्भीर है और अगर इसमें कोई ऐक्शन न लिया गया और कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर और मन्त्री जी पर होगी।

बबीना, डिस्ट्रिक्ट झांसी मेरा क्षेत्र है। वहां बरुआ सागर में एक स्वर्गाश्रम है। वहां एक चिकित्सा केन्द्र खुला हुआ है। एक स्वामीजी हैं जो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता हैं, दवाई देते हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहूंगा कि उस चीज को जाकर देखें और जैसे प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको भी दें। बरुआ सागर एक

[डाक्टर भगवत दयाल]

बड़ी सब्जी मन्डी है परन्तु वहां पर कोई अपस्ताल नहीं है। वहां प्रसव काल में सैकड़ों स्त्रियां मर जाती हैं। मैं लिख कर भी दे चुका हूं। मैं मन्त्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वहां 30-40 बेड्स का एक अस्पताल खुलवा दें।

मान्यवर, जो ये ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक बने हैं यह बड़ा अहम मसला है। इससे चिकित्सा जगत में एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गयी है। 6 क्लास पास का आदमी क्या सेवा कर सकता है। मैं सुझाव दूंगा कि जो रजिस्टर्ड वैद्य हैं आयुर्वेद के, होमियोपैथ के भी जो रजिस्टर्ड डाक्टर हैं वे अपनी सेवायें देने को तैयार हैं, ये लोग उनसे अच्छे हैं जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनको यह स्थान दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, हरिजनों को वजीफा बहुत कम मिलता है। वह कम से कम 100 रुपए रखा जाय। इसके अलावा वह 3-4 महीने बाद मिलता है। मैं चाहूंगा कि वह शुरू से ही दिया जाय। प्रत्येक गांव में एक केन्द्र अवश्य होना चाहिए और एक दाई की नियुक्ति वहां होनी चाहिए। गांवों में दूर-दूर तक महिला चिकित्सक नहीं रही हैं। तो कम से कम ये दाइयां थोड़ी बहुत सलाह तो दे ही सकती हैं। उनको सलाह दे सकती है और इस तरह से रोजगार भी मिलेगा और इसमें हरिजन की जो समस्या प्रारम्भिक है, हरिजन बेरोजगार हैं, हरिजनों में जो भाई कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और जो अनुदान मिलता है, उस अनुदान से उनका भला नहीं होता है, तो जितनी हरिजन महिलायें हैं, उनको नौकरी भी मिलेगी और अपने ग्रामीण भाइयों का भी भला होगा। जो दवाइयों का वितरण जो एलोपैथिक अस्पतालों में होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मैं देखता हूं, मैं खुद चिकित्सक हूं, शायद ही या तो बड़े नेताओं को मिल जायगी दवाइयां या कोई सोर्सफुल होगा, उसको मिल जायगी। लेकिन गरीबों को वही ए0पी0सी0, सल्फागुनाडीन मिलेगी। मान्यवर, सारी की सारी दवाइयां वहां पर बिक्री में चली जाती हैं और इस तरह से साठ-गांठ करके वहां अस्पताल के लोग काम करते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत भार है, आपको जैसे टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ भी टाइम नहीं मिलता है, कभी अर्न्तध्यान हो जाते हैं, तो अधिकारी जो हैं, वे किसलिए बनाए गए हैं? यह काम अधिकारियों को सौंपें। सब बेईमान हैं? किसलिए वे वेतन लेते हैं। किस काम के लिए अनुभव लेकर आए हैं? डाक्टर पी0एन0 जैन, रीडर, एनाटामी के बच्चे को अगर कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। उनकी पत्नी का हाथ बेकार हो गया है। अगर उनका स्थानान्तरण झांसी मेडिकल कालेज में नहीं कराया गया, 2-4 दिन के अन्दर यह व्यवस्था नहीं हुई, तो यह मैं समझूंगा कि यह बड़ा अभिशाप होगा इस पार्टी पर और हमारे मन्त्री जी इसके जिम्मेदार होंगे। मैं ज्यादा न कहकर इतना अवश्य कहूंगा कि मन्त्री जी अपने को एम0 एल0 ए0 से अलग न समझें। जहां एम0 एल0ए0 हैं, वहां मन्त्री हैं। मन्त्री अपनी पावर को यह न समझ लें कि हमीं सब कुछ हैं। एम0 एल0 ए0 के बल पर ही मन्त्री बने हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे दल की तरफ के दो नाम दिए गए हैं—कन्हई सिंह जी और इन्द्रमणी बड़ोनी जी...

श्री अधिष्ठाता—

जगन्नाथ प्रसाद जी हैं या नहीं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी, मैं हूं।

श्री अधिष्ठाता—

तो आप बोलें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से रखा गया है मैं उसके समर्थन से लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है खासतौर के ग्रामीण अंचलों और पर्वतीय अंचलों पर जो अस्पताल हैं, वहां पर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं और डाक्टर है तो दवाइयां नहीं। हालत बहुत ही खराब है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस पर वह ध्यान दें। आज देखे आप कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट के कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं ? कल फार्मेसिस्ट्स की हड़ताल हुई थी। मलेरिया विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और होम्योपैथिक छात्र तमाम जेलों में बन्द हैं। इनको छोड़ दें। मन्त्री जी को इस पर कोई स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। अगर वित्त की कमी है और उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं तो साफ कह दीजिए कि 1 साल, 6 महीने या 2 साल में हम उनकी मांगें पूरी कर पायेंगे। जेलों में जो कर्मचारी बन्द हैं उनको छोड़ने के आदेश तुरन्त देने चाहिए। मैं उनसे बात भी कर चुका हूं लेकिन कोई अभी इसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ है। आज अगर जेलों में कोई डाक्टर है तो 8 सौ मरीजों को वह देखता है। लेकिन बाहर के डाक्टर, 20 हजार जनता के ऊपर एक डाक्टर होता है। यह बहुत जबरदस्त असमानता है। मन्त्री जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे जो कटौती के प्रस्तावक हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। अधिष्ठाता महोदय, टिटनेस का इन्जेक्शन अस्पतालों में बहुत कम होता है। तमाम मरीज लखनऊ के अस्पतालों में इन्जेक्शन न होने की वजह से मर जाते है। एक अल्मारी होती है वी0 आई0 पी0 ज0 के लिए। टिटनेस के इन्जेक्शन इनको मिल जाते है। बड़े कर्मचारी, मन्त्री, एम0 एल0 ए0 इनको ये इन्जेक्शन मिल जाते हैं जबकि औरों के लिए कहा जाता है कि बाजार से खरीदें इस तरफ मन्त्री जी की निगाह जानी चाहिए।

एक योजना भारत सरकार की तरफ से निकली है। बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन कक्षा 6 क्लास पास आदमी को आप 3 महीने में ट्रेनिंग देंगे और केवल 50 रुपया देंगे जो बिल्कुल ना काफी है। मेरा सुझाव है कि गांव सभाओं के जो प्रधान है उनके पास एक किट रख दी जाय जिसमें कुछ एसेंशियल ड्रग्स रखी जायं। कुओं में डालने के लिए लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर गांव के कुंओं में वर्ष में कम से कम 2-3 मर्तबा डाला जाय। खासतौर से बरसात में लाल दवाई और ब्लीचिंग पाउडर से पानी साफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

किया जाय जिससे संक्रामक बीमारियां जो हैं, वह न फैलें। आज प्रदेश के अन्दर मलेरिया का प्रकोप फिर से जोरों के साथ है। मन्त्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं कृपया जो मेरे सुझाव हैं वह सुनें। मलेरिया का प्रकोप जोरों के साथ फिर जिलों-जिलों में चालू हो गया है। खासतौर से तराई इलाके में प्रकोप बढ़ रहा है। मेरे जिले की तहसील निधासन में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लोग मलेरिया से पीड़ित न हों। मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें। यहां से दस्ते दवाइयों के साथ भेजें और जिन गांवों में मलेरिया का प्रकोप है वहां पर दवाइयां और इन्जेक्शनों की खास व्यवस्था कर दें।

अधिष्ठाता महोदय, कटौती का प्रस्ताव जिन सदस्य ने पेश किया है उन्होंने यहां, लखनऊ की हालत के बारे में बताया कि किस तरह से घपला दवाओं के सम्बन्ध में होता है और दवा बनाने वाली कम्पनियों में होता है। लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां कुछ खास लोग, खास अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हैं। खासतौर से जो मेडिकल अफसरों का ट्रान्सफर होता है, डाक्टरों का ट्रान्सफर होता है उसमें बड़ी-बड़ी रकमें ली जाती हैं। यहां पर नाम लेना उचित नहीं होगा। मैं मन्त्री जी को बाद में इसके बारे में सूचना दूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दे देंगे तो डिपार्टमेन्ट का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक बात मन्त्री जी ने कही थी कि प्रदेश में महिला डाक्टरों की कमी है। इस तरफ मेरा एक सुझाव है कि जब कमी है तो 58 साल की बात न रखें। 58 साल के बाद रिटायर कर देते हैं तो महिलाओं के बारे में इसमें छूट दें नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला है। मेरे जिले लखीमपुर खीरी में तमाम अस्पतालों में महिला डाक्टरों की कमी है। तो एक्सटेंशन के बारे में सोचना होगा। अगर मन्त्रि-परिषद् ने कोई फैसला ले लिया है तो उस फैसले पर पुन: विचार कम से कम महिला डाक्टरों के बारे में करना चाहिए। आजकल डाक्टर ग्रामीण अंचल में नहीं जा रहे हैं। मन्त्री जी के जिले में एक गुरुकुल कांगड़ी का अस्पताल है जिसमें होम्योपैथिक डाक्टर नहीं है। वहां पर यदि डाक्टर कम से कम न भेजें तो कमरा खाली करा दें जिससे वहां के डाक्टर होम्योपैथिक डाक्टर को रख सकें। इसलिए मन्त्री जी इस तरफ ध्यान डालें।

मान्यवर, खीरी जिले में बरबर है वहाँ 8 साल से एक डाक्टर है जो कि 8–8 दिन गायब रहते हैं और अस्पताल बन्द रहता है। इसकी तरफ भी मन्त्री जी ध्यान दें। तहसील निधासन में धैरारा और सिधाई में दो महिला अस्पतालों के खोलने के लिए हमने प्रस्ताव किया था लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वहाँ इस बजट में नहीं तो अगले बजट में अस्पताल खोलने के प्राविधान पर विचार करने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मलेरिया के कर्मचारी, फार्मेसिस्ट्स और होम्योपैथिक छात्रों के बारे में कुछ सोचें और जैसा कि मैंने पहले कहा था प्रदेश में, जिलों में यहां हेडक्वार्टर से दस्ते भेजें जो मलेरिया की दवाई और इन्जेक्शन साथ में ले जायं और प्रभावित लोगों का इलाज करें। मलेरिया कर्मचारियों की जरूरत हो रही है इसलिए उनको आप छोड़ें। इस प्रकार मलेरिया कर्मचारी, फार्मेसिस्ट्स और होम्योपैथिक छात्रों के बारे में कुछ करें और यदि नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें

और जब कर पावें तब करें ऐसा कुछ उनको आश्वासन दें जिससे वह लोग हड़ताल छोड़ें, जेलों से निकलकर आवें और मरीजों की उचित रूप से इलाज करें। आजकल डाक्टरों की ऐसी नौबत आ गयी कि उनको कम्पाउन्डरों की हड़ताल की वजह से, दवा देनी पड़ती है। इस तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वह कोई व्यवस्था जरूर करेंगे।

मान्यवर, इस बार पुरुषों की नसबन्दी का कोई जिक्र नहीं किया लेकिन महिलाओं की नसबन्दी का 4 लाख का लक्ष्य रखा है जो कि 1975-76 में था। तो यह दो भांति क्यों की गयी ? इन शब्दों के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल से प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। माननीय सदस्य बैठ जायं।

एक सदस्य—

मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जायं। कृपा करके बैठ जायं।

श्रीमती रामरति देवी—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है यह है कि स्त्री-पुरुष को समान अधिकार है और इसी सदन में सुबह से लेकर अब तक सारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं कम से कम 10 बार अपनी सीट से उठी हूं, बोलने के लिए। तो आप व्यवस्था दें। किन किन कारणों से मुझे रोका जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

हमारी माननीय सदस्या बहिन ने जो प्रश्न उठाया वह तो आपके सामने है लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि सदन में महिला और पुरुष सदस्यों के अधिकार समान हैं। यह भी देखना पड़ता है कि अधिक से अधिक सदस्यों को मौका मिले। माननीय सदस्या कल बोल चुकी हैं। फिर भी उनका ध्यान रखा जायगा। माननीय अशोक बाजपेयी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता जी . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। मैंने बुला लिया है।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

एक जानकारी आपसे चाहता हूं। श्रीमन्, आपसे निवेदन है कि जो निर्दलीय विधायकों के नाम आपके पास गए थे उनमें मेरा नाम प्रथम था। मैं यहाँ पर कई बार खड़ा हुआ और निर्दलीय नेता ने भी कहा कि बड़ौनी जी को बुलाया जाय लेकिन मुझे समय नहीं दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। यहाँ पर पहाड़ों के भी लोग हैं। उनकी समस्याएं भिन्न हैं। आप उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस तरह से काम होगा तो प्रदेश के पुनर्गठन की बात होगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य की बात मैंने सुनी और मैं ध्यान में रखूंगा। किसको बुलाया जाय यह निर्णय करने का अधिकार मेरा है।

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि साक्षात्कार के लिए जब प्रार्थना-पत्र माँगे जाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में प्रार्थना-पत्र आते हैं। इससे स्पष्ट है कि चिकित्सा स्नातकों का अभाव नहीं है चाहे आयुर्वेद के हों या एलोपैथी के हों। उनकी बहुतायत है। लेकिन बहुत से अस्पताल हैं जहाँ पर डाक्टर नहीं है और वर्षों से पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। बिना चिकित्सकों के अस्पतालों की क्या स्थिति होगी यह बात किसी से छिपी नहीं है। वहाँ इस परिस्थिति में लोगों को कितनी परेशानी होती होगी यह बात आसानी से समझी जा सकती है। मैं आपका ध्यान अपने जिले के अस्पतालों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिहानी, जिला हरदोई में कोई महिला चिकित्सक नहीं पहुंची है। 17 वर्ष से वहाँ स्थान रिक्त है। आप अन्दाजा करें इससे कितना जनहित हो रहा होगा। जब इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया तो यह हुआ कि महिला चिकित्सक तो भेजी नहीं गयी, जो पुरुष चिकित्सक था उसको भी वापस बुला लिया गया। यही नहीं मेरे विधान सभाई क्षेत्र में तीन अस्पताल हैं लेकिन वहाँ किसी में कोई चिकित्सक नहीं है। समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है? इसलिए मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक प्राइमरी सेन्टर पर एक पैथोलाजिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि रोग का निदान ठीक से हो सके। जब तक डायगनोसिस नहीं होगा तो उचित दवा रोगी को नहीं दी जा सकती। ठीक डायगनोसिस न होने की वजह से रोगी पर एक तरह से प्रयोग किया जाता है। कभी यह दवा दी जाती है तो कभी दूसरी दवा दी जाती है। इसलिए हर प्राइमरी सेन्टर पर एक पैथोलाजिस्ट की नियुक्ति होना आवश्यक है।

मैं मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ओर तो आप आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं दूसरी ओर जो रुपया आप एक हजार या बारह

---

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सौ रुपया सालाना देते हैं उसमें क्या हो सकता है ? अगर आप देखें तो रख-रखाव पर, कम्पाउन्डर पर ही 20 से 25 हजार रुपया खर्च हो जाता है और दवाओं के लिए आपने 1 हजार रुपया रखा है। यह बड़ा हास्यास्पद मालूम होता है । एक हजार की दवा क्षेत्र में किस तरह किसको बाँटी जायगी, समझ में नहीं आता। इसलिए जो औषधालय खुले हैं उन पर दवाओं के लिए समुचित बजट का प्राविधान किया जाना चाहिए ।

चिकित्सा विभाग में तमाम लोगों की भी है। मिड वाइफ हैं, हेल्थ विजीटर्स है, मलेरिया इन्सपेक्टर्स हैं। तमाम पोस्ट्स हैं । मलेरिया इन्सपेक्टर जाता है पूछ कर चला आता है। मिड वाइफ जाती हैं तो पूछ कर चली आती हैं कि कोई प्रसव तो नहीं है। इस प्रकार आठ दिन में कोई न कोई जाता रहता है। ये लोग जाते हैं तो जाने-आने में छ : घन्टे का समय निकल जाता है। दो घन्टे का समय बचता है तो उसमें वह क्या कर सकते हैं ? इस तरीके से कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय। एक ही व्यक्ति को विभिन्न चिकित्सा विषयों पर जानकारी दी जाय । एक ही व्यक्ति को मलेरिया के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य निरीक्षक के सम्बन्ध में और तमाम चीजों के संबन्ध में प्राथमिक जानकारी दे दी जाय जिससे ज्यादा लाभ होगा। इस प्रकार गाँवों का भी लाभ होगा और सरकार को भी जानकारी मिलती रहेगी कि कितना कार्य उन्होंने किया है ।

दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जिला अस्पतालों में जहां नर्सेज की पोस्टिंग की जाती है वहां उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे वे अपना ट्रान्सफर कराने का प्रयास करती हैं। उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो सके, उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाय ताकि वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह कर सकें।

इसी प्रकार जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर ब्लाक स्तर पर हैं वे वैल-इक्वीप्ड होने चाहिए। वहां पर प्राथमिक चिकित्सा की चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था की जाय। जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के लिए बिल्डिंग नहीं है, डाक्टर चौपाल पर बैठता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इस प्रकार दयनीय हालत में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पिहानी में खोला गया है। वहां पर न कोई बिल्डिंग है, न स्थान है लेकिन कागज के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर चल रहा है। मेरे बार-बार कहने पर ब्लाक में एक प्रस्ताव पास हुआ कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर वहां से हटा कर शहर में खोला जाय लेकिन हमारे अधिकारियों ने कभी नहीं सुना । हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि अस्पताल ऐसे स्थान में स्थापित किए जायं जहां पर पूरे क्षेत्र को लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री विश्वनाथ पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

(व्यवधान) . . . आपसे एक व्यवस्था के प्रश्न पर आदेश के लिए अनुरोध किया गया लेकिन बावजूद आपने उनको पांच मिनट नहीं दिए. . । माननीय सदन की भावनाओं को, सम्मान को देखते हुए उन्हें. . . .

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्या का पूरा ध्यान है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा. . .

श्रीमती रामरति देवी--

अधिष्ठाता महोदय. . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीया सदस्या, मैंने पाण्डेय जी को बुला लिया है। आपका ध्यान रखा जायगा। श्रीमती रामरति से मेरा अनुरोध है कि वह बैठें।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमती रामरति देवी---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. . .

श्री अध्यक्ष---

रामरति जी आप बैठ जाइए। बाद में आपको अवसर मिलेगा। श्री विश्वनाथ पाण्डेय को बुलाया जा चुका है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय---

स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। पिछले 30 वर्ष से स्वास्थ्य सुधार के नाम पर योजनाएं तो बहुत बनी लेकिन उनका कोई पालन नहीं हो रहा है और उनका कुछ लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है,। मान्यवर, बस्ती जिले के अन्दर ही नहीं पूरे प्रदेश की हालत यह हो गई है कि चार-चार वर्ष हो गए अस्पताल कागज पर खुले हैं लेकिन वहां आज तक डाक्टर की कोई नियुक्ति नहीं हो पाई। खेद का विषय है कि डाक्टर नौकरी की तलाश में रहते हैं और अस्पतालों में डाक्टर चाहिए, सौभाग्य से दोनों उपलब्ध हैं लेकिन उनका मेल कराने में सरकार कामयाब नहीं हो पाती। सबसे पहले यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां अस्पताल खोले गए हैं वहां डाक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। जहां डाक्टर हैं वहां भवन नहीं है, पेड़ के नीचे अस्पताल लगाए जाते हैं। जहां भी अस्पताल खोले जायं पहले वहां डाक्टर तथा भवनों का प्रबन्ध हो और जहां दोनों हैं वहां उपचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

मेरे ख्याल में पिछली सरकार ने जो 30 साल में किया है उसका दुष्परिणाम हमारे प्रान्त को और खास कर बस्ती जिले को भुगतना पड़ रहा है। बस्ती जिला इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना गया है। लेकिन दुख का विषय है कि सुदूर गांवों में 10 मील का रस्ता तय करने पर पक्की सड़क मिलती है। वहां अस्पताल खुलने चाहिए। चेतिया के अस्पताल को खुले चार वर्ष हो गए लेकिन डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी। तितौली नामक स्थान पर अस्पताल खोला गया, डाक्टर भी है लेकिन पेड़ के नीचे अस्पताल लगाया जाता है। इसी तरह से बांसी में 10 स्कूल हैं चार-चार कोर्ट्स हैं और वहां की आबादी 50 हजार के लगभग है लेकिन वहां अस्पताल तथा दवा का प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर सकी। महिला अस्पताल के लिए वहां कोई भवन नहीं है। केवल कागज पर कांग्रेस सरकार ने अस्पताल खोल रखा था। उसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तीस वर्ष के अन्दर सभी विभागों के अन्दर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है वहां स्वास्थ्य विभाग में भी भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। बस्ती जिले में जिस समय परिवार नियोजन का कार्य-क्रम चल रहा था बस्ती जिले के महिला अस्पताल में तीन मौतें उस समय हुयीं जब उनके आपरेशन किए गए। उनका उपचार ठीक से नहीं हो सका था और डाक्टरों की लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई। मेरा अनुरोध है कि यह सरकार उसकी छानबीन करेगी और आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कृपा करेगी। हमारा बस्ती जिला उत्तर से लेकर दक्षिण तक 90 मील लम्बा है। बस्ती नगर में एक सदर अस्पताल है। जहां कुछ थोड़े साधन हैं और बस्ती से हमारा वह स्थान नैपाल से मिला हुआ है 60–70 कि0मी0 की दूरी पर है। मैं निवेदन करता हूं कि इस जिले के उत्तरी क्षेत्र में चाहे शोहरतगढ़ में, चाहे नौगढ़ में चाहे बांसी में हो एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया जाय जहां सब साधन उपलब्ध हों जैसे बस्ती में है। हरैय्या, खलीलाबाद, बांसी, डुमरियागंज, नौगढ़ में जो अस्पताल है वहां केवल 10 बेड हैं। मैं मांग करता हूं कि सब तहसील हेडक्वार्टर पर जो अस्पताल हों उनमें 50 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर ऐसे अस्पताल हैं, वहां जहां पर मरीजों की सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं उनके भोजन बनाने के लिए और ठहरने के लिए जगह हो। पेड़ के नीचे लोग भोजन पकाते हैं और जब पानी बरसता है तो अधपका भोजन लेकर भागते हैं। बड़े दुख की बात है कि 30 साल के अन्दर इसका भी प्रबन्ध नहीं हो सका। मैं अपनी जनप्रिय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाय और इसका प्रबन्ध होना चाहिए।

खराब किस्म की दवाएं और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है हमारे बस्ती जिले में इसकी कमी नहीं है। अच्छी दवाओं की जगह में खराब दवाएं खरीदी जाती हैं जो पुराना माल होता है। जब मरीजों को वह दवा दी जाती है तो उसका लाभ नहीं होता है। मेरा आरोप है कि बस्ती जिले के इन अधिकारियों के खिलाफ जो इस तरह की दवा देते हैं जांच करवाएं और उसके पश्चात् अगर आरोप सिद्ध हो जाय तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करते हुए सरकार से आशा करता हूं कि यह सरकार जो कुछ मैंने कहा है, उस पर ध्यान देगी।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जो स्वास्थ्य समीक्षा पुस्तिका हमें बांटी है वह इतनी सूक्ष्म है और बजट इतना बड़ा है . . .

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी कठिनाई को बचाने के लिए है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं नहीं जानता यह राय श्रीमन्, से ली गयी कि नहीं अगर ली गयी होती तो हमारी कठिनाई नहीं होती। मैं यह कह रहा था कि सचमुच में दो कठिनाइयाँ हो रही हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

एक तो इसमें पूरा विवरण नहीं मिलता और दूसरी कठिनाई यह है कि तीन पुस्तिका आज सुबह 10 बजे बंटी। इन दो कठिनाइयों के बीच हम खड़े हैं। बहरहाल जो कुछ बाते हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, एक चीज कहना चाहता हूं कि जहाँ तक भोजन, चिकित्सा और स्वास्थ्य का सम्बन्ध है यह राजनीति के विषय नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मन्त्री जी को कि मैं जो भी कहूंगा वह राजनीति से प्रेरित होकर कतई नहीं कहूंगा क्योंकि भोजन और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा राजनीति के विषय नहीं हो सकते।

एक बात आप देखें कि आजादी के बाद कम से कम 25 वर्षों में जब से योजना काल चला है प्रगति तो हुई है इसमें कोई शक नहीं। मृत्यु दर जो 27 और 28 थी हजार में वह 15 हो गयी और जो आयु उत्तर प्रदेश में थी वह 28 थी और वह बढ़कर 52 और 54 हो गयी। तो कौन कहता है कि प्रगति नहीं हुई। मेरे पास आँकड़े हैं, मैंने देखने की कोशिश की फिफ्थ फाइव इयर के डाकूमेंट में करीब-करीब पाँचों योजनाओं में इस वर्ष को लेते हुए करीब-करीब सवा सौ करोड़ इस प्लान के ऊपर खर्च हुआ है स्वास्थ्य और चिकित्सा में और देश में करीब 16, 17 सौ करोड़ खर्च हुआ है राजस्व के अलावा। तो यह नहीं है कि काम नहीं हुआ। लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। एक लाख के ऊपर हमारे देश में डाक्टर हैं लेकिन केवल 6 हजार के लगभग, हो सकता है पूरी संख्या में न बता पाऊं, यानी 6 प्रतिशत डाक्टर इस प्रदेश में हैं, जहाँ की आबादी 16 प्रतिशत है। लेडी डाक्टरों की हालत तो और भी खराब है। सामुदायिक विकास के लिए अस्पताल खोले गए, 3 हजार और अस्पताल हैं। डाक्टर बहुत जगह नहीं हैं और जब से नया मंत्रि-मण्डल बना, बड़े पैमाने पर ट्रान्सफर हुए, उनके डाक्टर भी बहुत जगह नहीं पहुंचे हैं। मैं ऐसी जगह बता सकता हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। प्रति व्यक्ति इस प्रदेश में अभी केवल 8–9 रुपया हर साल चिकित्सा वगैरह पर खर्च हो रहा है, जोकि मैं बहुत कम समझता हूं। जबकि देश में प्रति व्यक्ति चिकित्सा पर 18–20 रुपया खर्च हो रहा है। यह कोई सन्तोष की बात नहीं है, लेकिन इसमें किसी की जिम्मेदारी की बात नहीं है। यह केवल रुपयों की कमी की बात थी। इसमें उस सरकार और इस सरकार की कोई बात नहीं है।

इस साल प्लान आउट-ले 6 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, 35 करोड़ के आउट-ले में से। मैं समझता हूं यह कम से कम 15 करोड़ रुपया खर्च करते। आगे देखा जायगा, लेकिन सवाल है कि इस 7 करोड़ में से यह कितना खर्च कर पायेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय दोनों योजनाओं में 35 करोड़ का था, तृतीय योजना में 28 करोड़ का था। मैं तो चाहता हूं कि 2–4 चीजें सुझाव के रूप में मन्त्री जी के सामने रखें। दिल्ली में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसकी मान्यता न केवल हमारे देश में है, बल्कि दुनिया भर में है। तो क्या कारण है कि इतने बड़े प्रदेश में, जहाँ 10 करोड़ की आबादी है, प्रदेश में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट राजधानी लखनऊ में न खोला जाय? मैं यह अवसर समझता हूं मुबारकबाद देने के लिए और मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभान गुप्त के सद्प्रयासों से यहाँ के मेडिकल कालेज को सजाया गया है, बढ़ाया गया है, जैसा कि दिल्ली का है। लेकिन यदि यह वह नहीं कर पाए, तो मैं कल्याण सिंह जी

को बधाई दूंगा कि यदि वह इस लखनऊ में उस मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकें। इसके साथ मैं माँग करूंगा, जो कोई नई बात नहीं है, बनारस में 500 बेड्स के एक अस्पताल की नींव पड़ने वाली थी, पता नहीं उसका क्या होने वाला है, उसका काम शीघ्र शुरू कराया जाय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा कृपा करके तहसील हेड-क्वार्टर को भी ठीक किया जाय। आप ताज्जुब करेंगे, उनमें खून और पेशाब आदि की जाँच करने के लिए कोई पैथालोजी की यूनिट नहीं है। इसके लिए केवल 50 हजार रुपया चाहिए। हमारा केन्द्रीय स्थान है ज्ञानपुर, वहाँ से 50 करोड़ रुपए के गलीचे एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वहाँ भी पैथालोजी यूनिट नहीं है, उसकी 5 साल से बराबर माँग की जा रही है, लेकिन हुआ नहीं है। मैं समझता हूं ये छोटी-छोटी चीजें हैं, जो होनी चाहिए।

लखनऊ में जो सिविल अस्पताल है, वहाँ मैं देखता हूं कि बड़ी अच्छी इमारत है सूचना विभाग की। सिविल अस्पताल में कोई चल नहीं सकता, इतनी भीड़ लगी रहती है। मेरा सुझाव है कि सूचना विभाग की जो बगल में बिल्डिंग है, वह ले ली जाय और अस्पताल में शामिल कर ली जाय। सूचना विभाग हजरतगंज में रहे यहाँ कोई उसकी जरूरत नहीं है। सूचना विभाग हजरतगंज में जैसा है, उसमें ले जायं। अगर ऐसा हो जाय तो हमें बड़ी खुशी होगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू करने की बात कही है। क्या गोलमाल है? मैं माननीय मन्त्री जी को बताऊं, एक-एक, वी0एल0डब्लू0 और पंचायत सेक्रेटरी दो ढाई सौ रुपए पाता है। हर गाँव सभा में पंचायत सेक्रेटरी हैं और हर पंचायत में ग्राम सेवक हैं। उसे वहीं ट्रेनिंग दी जाती है। आप कह रहे हैं कि एक हजार की आबादी पर 50 रुपए की दवा देंगे, तीन महीने की ट्रेनिंग देंगे और पचास रुपए का अनुदान देंगे? मैं आगाह करना चाहता हूं, सरकार पचास रुपए अनुदान देकर 1 करोड़ 20 हजार खर्च करेगी। यही तीन महीने के बाद पाँच हजार ले लेंगे। कहेंगे कि हमको स्थायी कीजिए और पूरा दीजिए। दूसरे यह खर्च अनावश्यक कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि क्यों न ग्राम सेवक और पंचायत सेक्रेटरी से कहें कि समाज सेवा करें? यहाँ पचास फीसदी आबादी गाँवों में रहती है लेकिन वहाँ केवल 20 फीसदी डाक्टर गाँवों में रहते हैं। इस असन्तुलन को आप बदलें जिसमें अगले साल आपको हम बधाई दे सकें।

मेरा एक सुझाव यह है कि इस डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर फार-डेवलपमेंट हो जाय और एक मिनिस्टर-फार-ट्रान्सफर हो जाय क्योंकि माननीय लक्ष्मण सिंह जी जब से आए ट्रांसफर में ही लगे हैं। तो इस विभाग को तोड़ दिया जाय, निदेशालय आदि सब तोड़ दिया जाय।

(व्यवधान)

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मानसिंह जी, आप बीच में व्यवधान मत कीजिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

एक बात और श्रीमन् कहूंगा । ट्रान्सफर के बारे में यह अपनी पालिसी घोषित करें वर्ना यह जान लें । लोक आयुक्त इनकी सरकार ले आई है । इसी लोक आयुक्त में यही मन्त्री लोग पक्षपात में, कहीं किसी को दो महीने के बाद, किसी को चार महीने के बाद, किसी को जाति-बिरादरी के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर जनता के लोग, इनके खिलाफ लोक आयुक्त को शिकायत देंगे । तब लोक आयुक्त बाँधेगा । कृपया इसकी नोटिस ले लें । धन्यवाद, श्रीमन् ।

श्री सुमेरचन्द गोयल (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बहुत ही सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है और उन्होंने बड़े ही प्रभावी भाषण में अस्पतालों को उन्नत बनाने और उद्धार करने का संकल्प जाहिर किया । लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह बहुत कठिन कार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और यहाँ पर हजारों अस्पताल हैं और डाक्टर समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य करता हैं । मैं सहारनपुर से चुन कर आया हूं । यहाँ पर बाजोरिया अस्पताल है उसका बड़ा मशहूर नाम है । यहाँ पर 64 बेड टी0बी0 के हैं । इस समय 57 बेड पर मरीज हैं और 7 खाली पड़े हुए हैं । यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं । यहाँ पर मान्यवर, होता क्या है कि जब तक चिकित्सक 100–150 रुपया ले नहीं लेता है उसका एडमीशन नहीं होता है । इस अस्पताल में लाखों रुपया मरम्मत आदि के लिए आता है परन्तु मरम्मत नहीं होती है और वह सारा रुपया गोल हो जाता है ।

मैं समझता हूं कि यह स्थिति यहीं पर नहीं बल्कि प्रदेश के सारे अस्पतालों में होगी । अस्पतालों में जो शौचालय और मूत्रालय बने हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है वे गन्दे रहते हैं उनकी सफाई नहीं होती है । यहाँ पर जो कर्मचारी सफाई तथा देखरेख के लिए नियुक्त हैं वे डाक्टरों के लान्स में काम करते रहते हैं और अस्पतालों की सफाई की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है । मैं चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि माननीय मन्त्री जी एक कमेटी हर जिले में बना दें जिसमें उस क्षेत्र का विधायक इंचार्ज हो और डाक्टर उसका सदस्य हो तथा दो या तीन और अन्य व्यक्ति हों । ये लोग अस्पताल की देख-रेख को देखें और जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी के पास भेजें उस पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए । अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय तो अस्पतालों की दशा में सुधार होगा और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह भी कम होगा । एक बात की ओर मैं और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन टी0बी0 के मरीजों को 15 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से डाइट का दिया जाता है । लेकिन डाक्टर लोग उनको इस रेट से डाइट देते नहीं है । टी0 बी0 के मरीज के लिए आवश्यक है कि वह मीट और एग्स खाए । इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए और जाँच करवानी चाहिए । एक दूसरी बात मैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी इस मद

के लिए अधिक रुपया दें जिससे अच्छी दवाएं बन सकें। विदेशी लोग जड़ी बूटियाँ यहाँ से ले जाते हैं और दवाएं बना कर यहाँ पर सप्लाई करते हैं। यह हमारे लिए वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ सस्ती पड़ती हैं और हर एक को उससे लाभ होता है। मान्यवर, स्वास्थ्य का सम्बन्ध जीवन से है और इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। वह चाहे अमीर हो या गरीब हो, फौजी हो या पुलिस कप्तान हो, साधारण आदमी हो या राजनीतिक नेता हो, शरीर में दम नहीं है, दिल में दम नहीं है, वह नहीं चल सकता।

प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं। वह यह है कि सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अभी सिर्फ तीन दिन हुए एक डाक्टर मुझे मिला। उसने कहा कि मेरी सिफारिश कीजिए मैं अस्पताल में नौकरी करना चाहता हूं। मैंने कहा कि क्यों नहीं गाँवों में जाते, वहाँ क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि पहले 2–3 साल में अपना हाथ साफ करूंगा और बाद में इस्तीफा देकर अपनी प्रैक्टिस करूंगा। इस तरह से सरकारी अस्पतालों के ये डाक्टर इस्तीफा दे देते हैं और शहरों में दवाओं का काम करते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी चलाते हैं।

अभी विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने ट्रान्सफर्स के बारे में कहा है। मेरी जानकारी है कि माननीय मन्त्री जी ने जो ट्रान्सफर्स किए हैं, जिन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। जहाँ वे दस-दस साल से जमा हुए थे और अपने दवाखाने चला रहे थे। मान्यवर, अगर इंक्वायरी की जाय तो उनमें से कई डाक्टरों ने शासन को कह दिया है कि हम इस्तीफा दे देंगे और वहीं पर काम करेंगे। इन लोगों को काँग्रेस पनाह दे रही थी किसी को 8 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, उनके दवाखाने चल रहे हैं। यह बड़ी शर्म की बात होती यदि उनके ट्रान्सफर्स न किए जाते। यहाँ पर कोई भाई-भतीजावाद नहीं है। 2–2, 3–3, व चार-चार माह और साल-साल भर से जो वहाँ हैं, उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया। किया उनका गया, जिनके खिलाफ शिकायत थी। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की चादर साफ है। वे डाक्टर्स यहाँ आते हैं और यहाँ के विधायकों को प्रभावित करते हैं और सिफारिश लाते हैं क्योंकि मन्त्री जी ने उन डाक्टर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए वापस चले जाते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि सरकारी डाक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल न एलाऊ हो। मैं तो माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह अमेंडमेंट किया जाय कि सरकारी डाक्टर्स रिटायरमेंट के पहले यदि प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो उनका प्राविडेन्ट फण्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए हम को कानून के अन्दर संशोधन करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जाइए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

श्रीमन्, अभी आपके आगमन से पूर्व जो हमारे अधिष्ठाता महोदय थे, उनके सम्मुख मैंने निवेदन किया था कि श्री राम प्रताप जी जो वैद्य हैं और हम लोगों की नब्ज देखते रहते हैं। एक डाक्टर ने कटमोशन मूव किया है। आप कृपा करके उन्हें भी बोलने का अवसर दें।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

श्रीमन, एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान पर बहस हो रही है। जन-जीवन से सम्बन्धित यह अनुदान है। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य अभी अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 72—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

श्री राम रति देवी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि कम से कम 15 बार की उठक-बैठक के बाद मुझे भी बोलने के लिए आप के द्वारा अवसर दिया गया।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग बराबर विकास के पथ पर बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष के बजट में अधिक धनराशि रख कर जनता को सुविधाएं प्रदान की गयीं। मैं यह कहूंगी कि इस अनुदान में जितना धन शहरी क्षत्रों में बड़े-बड़े अस्पतालों, म्युनिसिपल बोर्डों व टाउन एरिया आदि स्थानों की जनता के लिए दिया जा रहा है, उतना धन ग्रामीण अंचलों में नहीं दिया जा रहा है। बहुधा यह देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों के मरीज सामान्य दवाई को भी समय पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर दवाइयों की, भवनों की, डाक्टरों की तथा उनके स्टाफ का अभाव बना रहता है। ग्रामीण क्षत्रों में यातायात की सुविधाएं भी सुलभ नहीं हैं। कहीं-कहीं पर सड़कों के खराब होने और पुलियों के न होने पर खराब मौसम में मरीजों को उनके घर वाले अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे जो डाक्टर हैं वे शहरी सुविधाओं को छोड़कर ग्रामीण अंचलों में जाना पसन्द नहीं करते हैं जिसकी वजह से ग्रामीण अंचलों को मौजूदा सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, वह नहीं पहुंच पाती है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में गर्भवती महिलाओं के लिए दूध, दवाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है लेकिन ये सुविधाएं अधिकांश रूप में कागज पर ही रह जाती हैं, इनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मातहत जो छोटे कर्मचारी हैं, वे गुलामों की तरह से रहते हैं और स्वतन्त्रता से या स्वेच्छा से जो ग्रामीण जनता की सेवा करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि वे फर्जी वाउचर बनाकर अधिक से अधिक धन पैदा करने में लग जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति की बराबर वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि इनको समाप्त किया जाय। मैं उनसे यह भी चाहूंगी कि जो सुविधाएं केवल कागज पर ही रह जाती हैं, ग्रामों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको विकास खण्डों में जो आपके अधिकारी हैं, उनके माध्यम से दिलाया जाय और शासन के उच्च अधिकारी अचानक दौरा करके पता लगाएं कि जो जो सुविधाएं उनकी ओर से दी जा रही हैं, वे किस हद तक उन तक पहुंच रही हैं।

यह भी देखने में आया कि मिड वाइफ और हेल्थ विजीटर्स की ट्रेनिंग के लिए जो लड़कियाँ ली जाती है वे 8वीं या 10वीं पास होती हैं। मैं समझती हूं कि यह योग्यता उनके लिए बहुत कम है। यह भी देखने में आया है कि 8वीं और 6ठी क्लास पास के लिए फर्जी सार्टिफिकेट बनवाकर लड़कियाँ विभाग में घुस गयी हैं और शिक्षा की कमी की वजह से सही रूप में जो ट्रेनिंग के द्वारा उनको जानकारी लेनी चाहिए, भरपूर ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है कि वही ग्रामीण कहावत चरितार्थ होती है कि "नीम हकीम खतरए जान।" तो मेरा सुझाव है कि मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा लेना अनिवार्य किया जाय। हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए इन्टर कक्षा पास करना अनिवार्य और साथ ही साथ इनको जो छात्रवृत्ति ट्रेनिंग के समय दी जाती है वह आज की मंहगाई को देखते हुए बहुत ही कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही ही साथ यह भी आवश्यक है कि उनकी ट्रेनिंग के शुरु के समय में जब उनका प्रशिक्षण आरम्भ होता है. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती राम रति देवी—

तो इस तरह से यह जो धनराशि दी जा रही है थोड़ी और बढ़ा कर दी जाय और प्रथम चरण में ट्रेनिंग के उनको दी जाय, इससे उनको काफी सुविधा मिलेगी। क्योंकि शुरू में हजारों रुपया एक-एक साल तक उनको खर्च करना पड़ता है, इसलिए वह महाजनों से लेना पड़ता है, गरीब घर की लड़कियां हैं। तो इधर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी धन्यवाद।

(आचार्य धर्मदत्त वैद्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

एक वैद्य इधर भी हैं, जब आपने वैद्यों का नाम लिया है।

एक सदस्य—

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं केवल।

श्री अध्यक्ष—

आप उन्हें बोलने दीजिये, आप बैठें।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन, हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से जो कार्य इस प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात से होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इस बजट को देखने से बड़ी निराशा हुई है। आज जिस तेजी से हमारे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है, उस प्रकार से स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा उपलब्ध नहीं हुई है। जिस समय यह नई सरकार बनी थी तो बड़ी चर्चा ग्रामों की थी कि वहां विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। श्रीमन, इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष उपलब्धियां स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से की गई हों, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। इस बजट की सूक्ष्म रिपोर्ट में 2,657 चिकित्सालय है और 4,105 रोग शैय्याएं हैं, का उल्लेख है। इस प्रकार दो हजार पर एक रोग शैय्या पड़ती है। जो प्रदेश इतना बड़ा है कि जो सुविधा लोगों को प्रदान की गयी है बिलकुल नगण्यसी प्रतीत होती है।

इस पुस्तक में देखा उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों का एक प्राविधान किया गया है। यह केन्द्रीय सरकार की योजना बहुत पहले से विचाराधीन थी और इस पर कई बार चर्चा भी हुई थी और आज जिस प्रकार से इसके विकृत स्वरूप का उल्लेख इसमें रखा गया है, मुझे भय है, यह स्वास्थ्य रक्षक, ग्रामीण भक्षक न बन जायं। इस प्रकार से साधारण व्यक्तियों को तीन महीने मे ट्रेनिंग देकर चिकित्सा के लिए तैयार कर सकें यह मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ करना है। अच्छा यह होता जैसा कि पहले सुझाव भी दिया जा चुका था कि जो हमारे स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनकी इकाइयों को छोटा कर दिया जाय, 100 की एक यूनिट बनायी जाय और उस यूनिट पर पूर्ण साज-सज्जा युक्त एक चिकित्सालय की स्थापना हो और उसके माध्यम से यह कार्य किया जाय। आज हर गांव का आदमी शहर की तरफ इसलिए आता है कि उसे अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी और आप वहां जिन व्यक्तियों के माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं उन पर गांव वालों का विश्वास ही नहीं होगा। और फिर वहां से वह आदमी लिया जायगा। लोग यह समझेंगे कि तीन महीने में उसने क्या सीखा होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह धनराशि जिसका अपव्यय होने जा रहा है उसके लिए विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था करें जिससे उस पैसे का सदुपयोग हो और स्वास्थ्य केन्द्रों से संलग्न ऐसे केन्द्रों की स्थापना करें जिनमें पूर्ण योग्यता प्राप्त चिकित्सक रहें चाहे आयुर्वेद के, यूनानी के, होम्योपैथ के हों जिससे वह लोगों की सेवा कर सकें।

माननीय मन्त्री जी ने आयुर्वेद के चिकित्सकों का वेतनमान बढ़ाया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन केवल वेतनमान बढ़ाने से उनकी सेवा का कोई ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं हो सकता जब तक समानता की दृष्टि से उनके साथ व्यवहार न हो, उनको और प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त न हों, उनके पास साज-सज्जा युक्त चिकित्सालय न हो और उनके लिए शय्याओं की व्यवस्था न हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां आपने उनका वेतनमान बढ़ाया है वहां उनको अन्य सुविधाएं भी दें। इसमें एक बड़ी कठिनाई भी है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी सरकार के

माध्यम से वह इस बात का प्रयास करें। एलोपैथिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों को जो योजना आयोग द्वारा मान्यता नहीं है, मान्यता दिलाएं। यह अवश्य है कि वह उनके लिए कुछ अनुदान देते हैं या उनके विकास के लिए कुछ करते हैं लेकिन जब तक उन को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। किसी जगह पर अगर एक आयुर्वेदिक यूनानी या होम्योपैथिक है और वहां स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा तो उनको वहां से हट जाना पड़ता है इसलिए कि जो सुविधाएं एलोपैथिक चिकित्सालय में होती है वह आप अभी इन को नहीं दे सकते हैं और न यह समय है। यह बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें बहुत से आयुर्वेदिक विद्यालय तथा दूसरी पद्धतियों के चिकित्सक भी हैं। लेकिन दुख है कि आज तक इस प्रदेश में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना न हो सकी जबकि छोटे-छोटे प्रदेशों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। यदि वास्तव में यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाना चाहती है तो उसे एक ऐसा साधन सम्पन्न आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करना पड़ेगा जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा और चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था हो जिससे चिकित्सकों को वास्तविक ज्ञान हो सके।

आज आयुर्वेदिक चिकित्सा को इस देश में ही नहीं संसार में एक स्थान प्राप्त है। जहां बड़े-बड़े वैज्ञानिक अरबों रुपए खर्च कर के सल्फा ड्रग्स और ऐंटीबायोटिक दवाओं की खोज कर के रोगों पर नियन्त्रण पाए हैं वहां एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो गयी है कि उससे जो प्रतिक्रिया होती है शरीर पर उसको कैसे रोका जाय। इस कार्य के लिए अरबों रुपए वहां के वैज्ञानिक खर्च कर रहे हैं।

श्रीमन्, इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पद्धति के साथ-साथ इन आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को भी प्रोत्साहन दिया जाय और उसके लिए साधन जुटाएं जायं। यह उत्तर प्रदेश, हिमांचल और विंध्याचल की घाटी का प्रदेश है। इसके अन्दर इतनी वनस्पतियां उपलब्ध हैं कि अगर उसकी खोज की जाय, उस पर अनुसन्धान किया जाय, तो मैं कह सकता हूं कि हम प्रदेश में सस्ती दवा देने में सुलभ हो सकेंगे। देशी चिकित्सा पद्धति जनता को प्राप्त हो सकती है। श्रीमन्, इसके विकास के लिए, पूर्ण लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हमको अच्छी औषधियां मिलें। लेकिन दुख है कि हम अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं कर सके। पिछले वर्ष स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी का निगम बनाने पर विचार करते रहे, निर्णय भी लिया जा चुका है, परन्तु कार्यान्वित नहीं हो सका है।

मान्यवर, देशी पद्धतियों के चिकित्सकों को जब तक अच्छी औषधियां उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक उनके ज्ञान से लाभ नहीं उठाया जा सकता है। जब हम उनको औषधियां ही नहीं दे पायेंगे, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। एलोपैथिक चिकित्सा के लिए औषधियां बाहर से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि बनाने का कार्य जब तक शासन अपने माध्यम से नहीं करेगा तब तक अच्छी और शुद्ध औषधियां मिलना मुश्किल होंगी और उससे लाभ उठाना कठिन हो जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि उस निगम के कार्य को शीघ्र ही लागू किया जाय और उसकी बनी हुई औषधियां जनता को भी उपलब्ध हों ऐसी व्यवस्था की जाय। श्रीमन्, लाल बत्ती से डरता हूं। मैं कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन समय नहीं है।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तावित जो बजट है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें शुरू से आखिर तक जो चर्चा हुई उसमें ज्यादा एलोपैथिक और उसके बाद आयुर्वेदिक पर विचार-विनिमय हुआ। मैं यह समझता हूं कि वास्तव में हम लोग जिस देश के निवासी हैं और उस देश की जो वास्तविकता रही है, इस देश में जैसी चिकित्सा की प्रणाली रही है और उस प्रणाली के तहत इस देश के लोग जैसे स्वस्थ्य और पुरुषार्थी रहे हैं, आज हम उसको नजरन्दाज करते जा रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की फोटो इस सदन के सामने टंगी है। महात्मा गांधी ने मनुष्य जाति के और मनुष्य समाज के प्रत्येक अंगों का गहन अध्ययन किया था और सब पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं।

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग जैसे अंग्रेजियत और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे अन्धे से हो गए हैं, हम लोग केवल फैशन की बातें ज्यादा करते हैं, खर्चीली बातों पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन अपनी सादगी कम खर्चीली परन्तु अधिक लाभकर बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश के लिए वह चिकित्सा प्रणाली सबसे ज्यादा उपयोगी होगी। जिसको जन साधारण आसानी से समझता हो। पहले औषधि बनाने के कारखाने नहीं थे, बड़े-बड़े अस्पताल नहीं थे, फिर भी हमारे यहां के लोग ज्यादा निरोगी थे, ज्यादा स्वस्थ्य थे, ज्यादा तन्दुरुस्त थे। उसका कारण था कि वह प्राकृतिक औषधियां प्रयोग करते थे। हम लोग जब पुरानी बातें याद करते हैं। हम लोगों के बचपन में, हम लोगों के घरों में या गांव में जब लोग बीमार पड़ते थे तो 4–6–8 रोज बीमार रहते थे और उसी काल में पारिजात के पत्ते और 2–3 अण्डे, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीते थे। बीमारी भाग जाती थी। इस तरह की साधारण जड़ी-बूटियों से बीमारी दूर हो जाती थी जो आज हजारों रुपयों की दवाइयों से दूर नहीं हो सकती। यह तो मैंने प्रमाण दिया।

रामायण में है, लक्ष्मण जी को बान लगा और वह मूर्छित हो गए और यह लगा कि 2–4 घंटे में इनकी मृत्यु हो जायगी। लेकिन एक ऐसी जड़ी थी जिसका नाम था 'संजीवनी बूटी, 'संजीवनीबूटी' आई और केवल एक खूराक देने से लक्ष्मण जी की सारी मूर्छा भाग गयी और वह स्वस्थ होकर बैठ गए। हमारे यहां इस तरह की जड़ी-बूटियां उस समय पाई जाती थीं। आयुर्वेद का इतना गहन अध्ययन किया गया था कि यहां की कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं थी जिसमें औषधि के गुण न हों। आज भी बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो जादू सा असर रखती हैं लेकिन हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता और खर्चीली दवाओं की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे यहां मसल कही जाती थी कि रोगी ही वैद्य होता है। अगर पहले कोई बीमार हो गया उसके कोई रोग हो गया तो वह वैद्य से दवा ले लेता था और ठीक हो जाता था। उसके बाद वह सैकड़ों लोगों को खुद दवा बताता था और सकड़ों लोग उसकी दवा से अच्छे हो जाते थे। लेकिन आज हमारे यहां रिसर्च होती है और ऐसी होती है जिसको पढ़े-लिखे लोग भी बहुत दिनों तक समझ नहीं पाते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मेरा अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय दिया जाय मुझे कुछ और कहना है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी दो मिनट हैं ।

श्री राम प्यारे--

हमारे यहां जो चिकित्सा प्रणाली है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, उसी की तरह एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो बिना खर्चे की है । प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार यदि स्वास्थ्य मन्त्री जी गांवों में करें तो जो स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं उनसे ज्यादा इससे लाभ होगा और जन समाज को ज्यादा लाभ पहुंचेगा । मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी स्वास्थ्य के कुछ नियमों का शिक्षा में प्रसार कराते तो ज्यादा अच्छा होता । मान्यवर, पहले 84 आसनों की व्यवस्था थी । इन आसनों में ऐसे आसन थे जिन्हें अगर किया जाय तो देह और पेट के रोग पैदा ही न हों । क्योंकि सारे रोगों की जड़ पेट ही है । पेट से सारे रोग होते हैं । तो अगर इन आसनों को किया जाय तो पेट के और दूसरे मर्ज दूर हो सकते हैं । इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है । लेकिन हम इनको भूलते जा रहे हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं परिवार कल्याण के सम्बन्ध में । आज जिस तरह से कृत्रिम परिवार कल्याण करने की बात सोची जा रही है और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यह हम लोग पागलपन में मशगूल हो रहे हैं । हमको चाहिए कि गांधी जी के रास्ते पर चल कर प्राकृतिक नियमों का पालन करें । संयम के द्वारा परिवार कल्याण करने की बात सोचनी चाहिए । अगर हम संयम के द्वारा प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो समाज है वह एक दिन पतित हो जायगा । इस तरह से जो हममें नैतिक बल है, चारित्रिक बल है और अध्यात्मिक बल है वह नहीं रह जायगा । हम लोग जो बैठे हुए हैं यह तो पुराने लोग हैं । अगर संयम का पालन नहीं किया गया तो जो आने वाली पीढ़ी है वह जरजर होगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम प्यारे--

तो मेरे जो सुझाव हैं, स्वास्थ्य मन्त्री जी नोट करें और उस पर विशेष तवज्जह दें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनको (श्री शफीकुर्रहमान बर्क) बुलाया है । आप तीन दफे बोल चुके हैं, शास्त्री जी; आप फिर बोलिएगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो बजट स्वास्थ्य मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं। उन्होंने सेहत के सिलसिले में जो प्रोग्राम पेश किया है, उम्मीद है उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे और यह सारा प्रोग्राम कागज पर न रहेगा। चूंकि अब तक हमारे देश या प्रदेश में यह रिवाज रहा है कि हमने कहा ज्यादा है और अमल कम किया है। इसलिए मैं इस समय कुछ चन्द बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। जहां तक सेहत और चिकित्सा का ताल्लुक है यह जिन्दगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। जिन्दगी में इन्सान का सेहत और इलाज से बहुत बड़ा ताल्लुक है। जहां इन्सान की जिन्दगी के सुधार के लिए तालीम जरूरी है वहीं पर इन्सान के लिए हर समय उसकी सेहत के लिए इलाज भी जरूरी है। इस सिलसिले में हमारा प्रदेश आज तक बहुत पीछे रहा है, चाहे वह एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, यह हमारी बदकिस्मती है। यह सारे इलाज हमारी जिन्दगी के लिए बहुत अच्छी चीज हैं। इलाज हर तरीके से हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि आयुर्वेदिक और यूनानी जोकि हमारे देश के पुराने तरीके इलाज के हैं उनको पीछे डाल दिया गया और एलोपैथिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि देश के अन्दर आयुर्वेदिक और यूनानी को आगे बढ़ाया जाय। इस सिलसिले में मन्त्री जी गौर फरमायें और देखें कि आज हमारे प्रदेश में इलाज का तरीका क्या है। हमारे यहां कितने शफाखाने हैं? इस समय हमारे यहां 2697 शफाखाने हैं जिसमें 47,105 बेड हैं जिसका औसत उत्तर प्रदेश में 2 हजार पर एक बेड आता है। जब बेडों की यह हालत है तो यहां के बसने वालों का कैसे अच्छा इलाज हो सकता है यह आप सभी को मालूम है।

मान्यवर, दूसरे हमारे देश के अन्दर अच्छी दवाइयां तैयार नहीं होती हैं। अच्छी दवाइयां न होने से मैं समझता हूं कि अच्छा इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरफ भी मन्त्री जी ध्यान दें और जो फर्जी कारखाने दवाओं के हैं जोकि मसनूई दवाएं तैयार करते हैं उनसे अच्छी दवाएं तैयार कराई जायं और मसनूई दवाएं बनाना बन्द करवाया जाय। देखने में आ रहा है कि असली दवाएं गायब हैं और मसनूई दवाएं बाजार में बिक रही हैं। इसलिए उन पर रोकथाम लगाई जाय। इस सिलसिले में जो हमारे विभाग के अधिकारी जैसे डाइरेक्टर या दूसरे अधिकारी हैं उनसे कहा जाय कि यदि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान न दिया तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। इसलिए जब तक आपका अंकुश इस सिलसिले में तेज नहीं होगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है।

मान्यवर, मुरादाबाद जिले में 1968 में एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तैयार होना शुरू हुआ था जोकि अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। मन्त्री जी कृपया इसको नोट कर लें कि मुरादाबाद एक बड़ा जिला है जहां पर एक भी अच्छा हास्पिटल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो नया अस्पताल वहां बनना शुरू हुआ था और अभी तक अधूरा पड़ा है उसको पूरा किया जाय। आज हमारे प्रदेश के अन्दर मलेरिया फैल रहा है। उसकी तरफ भी आप देखें। मालूम यह हुआ था कि हिन्दुस्तान के अन्दर से और हमारे प्रदेश के अन्दर से मलेरिया का सफाया हो गया है लेकिन आज क्या वजह है कि यह फिर सारी जगहों पर फैल रहा है न सिर्फ एक जिले में बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर मलेरिया आम है। सम्भल में मोहल्ला सरायतरीन में यह बहुत तेजी पर है। सम्भल मेरी कांस्टीटुएन्सी है। एक लाख से ज्यादा की आबादी की बस्ती है जहाँ एक पी0 एच0 सी0 है जिसका गालिबन दो ढाई हजार रुपए

का बजट है। मेरी समझ में नहीं आता कि लाखों आदमियों को इससे किस तरह दवाएं दी जा सकती हैं। इतने बड़े शहर के अन्दर एक छोटा सा अस्पताल है। मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर कम से कम 30 बेड का अस्पताल तैयार होना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में अस्पतालों की हालत खराब है। यह अस्पताल गरीबों और मजदूरों के लिए नहीं बल्कि इसका सारा फायदा बड़े-बड़े सरमाएदारों को मिलता है जो अपनी देख भाल खुद पैसा खर्च करके भी कर सकते हैं। वहाँ पर गरीबों की परवाह नहीं की जाती। सारी तवज्जह बड़े आदमियों पर दी जाती है। इसके साथ ही यह अस्पताल एक तरह से बूचरखाने जैसे हैं, यह सेहत के सेन्टर नहीं हैं।

मेरे पास एक केस मौजूद है। सम्भल के मुहल्ला डूंगरसराय का एक 15-16 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम अजीमुद्दीन था उसको कुत्ते ने काट लिया था। उसको एन्टी रैबिक इन्जेक्शन लगना था। मैंने एक पर्चा लिख कर भेजा लेकिन उसके इन्जेक्शन नहीं लगाया गया और उसकी मौत वाकये हो गयी। फिर मैंने एक लेटर सी0 एम0 ओ0 को लिखा। आप नोट कर लें। एक नौजवान की जिन्दगी चली गयी महज इसलिए कि उसके एन्टी रैबिक इन्जेक्शन नहीं लग सका। इस तरह की आम शिकायतें पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इन्जेक्शन या जरूरी दवाएं आम लोगों को नहीं मिल पाती, बड़े-बड़े लोगों को मिलती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी खास तौर से एक सरकुलर पूरे प्रदेश के लिए जारी करें जिससे कि गरीबों की तन्दुरुस्ती की तरफ खस्सी तवज्जह दी जा सके। उनको अस्पतालों में बेड दिए जायं, फ्री दवाएं दी जायं। फ्री दवाएं जो सरकार अस्पतालों में भेजती हैं वह गरीबों को नहीं मिल पातीं बल्कि डाक्टर लोग प्राइवेट इलाज में इस्तेमाल करते है। जहाँ तक इस सेहत के महकमें का ताल्लुक है वह इस प्रदेश में बहुत खराब हालत में है। मन्त्री जी आपने जो प्रोग्राम बनाया है इसको असली जामा पहनायें, यह न हो कि महज कागज पर ही रह जाय। ऐसा हुआ तो आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। खास तौर से मैं सम्भल के लिए फिर गुजारिश कर रहा हूं। आप नोट फरमायें। सम्भल बहुत पुरानी बस्ती है और राजधानी भी रह चुकी है। आज बद-किस्मती से तहसील है। मैं चाहता हूं कि जहाँ पर एक लाख से ज्यादा आबादी में सिर्फ एक पी0एच0सी0 है उसमें तीस-बेडेड अस्पताल तैयार करें जिससे कि वहाँ के रहने वालोंको सकून और आराम मिल सके। इन अलफाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन् . . . .

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

देखिए अब इस पर विवाद नहीं चल सकता क्योंकि मतदान भी कराना होगा। आधे घन्टे का समय बढ़ाया गया है। अब मजबूरी है।

सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

श्री मधुकर दिघे—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की दिनाँक 24 सितम्बर, 1977 (शनिवार) को सदन की बैठक न हो तथा इस दिन के अनुदान दिनाँक 6-7 अक्तूबर, 1977 को होने वाले पुलिस विभाग के अनुदान के साथ लिए जायं। इसके अतिरिक्त दिनाँक 26 सितम्बर, 1977 को शिक्षा विभाग के अनुदान के स्थान पर न्याय एवं कारागार विभाग से सम्बन्धित अनुदान की माँगों पर मतदान होगा । शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुदान माँग का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की दिनाँक 24 सितम्बर, 1977 (शनिवार) को सदन की बैठक न हो तथा इस दिन के अनुदान दिनाँक 6-7 अक्तूबर, 1977 को होने वाले पुलिस विभाग के अनुदान के साथ लिए जायं। इसके अतिरिक्त दिनाँक 26 सितम्बर, 1977 को शिक्षा विभाग के अनुदान के स्थान पर न्याय एवं कारागार विभाग से सम्बन्धित अनुदान की माँगों पर मतदान होगा। शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुदान माँगों का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 31 चिकित्सा, अनुदान संख्या 32–परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33 सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 72––चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–क्रमागत)

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इधर के और उधर के दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों ने मेरे विचारों से सहमति प्रकट की बल्कि मुझ से आगे बढ़ कर कहीं उन्होंने इस बजट की आलोचना भी की।

श्रीमन्, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्था हमारे मन्त्री जी करने जा रहे हैं उसके बारे में तो प्रत्येक ही सदस्य ने इधर के, उधर के सब ने कहा कि जन-जीवन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनका इलाज कर सकें। इसमें जो रुपया खर्च किया जाय उस रुपए को जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं उनके उन्नयन के लिए, उन के साज-सज्जा पर खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ग्रामीण जनता लाभ उठा सकेगी।

श्रीमन्, अभी मैंने इस बात से पूर्व बताया कि हमारे प्रदेश के होम्योपैथी के छात्र संघर्ष के पथ पर हैं। उनकी माँगें हैं। विगत दिवस जब प्रधान मन्त्री यहाँ पर आये तो बारह छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, पिटाई की गयी, जेल में डाल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्र जेल में हैं। माँगे जायज हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे भी बाल-बच्चेदार आदमी हैं बच्चों के साथ इस तरह कठोरता का व्यवहार न करें। आज आवश्यकता इस बात की है श्रीमन्, कि अगर स्वास्थ्य मन्त्री जी अपने आप को असक्षम अनुभव करें इन छात्रों को छोड़ने में, जिन्हें जेल में तन्हा रखा जा रहा है जिस प्रकार फांसी के कैदी को रखा जाता है और जो प्रदेश के छात्रों के साथ इस सरकार का, जनता पार्टी सरकार का, व्यवहार है, तो मैं उनसे, अनुरोध करूंगा कि वे इस्तीफा दें ताकि कम से कम उनकी इमेज जनता के लिए, छात्रों के लिए अच्छी बनी रहे कि वे छात्रों के शुभ चिन्तक हैं।

श्रीमन्, एक दो समस्यायें और हैं। बहुत ही अहम समस्यायें हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर कौशल आप दूसरे भाषण में नए प्रश्न ले रहे हैं। आप उन चीजों को लीजिए जो आपके प्रस्ताव में कही गयी हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

उन्हीं पर बोल रहा हूं। कानपुर में कार्डियोलोजी संस्थान है। एक करोड़ रुपए की लागत से वह संस्थान शुरू किया गया। ज0 के0 ने 31 लाख और सरकारी उपक्रम, मशीन आदि के ऊपर 40 लाख खर्च किया गया, स्टाफ संचालन पर 20 लाख और 81 लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ नवम्बर, 1976 में आज तक कोई भी ओपन हार्ट केस की सर्जरी नहीं हुयी। उद्घाटन से पहले सात केसेज हो गए उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। मशीनों में जंग लगता जा रहा है। सारे रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। जो बड़े-बड़े डाक्टर थे, काबिल डाक्टर थे विदेशों से आए थे, छोड़ कर चले गए। श्रीमन्, यह सारी अव्यवस्था क्यों हुई? मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जाँच करें। इसकी जड़ क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से बड़े काबिल डाक्टर जो विदेशों से आए थे छोड़ कर चले गए। 81 लाख रुपए बेकार पड़े हैं। एक भी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई। श्रीमन्, जहाँ तक मुझे जानकारी है वहां की अव्यवस्था वहां के डायरेक्टर महोदय के बर्ताव की वजह से है जिनके खिलाफ सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँक कराने का आश्वासन भी दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसमें जांच करायेंगे। जिला अस्पतालों में जो पोस्ट मार्टम का वर्क होता है उसमें बड़ी ढीलढाल होती है। पोस्ट मार्टम का काम ऐसा है जिसे कि कोई डाक्टरकरने को तैयार नहीं होता और जो लाशें होती है वे सड़ जाती है जिससे यह नहीं मालूम हो पाता कि किस कारण से मृत्यु हुई। मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े अस्पतालों में पुलिस सर्जन्स की नियुक्ति कर दी जाय जिससे इस कार्य में चुस्ती आ जायगी और सही दिशा में कार्य हो सकेगा।

हमारे प्रदेश में मलेरिया विभाग के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं और कर्मचारियों को मुख्य मन्त्री जी के निवास स्थान पर बन्द कर दिया गया। यह सरकार जब

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

से आई है तब से पूरे प्रदेश में हड़ताल, काम बन्द आदि अव्यवस्था पैदा हो गयी है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आज मलेरिया को रोकने की जरूरत है लेकिन मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे क्या उम्मीद हो सकती है कि यह सरकार मलेरिया को रोक सकेगी? फिर कोई दवायें मलेरिया की उपलब्ध नहीं होती हैं। जिले तथा गांव के अन्दर उनका ब्लैक हो रहा है। इसको रोकने की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा जो अस्पताल हैं उनमें बिजली की अव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। आपरेशन हो रहा है लेकिन बिजली बन्द। जीवन और मृत्यु का प्रश्न जहां है मैं अनुरोध करूंगा कि जो बड़े अस्पताल हैं उनमें आपरेशन थियेटर में स्टैन्ड बाई जेनरेटर्स की व्यवस्था की जाय ताकि अगर बिजली फेल हो जाय तो जेनरेटर्स कार्य कर सकें। इसके साथ हीअस्पतालों में गन्दगी का साम्राज्य है जो किसी से छिपा नहीं है। भोजन की अव्यवस्था भी किसी से छिपी नहीं है। टी0बी0 के मरीज को 2 रुपए 75 पैसे में खूराक दी जाती है तो उसमें आप क्या भोजन दे पायेंगे? दूध पानी मिला हुआ मिलता है। दाल बिल्कुल पानी होती है। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय भोजन की व्यवस्थो को जरूर देखेंगे। एक सुझाव मेरा यह है कि जो एमरजेन्सी डिपार्टमेन्ट होता है उसमें किसी सीनियर डाक्टर की नियुक्ति नहीं होती है। नौसिखिए अथवा हाउस सर्जन्स को रख दिया जाता है। बड़े-बड़े नाजुक केसेज वहां आते हैं। हार्ट के केसेज आते हैं। उनका वे सही तरीके से डायगनोसिस नहीं कर पाते। उनकी बिना एक्सपर्ट डाक्टर के अकाल मृत्यु हो जाती है। एमरजेन्सी वार्ड के साथ अगर आपरेशन थियेटर, पैथालाजी डिपार्टमेंट, एक्सरे आदि की भी अगर व्यवस्था कर दी जाय तो नाजुक केसेज में जो देर लगती है वह देर नहीं होगी। अर्जेन्ट केसेज में इमीडिएट अटेंशन की जरूरत पड़ती है। यह सब व्यवस्था से उनका जीवन बच सकता है।

इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री को याद दिलाऊंगा कि एक वर्मा आयोग की नियुक्ति हुई थी....

श्री अध्यक्ष—

आप उत्तर दे रहे हैं न कि एक नया भाषण।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव मैंने तथा माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव पर दिए हैं उन पर वह विचार करेंगे और सामुदायिक जो योजना है, स्वास्थ्य रक्षा की उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर सारे सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए फिलहाल स्थगित रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य के ऊपर माननीय सदस्यों ने जिस सद्भावनापूर्ण वातावरण में बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए उन सब के लिए मैं उदारतापूर्वक आभार प्रकट करता हूं। चाहे इधर के सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विरोध पक्ष के हों एक बात निखर कर सामने आई है और सब को इस बात की चिन्ता है कि स्वास्थ्य विभाग की जनसामान्य का सशक्त माध्यम कैसे बनाया जाय।

इसे मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि इस बहस के पश्चात् कहीं भी किसी माननीय सदस्य के कथन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कहीं पर किसी प्रकार की राजनीति इसमें आती हो। सुझाव बहुत काम के आए हैं मैं संक्षेप में जो कुछ मुद्दे उठाए गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं सबसे पहले एक बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि यह जो स्वास्थ्य समीक्षा नाम की पुस्तक है इसके पृष्ठ 56 पर जहां पर महिला नसबन्दी के लिए 1977-78 के लिए चार लाख का अंक अपेक्षित रखा गया है, वस्तुस्थिति यह है कि यह कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और न किसी को टारगेट दिए गए हैं। मान्यवर, यह महिला और पुरुष दोनों के लिए ही अपेक्षित उपलब्धि का अनुमान स्तर है। 'ऐन्टीसिपेटरी लेवल आफ एचीवमेंट' है। लक्ष्य तो किसी का निर्धारित नहीं किया है और न ही किसी को इस प्रकार के टारगेट दिए गए हैं, कलेक्टर को' एस0 डी0 एम0 को कि इतना तुमको करना है इस तरह की बात नहीं है। यह केवल अपेक्षित उपलब्धि का अनुमानित स्तर है। इसमें इतना स्पष्ट हो जाता तो अधिक अच्छा रहता। इसके कारण समझने में भ्रम हो सकता है इस नाते से मैंने सरकार की नीति परिवार कल्याण के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दी है। परिवार कल्याण के सम्बन्ध में वर्तमान शासन की नीति पूर्णतया साफ है हम इसे प्रेरणा और प्रशिक्षण से ही चलाना चाहते हैं। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिए किसी भी तन्त्र को कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके नहीं दिया गया है। हम तो इस कार्यक्रम को जनतान्त्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं। जिसमें जनता का सक्रिय सहयोग मिले, हम किसी तन्त्र के उपर यह जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

माननीय कौशल साहब ने जो बातें कहीं हैं, एक बात तो यहां पर सेन्ट्रल परचेजिंग कमेटी के माध्यम से परचेजिंग 60 प्रतिशत होती है और 40 प्रतिशत जिला स्तर पर होती है। मैं सहमत हूं कि इसका अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

एक बात यह भी कही कि सेन्ट्रल परचेजिंग कमेटी के माध्यम से जो खरीद होती है उसमें भ्रष्टाचार है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास प्रमाण है। जिस किसी के खिलाफ होंगे वह हमें दें उसकी हम निष्पक्ष जांच करायेंगे। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उस जांच के परिणाम स्वरूप जो दोषी पाए जायेंगे चाहे वह कितने ही बड़े आदमी क्यों न हों, कितना ही बड़ा उसमें क्यों न फंसता हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जहाँ तक मान्यवर, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का प्रश्न है माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। एक बात मैं और बता दूं कि जहां तक बात आई कि कितने ही समवर्ग ऐसे हैं जिनकी सेवा नियमावली नहीं है। बात सही है शासन के यह बात भी विचाराधीन है। वास्तव में कितने ही ऐसे समवर्ग हैं जिनकी सेवा

[श्री कल्याण सिंह]

नियमावली अभी तक नहीं बन सकी है। जब हमारे कौशल जी और अन्य सदस्य इस बात की शिकायत करते हैं तो कदाचित वह भूल जाते हैं अपने 30 साल के कुशासन को कि वह उसे ही कोस रहे हैं। तो हम सभी वर्गों के लिए जिनकी सेवा नियमावली नहीं बनी है, बनाने की सोच रहे हैं और शीघ्र ही कुछ करेंगे, और उसमें फार्मेसिस्ट का भी एक वर्ग है। उसकी ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक फार्मेसिस्ट का प्रश्न है ,हमारी सम्पूर्ण सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन 20 तारीख को नोटिस देते हैं और 21 तारीख को हड़ताल पर चले जाते हैं, तो यह बात उचित नहीं हैं। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है। मैंने तो इस पर बहुत सफाई से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है कि जहाँ हजारों लोगों के जिन्दगी और मौत का सवाल हो, जहाँ हजारों जनता के लोगों और मरीजों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़े, उसको यह सरकार सहन नहीं कर सकती है। रात को नोटिस देकर सबेरे हड़ताल पर चले जाने के तरीके से शासन किसी की जिन्दगी के साथ किसी के द्वारा कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, चाहे कुछ हो। हम सब कुछ करने और सहने को तैयार हैं। जहाँ तक माँगों का सवाल है सरकार सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

जहाँ तक संचारी रोग से पीड़ित रोगियों और उसकी व्यवस्था से सम्बन्ध है, सरकार उसमें भी विचार करने को तैयार है और सुझाव पर विचार करने को तैयार है। जहाँ तक यह कहा गया कि चमत्कारिक ढंग से, आकस्मिक दौरे इधर नहीं किए गए पिछले डेढ़ महीने में अचानक दौरे नहीं हुए, तो इस सम्बन्ध में मैंने कई बार कहा है और आज भी कहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में और हर क्षेत्र में जहाँ-जहाँ कमजोर बिन्दु आपकी नजर में हों, उनकी सूचना आप हमें गुप्त रूप से दें, ताकि मेरे अचानक दौरे का कार्यक्रम बनने के समय में वहां जाऊं। यों सड़क पर खड़े होने से तो कोई फायदा नहीं है। आप उन चीजों को बतावें, ताकि मैं उनसे सम्बन्धित फाइलों को वहाँ माँग कर देख सकूं। मेरा निवेदन है कि मुझे इस प्रकार के आप सुझाव दें और इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करावें।

सामुदायिक विकास योजना का जहाँ तक सम्बन्ध है, उस पर यहाँ बहुत चर्चा हुई है। यह स्कीम केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित है। मैं भी इसे समझता हूं कि हम तीन महीने में प्रशिक्षण देकर किसी को भी न डाक्टर बना सकते हैं, न वैद्य बना सकते हैं। इसके पीछे भावना यही है कि कुछ तो हो। चूंकि प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर चिकित्सा की सुविधाएं काफी कम हैं, इसलिए सोचा यह गया है कि प्रत्येक एक हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य रक्षक हो, जिसको एक औषधि पेटिका दी जाएगी। यह एक प्रकार से फस्ट-एड व्यवस्था होगी, बाकी कामों के लिए तो वह डाक्टर के पास भेजेगा ही। हम इसको कम्प्रेहेंसिव तरीके से चलाना चाहते हैं। इसके हेतु 7 जिलों में 134 पी0एच0 सी0 को चुना गया है। शेष पूरे प्रदेश में हर जिले में से केवल एक पी0 एच0 सी0 को चुना है। हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं। 7 जिलों के 134 और शेष जिलों के 49 पी0एच0सी0, इस तरह से कुल 183 पी0 एच0 सी0 में इसको होना है। यहाँ 2-2- डाक्टर जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त एक डाक्टर और दिया जायगा, ताकि वह उस क्षेत्र के रोगियों की व्यवस्था कर सके। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस तरीके के गरीब आदमियों के लिए कुछ तो होगा। माना कि यह शतप्रतिशत तो सन्तोषजनक नहीं है, लेकिन जहाँ पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, इससे कुछ तो होगा ... (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इस सम्बन्ध में सवाल यह था कि क्या जो आप एक हजार पर एक व्यक्ति को 50 रुपया देकर काम कराने वाले हैं, यह काम क्या आप जो गाँव के सेक्रेटरी हैं, जिसको आप दो सौ रुपया देते हैं, उसको आप ट्रेनिंग देकर यह काम क्यों न सौंप दें ? दूसरे आदमी की बात आप क्यों सोच रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

मिश्र जी थोड़ा धैर्य रखते तो मैं उनके प्रश्न पर भी आ रहा था। हमारी इस स्कीम का नाम कम्युनिटी हेल्थ स्कीम है। हम इस स्कीम के अन्दर कम्युनिटी के लोगों को शामिल करना चाहते हैं। जहाँ तक बाकी कर्मचारियों का सम्बन्ध है हमने जानबूझ कर इस स्कीम से अलग रखा है क्योंकि उनके जिम्मे बहुत काम होता है। एक बात इसके पीछे है। वह व्यक्ति उसी स्थान का होगा। एक सुझाव आया है जो विचाराधीन है कि हम प्राथमिकता उसको देंगे जो देहात के अन्दर पहले से ही चिकित्सक का काम कर रहे हैं, चाहे वह होम्योपैथिक हों, आयुर्वेदिक हों, यूनानी हों, एलोपैथिक हों, इस सम्बन्ध में प्राथमिकता देंगे। इसके अन्दर यह मंशा नहीं है कि किसी को भी पचास रुपए की पेटी थमा देंगे। बल्कि प्राथमिकता उनको देंगे जो चिकित्सा का काम पहले से कर रहे हैं।

एक बात एडहाक अप्वाइन्टमेन्ट्स के बारे में कही गयी। हम भी नहीं चाहते कि पाँच-पाँच, सात-सात वर्ष तक एडहाक नियुक्तियाँ चलती रहें। लेकिन हमें तीस वर्ष की विरासत में जो मिला है वह हमारे सामने है (व्यवधान) मिश्र जी जरा तसल्ली रखिए। आप यह कल्पना करते हों कि हम आज ही स्विच आन, स्विच आफ कर देंगे, सारी व्यवस्था बदल डालेंगे तो आप हम से ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं कि कुछ समय लगेगा। (व्यवधान) वह अधिकार जनता जनार्दन को है कि किसको किधर बिठाए। हम चाहते हैं कि एडहाक अप्वाइन्टमेन्ट्स का सिस्टम किसी तरह से समाप्त किया जाय और ऐसा तरीका निकालें कि हमारे विभाग में रेगुलर अप्वाइन्टमेन्ट्स सम्भव किए जा सकें।

हम जानते हैं कि यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की उन्नति के लिए जितना धन आवंटित किया जाना चाहिए उतना नहीं होता है। हमें किसी भी पैथी से द्वेष नहीं है। लेकिन यह बात कड़वी लगेगी, एक पैथी पर बहुत बड़ा धन खर्च किया गया और तीन पैथीज पर केवल तीन, साढ़े तीन प्रतिशत ही खर्च किया गया। हमारा प्रयास होगा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, नेचुरोपैथी पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन पर फन्ड्स का एलोकेशन बढ़ाया जाय।

एक बात कही गयी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में। इसके बारे में विचार किया है। शासन इस मत का है, हमने विभाग के अधिकारियों से भी कहा है, पूरे प्रदेश का नक्शा बनवा लिया है। हम प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से जो असमानता पैदा हो गयी है, चाहे वह राजनीतिक कारणों से हो या व्यक्तिगत प्रभाव के कारणों से हो, कोई-कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सुविधायें अधिक हैं बहुत-बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सुविधायें बहुत कम हैं। हम एक ही

[श्री कल्याण सिंह]

माप दण्ड बना रहे हैं कि सबसे पहले चिकित्सा सुविधाएं उन इलाकों को देंगे जो मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। वह क्षेत्र चाहे किसी भी पार्टी के माननीय विधायक का होगा या वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव क्षेत्र हो। चिकित्सा के सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं बरतना चाहिए। मरीज को दवा मिलनी चाहिए। यह हमारा फैसला है।

हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन उन्होंने अन्य प्रान्तों में शिक्षा पायी है, किसी भी पैथी में पायी हो, अब तक यह प्रतिबन्ध लगा था कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर बिहार, पंजाब, हरियाणा में प्रशिक्षण प्राप्त करता है चिकित्सा का तो बिहार, हरियाणा और पंजाब की सरकार उनको इसलिए नहीं लेना चाहती थी कि वे उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए नहीं लेती रही है कि वे प्रदेश में शिक्षा नहीं पाए हैं। हम यह करने जा रहे हैं कि अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उन्होंने डिग्री ली है तो हम उनको सेवा में ले लेंगे।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

भाषण के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोगों को नहीं लिया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ हैं उनको स्थान मिलता रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह संशोधन का प्रश्न है।

श्री कल्याण सिंह—

मैं वैद्य जी को सूचित कर दूं कि अभी तक यही नियम रहा है कि उनको नहीं लिया जाता रहा है। इसी तरह से एन्टी रैबिक वैक्सीन का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर जिला स्तर पर वैक्सीन रिजर्व रखा जाए। पटवाडाँगर (नैनीताल) के केन्द्र से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि वे हमें प्रतिमास 25 प्रतिशत अधिक वैक्सीन देंगे जो रेगुलर मिल रही है वह तो मिलती ही रहेगी इस तरह से कुछ समय में हमारे पास वैक्सीन का स्टाक हो जाएगा और फिर किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। तहसील स्तर पर भी हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि वह उपलब्ध हो जाए जिससे लोगों को जिला स्तर पर आने की न आवश्यकता हो। ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स के बारे में भी कहा गया, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरा विचार है कि जिस तरह से चन्डीगढ़ और दिल्ली हैं उसी तरह की व्यवस्था हमारे विचाराधीन है।

इसी तरह से एक सुझाव आया है सतर्कता समितियों के बनाने का वह हम सलाहकार समिति जिला स्तर पर बनाने का विचार कर रहे हैं तहसील स्तर पर भी हम पहली बार इनको बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक चिकित्सा में लगे हुए लोगों की और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख हो सके। हम पीपुल्स पार्टीसिपेशन की कल्पना लेकर

चल रहे हैं और आशा है कि वह साकार होगी। मान्यवर, यूनानी अस्पतालों के निर्माण पर भी हम विचार कर रहे हैं। जो कुछ भी सुझाव आये हैं माननीय सदस्यों ने दिए हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कह दिया है कि इस तरह से अपने हास्पिटल की छवि बदली जाए :—

"यह जो हमारे अस्पतालों की छवि है, वह बदलनी है और इनमें काम करने वाले जितने व्यक्ति हैं, उनका जनता जनार्दन के प्रति अपना व्यवहार और एटीट्यूड बदलना है।"

एक बात मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से और कहना चाहता हूं यह जो जनता सरकार बनाई गई है सर्व सामान्य के लिए बनाई गई है किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाई गई है।

"दिस गवर्नमेंट इज फार मासेज, नाट फार एनी पर्टीकुलर क्लास"

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, उसको मानने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,27,71,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,97,00,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,00,92,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,04,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री भगवती प्रसाद सिंह के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय मैं 10 मिनट के लिए बढ़ाये देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, माननीय सुन्दर भाई का निलम्बन हुआ है। अब आप कृपया उन्हें बुला लीजिए। आपने उनका निलम्बन 7 दिन के लिए करा दिया है। एक दिन हो गया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, भगवती प्रसाद सिंह को भी बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुन्दर लाल जी की यह दूसरी घटना थी। जब तक वे स्वयं इसके लिए खेद प्रकट नहीं करते तो कैसे बुलाया जाय ?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, हम उनकी ओर से खेद प्रकट करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा भी प्रस्ताव है कि उनको बुला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

परामर्श करने के बाद। पहले यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको मालूम होगा कि जब मतदान आरम्भ होने वाला था, माननीय भगवती प्रसाद सिंह ने बोलना आरम्भ कर दिया और इस पीठ से बार-बार मना करने पर भी वे नहीं बैठे। तो जब तक इस मामले में परामर्श नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसे सोमवार को ले लिया जाय ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जितनी सूचनायें आज नियम 51 में आयी हैं उनमें से मैंने श्री रियासत हुसैन का प्रश्न स्वीकार किया है। उनका कहना है कि ग्राम खोपा, थाना राजपुर, जिला बांदा के तीन हरिजन राम चरण, सुधियाना व मुकरू जो अपनी जमीन के मुकदमें की पैरवी के सम्बन्ध में इलाहाबाद आए थे, की ग्राम अरोरा के पास गोली से हत्या किए जाने के कारण हरिजनों में रोष। इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर 27 तारीख को वक्तव्य दे दें।

एक सूचना माननीय गेंदा लाल गुप्त, श्री गिरीश चन्द्र तिवारी और ब्रह्म दत्त द्विवेदी की है जिसमें उनका कहना है कि एटा, फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या और लूटमार का आतंक और एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक के प्रभाव के कारण पुलिस द्वारा बदमाशों का न पकड़ा जाना। इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, 26 तारीख को प्रश्नों के बाद इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

एक सूचना श्री सोहनवीर सिंह तोमर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी मांगों के शासन द्वारा न माने जाने तक, यू0पी0 बोर्ड के व्यक्तिगत छात्रों के फार्मों को बांटने एवं अग्रसारित करने से इन्कार करना।

चूंकि इससे बड़ी कठिनाई प्राइवेट छात्रों को हो जायगी, इसलिए मैंने इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस पर दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को प्रश्नों के उपरान्त अपना वक्तव्य देंगे।

मैंने कल यह निर्देश दिया था कि माननीय विद्युत् मन्त्री आज प्रश्नों के बाद एक अपना वक्तव्य दें लेकिन आज वे उस वक्तव्य को नहीं दे पाए। इसलिए इस वक्तव्य को प्रश्नों के समय के उपरान्त 26 सितम्बर को दे दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या उन्होंने कुछ लिख कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

चूंकि 24 तारीख को अब सदन नहीं होगा तो जो दफा 51 में कल वक्तव्य होना था, उस पर भी 26 तारीख को वक्तव्य देने को आप सरकार से कह दें ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक सम्बन्धित मन्त्री से परामर्श न किया जाय तब तक नहीं लिया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, वह वक्तव्य 24 तारीख को होना था, कल सदन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

हम इसको 26 को देख लेंगे। अब हम उठते हैं और 26 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
23 सितम्बर, 1977।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 562 पर)

सूची

ऐसे व्यापारियों की सूची जिन पर जुलाई, 1977 के अन्त में 2 लाख रुपए से अधिक बकाया है—

1— श्री फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, लखनऊ।
2— ,, मोदी रबड़ लि0, मोदीनगर, गाजियाबाद।
3— ,, आर0 एफ0 सी0, बी0 एन0 रोड, लखनऊ।
4— ,, हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, रेनूकूट, मिर्जापुर।
5— ,, सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स, प्रा0 लि0, बरेली।
6— ,, आर0 एफ0 सी0, गोरखपुर।
7— ,, धर्म सिंह राम सिंह मोटर्स, प्रा0 लि0, लखनऊ।
8— ,, बलवन्त आटोमोबाइल्स, प्रा0 लि0, सिविल लाइन, बरेली।
9— ,, केशव वनस्पति, ऐशबाग, लखनऊ।
10— ,, विमको, कलेक्टरबक गंज, बरेली।
11— ,, नेशनल कण्डयूट पाइप, प्रा0 लि0, कानपुर।
12— ,, कैम्कर एण्ड एलाइड, प्रा0 लि0, बरेली।
13— ,, एल0 एन0 पोद्दार एण्ड कं0, सिद्धेश्वरी, वाराणसी।
14— ,, मोदी इण्डस्ट्रीज लि0, मोदीनगर, गाजियाबाद।
15— ,, डाइरेक्टर जनरल, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल, मेरठ।
16— ,, भगवान इण्डस्ट्रीज, तालकटोरा रोड, लखनऊ।
17— ,, नारायण वेजीटिबुल, सीतापुर।
18— ,, आर0 एफ0 सी0, झांसी।
19— ,, हिन्द साइकिल लि0, हिन्द नगर, गाजियाबाद।
20— ,, मेटल गुड्स मन्युफैक्चरिंग कं0, प्रा0लि0, विद्यापीठ रोड, वाराणसी।
21— ,, जैन शुद्ध वनस्पति कं0, लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
22— ,, गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, फर्रुखाबाद।
23— ,, मोटर सेल्स लि0, हजरतगंज, लखनऊ।
24— ,, जुहारमल जुगल किशोर, मारवाड़ीगंज, बरेली।
25— ,, मिट्ठन लाल आयल स्टोर, छत्ता बाजार, आगरा।
26— ,, म्योर मिल्स कं0, लि0, कानपुर।
27— ,, मोहन मेकिन ब्रेवरीज ,डालीगंज, लखनऊ।
28— ,, शंकर आयरन फाउण्डरी, लहरतारा, वाराणसी।
29— ,, हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन, प्रा0 लि0, लक्शा, वाराणसी।
30— ,, इंडियन वुड प्रोडक्ट, इज्जतनगर, बरेली।
31— ,, यूनिवर्सल स्टील इण्डस्ट्रीज, देवबन्द, सहारनपुर।

32— श्री उत्तर प्रदेश स्टील, प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर।
33— ,, रिखाव मोटर्स, सहारनपुर रोड, देहरादून।
34— ,, जोहन ओ0 के0 एण्ड मोहन लि0, मोहननगर, गाजियाबाद।
35— ,, कन्हैयालाल राधा किशन, घनकुट्टी, कानपुर।
36— ,, ब्रेमिक सूरी प्रा0 लि0, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
37— ,, यू0 पी0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ।
38— ,, महावीर एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कम्पनी, गाजियाबाद।
39— ,, हिन्द लैम्पस लि0, शिकोहाबाद, मैनपुरी।
40— ,, इलाहाबाद साइकिल हाउस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
41— ,, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, मुरादाबाद।
42— ,, मार्डन इण्डस्ट्रीज लि0, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
43— ,, मोटर एण्ड जनरल सेल्स, हजरतगंज, लखनऊ।
44— ,, बगाई मोटर्स, राजपुर रोड, देहरादून।
45— ,, चिम्मन लाल एण्ड कम्पनी, आलमगीरगंज, बरेली।
46— ,, रघुनन्दन प्रसाद मोहन लाल, मारवाड़ीगंज, बरेली।
47— ,, बालाजी वेजीटेबुल, प्रा0 लि0, सीतापुर।
48— ,, बाबू राम अशोक कुमार, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
49— ,, मो0 इस्माइल एण्ड सन्स, जीरो रोड, इलाहाबाद।
50— ,, गंगा लाल आत्माराम नारायण, सत्यनारायण, सुअरखाना, कानपुर।
51— ,, प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड सन्स, शामली।
52— ,, किसान ट्रैक्टर सिविल लाइन, उरई।
53— ,, आर0 आर0 इंजीनियरिंग कम्पनी, आजमगीरगंज, बरेली।
54— ,, केवलराम एण्ड कम्पनी, गंगापुर, बरेली।
55— ,, झांसी डीजल्स सिविल लाइन्स, झांसी।
56— ,, प्रभुदयाल नारायणदास, नयागंज, कानपुर।
57— ,, मिडलैण्ड फूड एण्ड वेजीटेबिल कं0, मसानी, मथुरा।
58— ,, कैलाशनाथ काशीनाथ, कालीबाड़ी, बरेली।
59— ,, इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी, लूकरगंज, इलाहाबाद।
60— ,, बाबू मियाँ इब्राहीम, महावीरगंज, अलीगढ़।
61— ,, हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला।
62— ,, भारत किराना स्टोर, लद्दाखाला, मुजफ्फरनगर।
63— ,, प्रीमियर केडिट एण्ड मोटर्स, मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
64— ,, ड्रिलमेक लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
65— ,, डी0 एफ0 ओ0, गोरखपुर।
66— ,, प्रीमियर मोटर्स, प्रा0 लि0, हजरतगंज, लखनऊ।
67— ,, इलाइड मोटर्स, हजरतगंज, लखनऊ।
68— ,, अग्रवाल आयरन वर्क्स, एम0 एल0 रोड, आगरा।
69— ,, भूरामल सत्यनारायण, मारवाड़ीगंज, बरेली।

70— श्री मुरादाबाद केबिल एण्ड वायर, प्रा0 लि0, मुरादाबाद।
71— ,, तेज इण्डस्ट्रीज, गंज बाजार, मेरठ।
72— ,, जैन आयल मिल, छत्ता बाजार, आगरा।
73— ,, आर0 पी0 इंजीनियरिंग वर्क्स, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ।
74— ,, दुलीचन्द्र उमराव मिल, फैक्ट्री एरिया, कानपुर।
75— ,, आर0 एस0 स्टील वर्क्स, सिविल लाइन, बरेली।
76— ,, प्रदीप स्टील रोलिंग मिल, लखनऊ।
77— ,, अमृत वनस्पति कं0 लि0, गाजियाबाद।
78— ,, अशोक कुमार ओमप्रकाश, गोपीगंज, वाराणसी।
79— ,, कर्जन लेदर वर्क्स, सिविल लाइन, कानपुर।
80— ,, डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर, लखनऊ।
81— ,, इंडियन क्राफ्ट एण्ड इण्डस्ट्रीज, राम नारायण बाजार, कानपुर।
82— ,, गंगाधर राम चन्द्र, एम0एल0 रोड, आगरा।
83— ,, नारंग ब्रेवरीज, गोंडा।
84— ,, कुबेर इडस्ट्रीज, गाजियाबाद।
85— ,, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर (इंडिया) लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
86— ,, कोआपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स, सहकारी नगर, बुलन्दशहर।
87— ,, कानपुर वनस्पति स्टोर, कानपुर।
88— ,, प्रतिभा इन्डस्ट्रीज, पथवारी, आगरा।
89— ,, रिलायबिल वाटर सप्लाई, लखनऊ।
90— ,, ओम प्रकाश जगदीश लाल, सिकन्दरा राऊ, अलीगढ़।
91— ,, बेविल इडिया लि0, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
92— ,, सारू स्मेल्टिग वर्क्स, प्रा0 लि0, मेरठ।
93— ,, इन्डोडेन मिल्क प्रा0, बुढानागेट, मुजफ्फरनगर।
94— ,, मोतीलाल हीरा लाल, महावीरगंज, अलीगढ़।
95— ,, मेक्सफील्ड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
96— ,, मोदीपोन लि0, मोदीनगर, गाजियाबाद।
97— ,, एच0 जी0 मिश्रा, फैक्टरी एरिया, कानपुर।
98— ,, अशोक आयल इण्डस्ट्रीज, गंगापुर, बरेली।
99— ,, आसाम दार्जिलिंग टी कम्पनी, रेलवे रोड, मेरठ।
100— ,, टाटा इन्जीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क्स, फाफामऊ, इलाहाबाद।
101— ,, सुरेश चन्द्र, धनकुट्टी, कानपुर।
102— ,, बेनीराम हरचरन लाल, अलीगढ़।
103— ,, स्वरूप वेजीटेबुल प्रा0, मन्सूरपुर, खतौली, मुजफ्फरनगर।
104— ,, लालचन्द्र रमेश कुमार, मथुरा।
105— ,, शान्तुल सिंह अनिल कुमार, शामली।
106— ,, सरैय्या डिस्टिलरी, सरदारनगर, गोरखपुर।
107— ,, जय जय इण्डस्ट्रीज, मारवाड़ीगंज, बरेली।

108— श्री शिवशंकर दयाल, गल्ला, जालौन।
109— ,, माहेश्वरी ब्रदर्स, अमरोहा।
110— ,, जयचन्द्र लाल सत्यनारायण, मारवाड़ीगंज, बरेली।
111— ,, रामचन्द्र ब्रजनन्दन, आगरा।
112— ,, राज कुमार राजेश कुमार पाण्डेगंज, लखनऊ।
113— ,, गप्पूलाल मुन्नीलाल, हिम्मतगंज, इलाहाबाद।
114— ,, ऐग्रीकल्चर इजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, दालमण्डी, मेरठ।
115— ,, आर0 आर0 स्टील एण्ड एलाइड, सी0 बी0 गंज, बरेली।
116— ,, रतन चन्द्र हजारी मल, हाथरस।
117— ,, मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, मझौली रोड, मुरादाबाद।
118— ,, विशनचन्द्र मिश्रा, कलेक्टरगंज, कानपुर।
119— ,, मातादीन भगवान दास, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।
120— ,, फ्लोमोर प्रा0 लि0, गाजियाबाद।
121— ,, अशोक दास एण्ड राइस दाल मिल, गंगापुर, बरेली।
122— ,, ठाकुरदास सुरेका आइरन फाउण्ड्री, दुर्गापुर, वाराणसी।
123— ,, आफताब खां ईंट भट्ठा, बहराइच।
124— ,, मार्डन ट्रेडिंग कम्पनी, रामलीला बाजार, देहरादून।
125— ,, जय सन्स इलैक्ट्रानिक्स, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
126— ,, दुर्गा प्रसाद धनीराम, सहादतगंज, लखनऊ।
127— ,, मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज, डालीगंज, लखनऊ।
128— ,, इंडियन इलेक्ट्रिक एण्ड इण्डस्ट्रीज, बेगमपुल, मेरठ।
129— ,, नारंग इण्डस्ट्रीज, नवाबगंज, गोण्डा।
130— ,, इंडस्ट्रियल लिवर्स, हिन्द टाकीज, बरेली।
131— ,, वैंकेटेश्वर फ्लोर मिल, लखनऊ।
132— ,, कमान्डेन्ट, सी0 ओ0 डी0, आगरा।
133— ,, सुन्दर मल सौभाग्यमल, आढ़ती, बड़ौत।
134— ,, लेबास कैमिकल्स, लखनऊ।
135— ,, सुन्दर लाल भगवानदास, पलिया, (खीरी)।
136— ,, अजन्ता सेल्स कारपोरेशन, जाफरानबाग, सहारनपुर।
137— ,, न्यू इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, रेलवे बाजार, कानपुर।
138— ,, इंडियन लेदर बोर्ड, शाहगंज, आगरा।
139— ,, कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स, झांसी।
140— ,, फारेस्ट आफिसर, झांसी।
141— ,, प्रयागदास प्रकाश चन्द्र, सुभाष बाजार, आगरा।
142— ,, विश्वनाथ नया, गऊघाट, इलाहाबाद।
143— ,, अन्नपूर्णा रेस्टोरेन्ट, हजरतगंज, लखनऊ।
144— ,, बैजनाथ शिवकुमार आढ़ती, मारवाड़ीगंज, बरेली।
145— ,, दयाल आयल मिल, गुदड़ी मंसूर खां, आगरा।

146— श्री मधुसूदन आयल मिल, हीवट पार्क, आगरा।
147— ,, कृपाल सिंह, ट्रक बाडी डीलर, मुरादाबाद।
148— ,, यू0 पी0 कामर्शियल कारपोरेशन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
149— ,, भारत सेवक समाज, कूड़ाघाट, गोरखपुर।
150— ,, ओसवाल वनस्पति एण्ड जनरल, आबूलेन, मेरठ।
151— ,, पंजाब जनरल मैन्यूफैक्चरिंग, मथुरा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 330 वि0 सभा (740)—1978—840।